विषय सूची

(i) बोर्ड के सदस्य 02
(ii) बोर्ड के अधिकारी / बैंकर्स / लेखा–परीक्षक 04
(iii) लक्ष्य एवं उद्देश्य 05

अध्याय-I 06
संगठनात्मक की स्थापना और कार्य

अध्याय-II 10
वित्तीय सहायता : तेल कंपनियों को ऋण

अध्याय-III 17
वित्तीय सहायता : नियमित अनुदाग्राही संगठन को अनुदान

अध्याय-IV 35
वित्तीय सहायता : अनुसंधान और विकास तथा अन्य अनुदान

अध्याय-V 43
तेउविबो का उर्जा सुरक्षा में योगदान

अध्याय-VI 47
अन्य पहलें / गतिविधियां

अध्याय-VII 52
तेउविबो वार्षिक लेखे 2014–15

अध्याय-VIII 79
भारत के नियंत्रक एवं महा लेखाकार की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट

अध्याय-IX 90
आईएसपीआरएल की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे

अध्याय-X 141
परिशिष्ट

बोर्ड के सदस्य
(रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

अध्यक्ष

श्री सौरभ चन्द्रा
अध्यक्ष

सदस्य

श्री इन्द्रजीत पाल
सदस्य

श्री सुरजीत चौधरी
सदस्य

श्री ए.एन. झा
सदस्य

डॉ. एस.सी. खुंटिया
सदस्य

श्री यू.पी. सिंह
सदस्य

श्री डी.के. सर्राफ
सदस्य

श्री बी.सी. त्रिपाठी
सदस्य

श्री एस. वर्धाराजन
सदस्य

श्री बी. अशोक
सदस्य

श्रीमती निशि वासुदेवा
सदस्य

श्री बी.एन. ताल्लुकदार
सदस्य

श्री प्रवेन्द्र कुमार
सदस्य

सदस्य सचिव

श्री एल.एन. गुप्ता
सदस्य–सचिव

बोर्ड के अधिकारी/बैंकर्स/लेखा–परीक्षक (रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

सचिव	: श्री एल.एन. गुप्ता
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	: श्री एम.सी. सिंह (31.12.2014) श्री अजय श्रीवास्तव (1.1.2015 से आगे)
बैंकर्स	i) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ii) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स iii) कार्पोरेशन बैंक iv) इंडियन ओवरसीज बैंक
लेखा–परीक्षक	प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा–परीक्षा बोर्ड–II, मुम्बई
बोर्ड का पंजीकृत कार्यालय	तेल उद्योग विकास बोर्ड, 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,बाबर रोड़, नई दिल्ली– 110 001
सचिवालय	तेल उद्योग विकास बोर्ड, ओआईडीबी भवन,प्लॉट नं0–2, तीसरा तल, सैक्टर–73, नोएडा–201 301, उत्तर प्रदेश
दूरभाष सं0	0120–2594602 0120–2594627
फैक्स	0120–2594630
ई–मेल	facao.oidb@nic.in
वेब साइट	www.oidb.gov.in

लक्ष्य एवं उद्देश्य

तेल उद्योग विकास निधि का प्रबन्धन ।

तेल उद्योग के विकास के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता देना ।

निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए अनुदान एवं ऋण सहायता देना :–

- *कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस की संभावनाओं का निर्धारण एवं अन्वेषण ।*
- *प्रदूषण रहित वातावरण उपलब्ध कराने वाली परियोजनाएं ।*
- *पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का शोधन एवं विपणन ।*
- *हाईड्रोकार्बन की मितव्ययिता के लिए संरक्षण ।*

तेल उद्योग के सतत् विकास हेतु शोध एवं विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देना ।

देश में तेल क्षेत्र के उपकरणों और उसकी सेवाओं के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना ।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों के लिए निधि उपलब्ध करना।

अध्याय-I

संगठनात्मक की स्थापना और कार्य

1. प्रस्तावना

1.1 कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वर्ष 1973 की शुरूआत से हो रही निरंतर और तीव्र वृद्धि के पश्चात, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम आधारित औद्योगिक कच्चे माल की आवश्यकता से संबंधित प्रगामी आत्मनिर्भरता की आवश्यकता के बढ़ते महत्व को अनुभव करते हुए तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 को अधिनियमित किया गया था । तेल उद्योग (विकास) विधेयक, 1974 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में निम्नलिखित उद्देश्य शामिल किए गए थे :

(क) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम आधारित कच्चे माल से संबंधित आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के कार्यक्रमों में तीव्रता लाई जाए ।

(ख) इस प्रकार के कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

(ग) इन उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ तेल उद्योग (विकास) निधि के सृजन हेतु कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उपकर वसूल किया जाना चाहिए ।

(घ) इस निधि का उपयोग विशिष्ट रूप से तेल उद्योग के विकास संबंधी कार्यक्रमों में संलग्न संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा ।

1.2 इस अधिनियम का उद्देश्य तेल उद्योग के विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना करना और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क लगाने और उनसे संबंधित मामलों से है।

2. संगठनात्मक व्यवस्था और बोर्ड के कार्य

2.1 तेल उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना दिनांक 13 जनवरी 1975 को की गई और यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है। बोर्ड का अध्यक्ष, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :–

(i) अधिकतम तीन सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार के पेट्रोलियम एवं रसायन से संबंधित मंत्रालय या मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे:

(ii) दो सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार के वित्त से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे:

(iii) अधिकतम पांच सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, उन निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन ऐसे निगम है जो तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 में निर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगे हुए हैं:

(iv) दो सदस्य, जिनमें से एक केन्द्रीय सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा जिन्हें, सरकार की राय में, तेल उद्योगों की विशेष जानकारी का अनुभव है और दूसरा सरकार द्वारा, तेल उद्योग में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाएगा :

(v) बोर्ड का सचिव, पदेन सदस्य होगा।

2.2 तेल उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना, ऐसे सभी अध्युपायों के संप्रवर्तन के लिए, जो उसकी राय में तेल उद्योग के विकास में साधक हो, वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लिए की गई। तेल उद्योग (विकास) अधिनियम के अनुसार, बोर्ड निम्न उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ सहायता प्रदान कर सकता है :

क) भारत के भीतर अथवा बाहर खनिज तेल की संभावनाओं की खोज एवं अन्वेषण करने;

ख) कच्चे तेल के उत्पादन, संचालन, भंडारण और परिवहन की सुविधाओं की स्थापना;

ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिशोधन एवं विपणन;

घ) पेट्रोरसायन और उर्वरकों के निर्माण और विपणन;

ड.) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधानों, जो तेल उद्योग के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोगी हों;

च) तेल उद्योग के किसी भी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या प्रायोगिक अध्ययन;

छ) भारत में या विदेश में तेल उद्योग कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए ।

2.3 कोई भी तेल संबंधी औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा अन्य व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देश के तेल उद्योग से संबद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधि में संलग्न है, वह बोर्ड से वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने का पात्र है।

2.4 अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए भी बोर्ड कर्तव्यबद्ध है।

3. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था

3.1 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 15 में स्वदेशी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क के रूप में उपकर की वसूली का प्रावधान किया गया हैं (परिशिष्ट – I।) । सरकार द्वारा 'भारत में उत्पादित स्वदेशी कच्चे तेल' (तत्संबंधी महाद्वीपीय सीमा सहित) पर उत्पाद शुल्क के रूप में समय–समय पर लागू की गई / संशोधित की गई उपकर की दरें निम्नानुसार हैं : –

तिथि से प्रभावी	दर, प्रति टन
23 जुलाई, 1974	60 रुपए
13 जुलाई, 1981	100 रुपए
15 फ़रवरी, 1983	300 रुपए
01 मार्च, 1987	600 रुपए
01 फ़रवरी, 1989	900 रुपए
01 मार्च, 2002	1800 रुपए
01 मार्च, 2006	2500 रुपए
17 मार्च, 2012	4500 रुपए

स्त्रोतः वित्त मंत्रालय

एनईएलपी ब्लॉकों से उत्पादित कच्चे तेल पर किसी प्रकार का उपकर प्रयोज्य नहीं है ।

3.2 केन्द्रीय सरकार द्वारा जनहित में अप्रैल 2012 में उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के तहत अभिज्ञात 26 क्षेत्रों पर लागू 1800 रुपए प्रति टन उत्पाद शुल्क दर पर कच्चे तेल की उत्पाद शुल्क दर में 900 रुपए प्रति टन की छूट प्रदान की गई है।

3.3 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, उत्पाद–शुल्क की एकत्रित की गई आय को प्रथमतः भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। संसद द्वारा इस संदर्भ में किए गए समायोजनों के अनुसार यदि प्रावधान किए जाते हैं, तो केन्द्र सरकार इन प्राप्तियों में से संग्रहण कार्य पर हुए व्यय को घटाने के पश्चात, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उचित मानते हुए विशिष्ट रूप से उपयोग किए जाने के लिए उस धनराशि का समय समय पर बोर्ड को भुगतान कर सकती है।

3.4 अधिनियम की धारा 17 के तहत, केन्द्रीय सरकार, अनुदान अथवा ऋण के रूप में बोर्ड को ऐसी धनराशि का भुगतान भी कर सकती है, जिसका संसद द्वारा इस संदर्भ में यथोचित समायोजनों के अनुसार प्रावधान किया गया हो ।

4. तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा प्राप्त निधियां

4.1 वर्ष 1974–75 में उपकर के रूप में उगाही गई 30.82 करोड़ रुपए की राशि वर्ष 2014–15 तक बढ़कर 14,677.24 करोड रुपए (ओएनजीसी, ओआईएल और डीजीएच से प्राप्त जानकारी के आधार पर) हो गई । जिसे नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है।

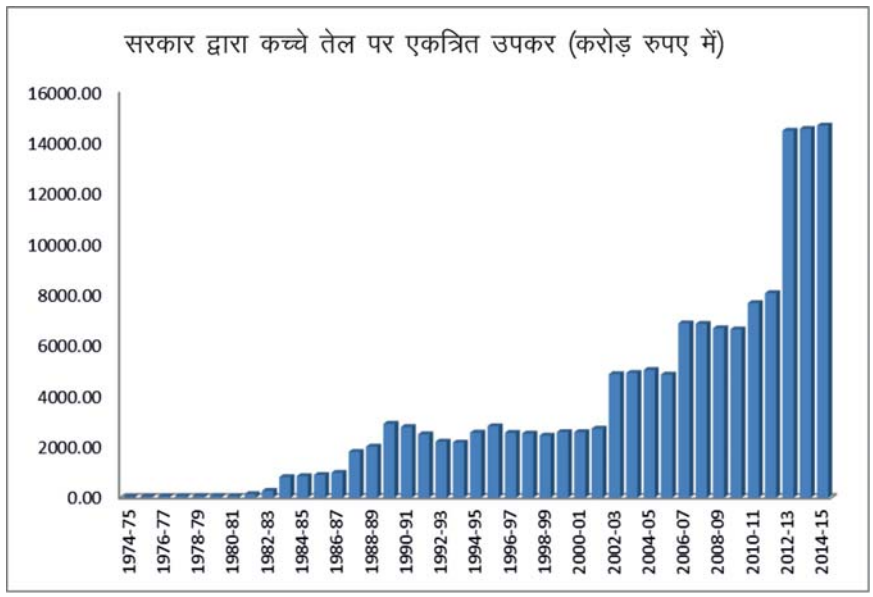

4.2 केन्द्रीय सरकार ने इसकी स्थापना के पश्चात से उपकर के रूप में दिनांक 31 मार्च 2015 तक अनुमानतः 1,47,726.57 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की है, तेउविबो को वर्ष 1991–92 तक 902 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है : नीचे दिए गए ग्राफ में तेउविबो को दिए गए उपकर का वर्ष वार विवरण दिया गया है।

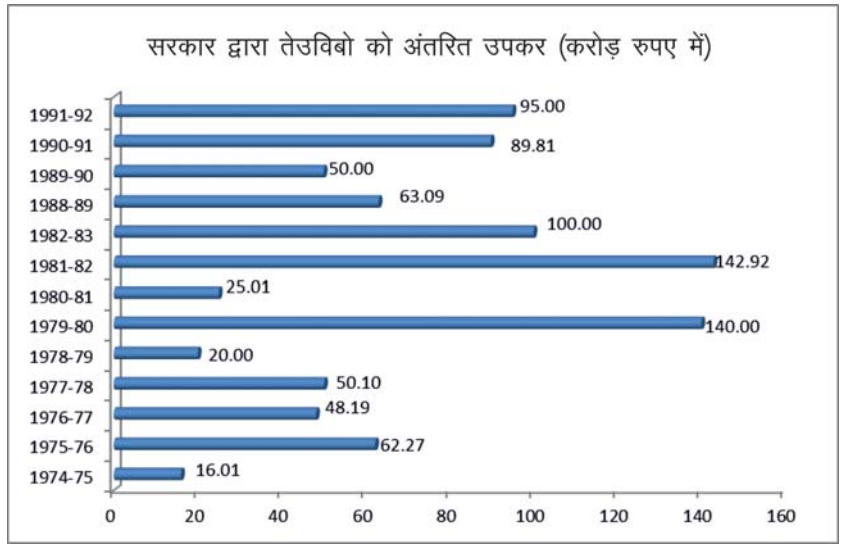

4.3 तेउविबो द्वारा विभिन्न तेल क्षेत्र की कंपनियों को दिए गए ऋण तथा अतिरेक निधियों का सावधि जमा आय के रूप में अल्पकालीन निवेश करते हुए अपने स्वयं के आंतरिक संसाधनों का सृजन भी किया जाता है। उपकर आय और तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा आंतरिक संसाधनों से उत्पन्न योगदान से दिनांक 31 मार्च 2015 तक तेल उद्योग विकास कोष में 11210.80 करोड़ रुपए संचित हो गए हैं ।

अध्याय-II

वित्तीय सहायता – तेल कंपनियों को ऋण

1. तेउविबो अपने गठन के वर्ष 1974–75 के बाद से तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों को ऋण प्रदान कर रहा है। तेउविबो द्वारा वितरित ऋण वर्ष 1974–75 में 16.01 करोड़ रुपए से पिछले पांच वर्षों में बढकर औसतन 1900 करोड़ रुपए हो गया है। गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), मंगलौर रिफाइनरी पेट्रोरसायन लिमिटेड (एमआरपीएल), ब्रह्मपुत्र क्रेकरस पालिमर्स लिमिटेड (बीसीपीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), चैन्नई पेट्रोरसायन कार्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) तेउविबो द्वारा वितरित ऋणों के मुख्य लाभार्थी हैं। ऋण निधि का मुख्य उपयोग गैस और तेल पाइपलाइन परियोजनाओं, नई रिफाइनरियों की स्थापना, मौजूदा रिफाइनरियों की गुणवत्ता उन्नयन, सिंगल प्वांइट मूरिंग परियोजनाओं और शहर गैस वितरण आदि परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है।

2. तेउविबो द्वारा वित्त वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक वितरित ऋण का विवरण नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:–

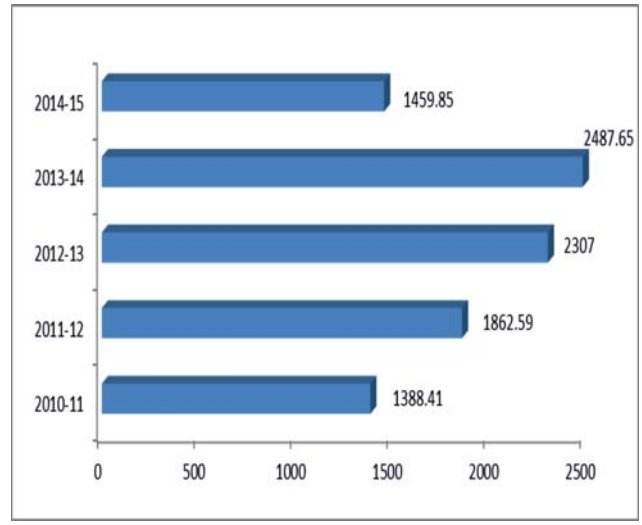

3. पिछले पांच वर्षों में तेउविबो द्वारा वितरित ऋण से तेल क्षेत्र की वित्त पोषित परियोजनाओं का कंपनी वार विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है।

क्रं सं0	तेल संस्थानों के नाम	वित्तीय वर्ष					
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	5 वर्षों का योग
1.	आईओसीएल	105.00	100.00	1050.00	572.00	420.00	**2247.00**
2.	बीपीसीएल	77.00	100.00	97.00	-	907.50	**1181.50**
3.	गेल	484.00	675.00	490.00	975.00	-	**2624.00**
4.	एचपीसीएल	300.00	500.00	-	138.00	120.00	**1058.00**
5.	बीसीपीएल	283.00	44.00	250.00	435.00	-	**1012.00**
6.	एमआरपीएल	-	400.00	400.00	300.00	-	**1100.00**
7.	गेल गैस लि0	74.41	43.59	20.00	25.65	12.35	**176.00**
8.	एनआरएल	65.00	-	-	42.00	-	**107.00**
	कुल	**1388.41**	**1862.59**	**2307.00**	**2487.65**	**1459.85**	**9505.50**

4. गैस अॅथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक की अवधि में तेउविबो से ऋण प्राप्त करने वाले मुख्य लाभार्थी हैं जिन्हें इस अवधि के दौरान कुल ऋण संवितरण का 64 प्रतिशत ऋण प्रदान किया गया।

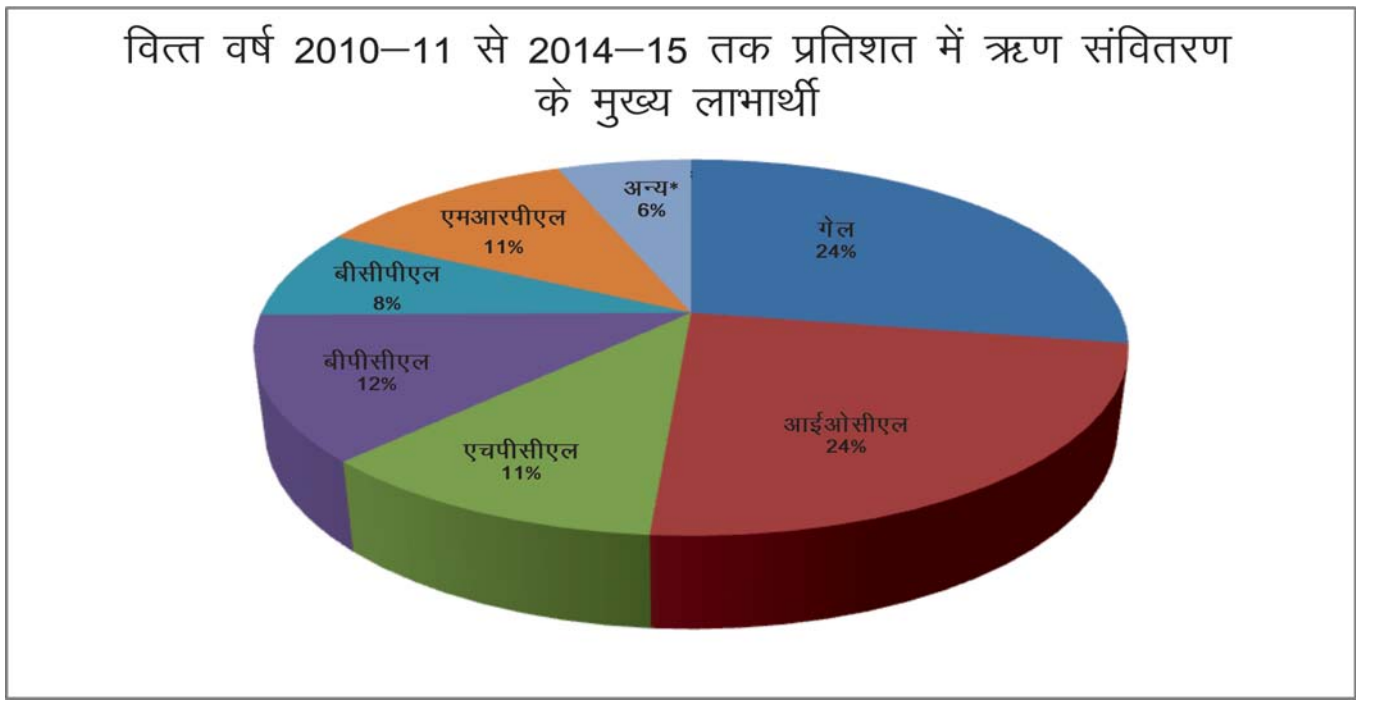

5. 31 मार्च 2015 को रूपये 7176.65 करोड़ रूपये का बकाया ऋण है। संगठन वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

क्रं सं0	तेल संस्थानों के नाम	करोड़ रूपये में
1	आईओसीएल	1855.75
2	बीपीसीएल	1049.50
3	गेल	1801.00
4	एचपीसीएल	583.00
5	बीसीपीएल	935.75
6	एमआरपीएल	800.00
7	गेल गैस लि0	93.40
8	एनआरएल	58.25
	कुल	7176.65

6.0 वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा वित पोषित परियोजनाए

6.1. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड :

मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने अपनी पारादीप रिफाइनरी परियोजना (पीडीआरपी) के वित्त पोषण हेतु वर्ष 2014–15 के दौरान तेउविबो से 420 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्राप्त की। पारादीप रिफाइनरी इंडियन ऑयल की सबसे प्रतिष्ठित और पूंजीप्रधान गहन परियोजना है और यह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड समूह की 11वीं रिफाइनरी होगी। कमीशन की प्रक्रिया में चल रही यह रिफाइनरी विश्व के विभिन्न प्रौद्योगिकी लाइसेंसरों की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से परिपूर्ण होगी। रिफाइनरी का डिजाइन 12.2 की समग्र नील्सन जटिलता कारक के साथ 15.0 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) क्रूड को प्रोसेस करने के लिए किया गया है जो इसे हाई सल्फर हैवी क्रूडों सहित क्रूड की व्यापक बास्केट को प्रोसेस करने में सक्षम बनाता है यह रिफाइनरी गौण तथा सहायक उद्योगों के तत्काल क्षमता विकास द्वारा क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए आर्थिक प्रोत्साहन का कार्य करेगी।

31 मार्च 2015 तक परियोजना ने 98.1 प्रतिशत समग्र भौतिक प्रगति हासिल की है और 34.555 करोड रुपए की परियोजना लागत के मुकाबले 29,101 करोड रुपए का व्यय हुआ है। वित्त पोषण के लिए वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी को तेउविबो द्वारा 420 करोड रुपए का ऋण जारी किया गया।

वैक्यूम गैस ऑयल हाइड्रोटीटर (वीजीओ–एचडीटी) पारादीप रिफाइनरी परियोजना

6.2 हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड :

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तेल परिष्करण और पेट्रोलियम उत्पादों और पेट्रोरसायन पोषक स्टॉक के विपणन में संलग्न एक एकीकृत तेल कंपनी है। वर्ष 2014–15 के दौरान, निम्नलिखित पाइपलाइन परियोजनाओं के आंशिक वित्त पोषण के लिए कंपनी को तेउविबो द्वारा ऋण के रूप में 120 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है :

i) उरण चाकण/शिकरापुर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना

इस परियोजना का उद्देश्य एलपीजी के परिवहन के लिए उरण (मुंबई के समीप) से चाकण–शिकरापुर (पूणे के समीप) तक एक समर्पित क्रास कंट्री पाइपलाइन बिछाना है । इस पाइपलाइन की डिजाइन क्षमता 1.0 एमएमटीपीए है तथा इसकी लंबाई अनुमानतः 165 किलोमीटर और व्यास 12 इंच है । इस परियोजना की लागत 462.79 करोड़ रूपए है तथा इसकी 50 प्रतिशत लागत को बीपीसीएल के साथ साझा किया जा रहा है और इसका कार्य अक्टूबर 2016 में संपन्न होने की संभावना है ।

ii) रेवाड़ी कानपुर पाइपलाइन परियोजना

इस परियोजना का उद्देश्य, उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए रेल तथा सड़क परिवहन से बचने के लिए रेवाडी (हरियाणा) से कानपुर (उत्तरप्रदेश) तक एक समर्पित क्रास कंट्री पाइपलाइन बिछाना है । इस पाइपलाइन की लंबाई अनुमानतः 441 किमी होगी और इसकी डिजाइन क्षमता 7.98 एमएमटीपीए होगी तथा यह हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी । परियोजना की अनुमोदित लागत 1446.34 करोड़ रूपए है तथा इस परियोजना का नवम्बर 2015 तक संपन्न होना संभावित है।

iii) आवा– सालावास पाइपलाइन परियोजना

इस परियोजना का उद्देश्य, पेट्रोलियम उत्पादों की गौण परिवहन लागत को कम करने के लिए मौजूदा एमडीपीएल आवा इंटरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन को सालावास डिपो से जोड़ना है। इस परियोजना में 10 इंच व्यास की 93 किलोमीटर लंबी 2.34 एमएमटीपीए की क्षमता युक्त बहुउत्पाद क्रास कंट्री पेट्रोलियम स्पर पाइपलाइन को संबंधित सुविधाओं के साथ बिछाना शामिल है। इस परियोजना की लागत 134.43 करोड़ है और नवम्बर 2015 तक पूरा होना संभावित है। पाइपलाइन का कार्य जून 2014 में आरंभ किया गया और जो समय से पहले काफी पहले चल रहा है।

iv) मैंगलौर–हासन–मैसूर–सोलूर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना

इस परियोजना का उद्देश्य एलपीजी के परिवहन के लिए मैंगलौर में एलपीजी आयात सुविधा से एचपीसीएल के हासन से होते हुए येदियुरू के प्रस्तावित बॉटलिंग प्लांट तक एक समर्पित क्रास कंट्री पाइपलाइन बिछाना है। इसके साथ–साथ, हासन टैप ऑफ बिंदु से एचपीसीएल के मैसूर स्थित बॉटलिंग प्लांट तक एक स्पर लाइन भी बिछाई जा रही है । इस पाइपलाइन की लंबाई लगभग 397 किलोमीटर होगी तथा इसकी क्षमता 2.279 एमएमटी (प्रचालन के प्रथम वर्ष) और 3.106 एमएमटी (प्रचालन के आठवें वर्ष) होगी। इस परियोजना की लागत 838.08 करोड रूपए है तथा यह परियोजना नवम्बर 2016 तक संपन्न होने की संभावना है।

6.3 गेल गैस लिमिटेड :

गेल गैस लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है, जिसका गठन देश भर की शहरी गैस वितरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया गया था। गेल गैस, 374.21 किलोमीटर से अधिक स्टील पाइप लाइन और लगभग 586.74 किलोमीटर एमडीपीई पाइपलाइन नेटवर्क का प्रचालन सोनीपत, मेरठ, कोटा, देवास, आगरा और समलम्ब शहरों में कर रही है । गेल गैस इन शहरों के 503 औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयों और 8774 घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्राकृतिक गैस की उत्तरोत्तर आपूर्ति करती है।

इसने ताज समलंब क्षेत्र (टीटीज़ेड) क्षेत्र में एक समरूप मूल्य प्रणाली को लागू किया है और वर्तमान में ताज समलंब क्षेत्र में लगभग 350 औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कर रहा है। तेउविबो ने टीटीज़ेड परियोजना के लिए वर्ष 2014–15 के दौरान 12.35 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है ।

6.4 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड :

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक संगठित तेल कंपनी है जो कच्चे तेल के परिशोधन तथा पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन के कार्यो में लगी है। तेउविबो द्वारा कंपनी को वर्ष 2014–15 के दौरान ऋण के भाग के रूप में 907.50 करोड़ रूपये की राशि निम्न परियोजनाओं के वित पोषण के लिए जारी की गई।

i) कोच्चि रिफाइनरी की एकीकृत रिफाइनरी विस्तार योजना : भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कोच्चि रिफाइनरी में एकीकृत रिफाइनरी विस्तार योजना के लिए तेउविबो से वित वर्ष 2014–15 में 833.00 करोड़ रूपए की ऋण सहायता प्राप्त की। परियोजना की पूंजी परिव्यय कुल 16,504 करोड़ रूपए है और इसका मई 2016 में पूरा होना अनुमानित है। परियोजना की परिकल्पना इस प्रकार है। क) बीपीसीएल की परिशोधन हिस्सेदारी में 15.7 प्रतिशत से 18.8 प्रतिशत की वृद्धि। कोच्ची रिफाइनरी की वर्तमान 9.5 एमएमटीपीए की क्षमता को 6 एमएमटीपीए से बढाकर 15.5 एमएमटीपीए करना। ख) रिफाइनरी के आधुनिकीकरण द्वारा यूरो–IV/यूरो–V विनिर्देशों के साथ आटो–ईंधन का उत्पादन।

बीपीसीएल कोच्चि रिफाइनरी विस्तार योजना

ग) परिशोधन में भारी मात्रा में होने वाले स्ट्रीम उत्पादन को कम करने के लिए अवशोषित स्ट्रीम का मूल्य संवर्धित उत्पादों में उन्नयन। घ) बीपीसीएल के प्रस्तावित पेट्रोरसायन परिसर के लिए पेट्रो फीड स्टॉक के रूप में प्रोपाइलिन का उत्पादन।

ii) सीडीयू/वीडीयू परियोजना मुम्बई रिफाइनरी : भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वित वर्ष 2014–15 में सीडीयू/वीडीयू परियोजना मुम्बई रिफाइनरी के लिए भी 55.00 करोड़ रूपए की ऋण सहायता तेउविबो से प्राप्त की। कंपनी द्वारा किए गए रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना से मुम्बई रिफाइनरी में प्रतिस्थापित शोध क्षमता 6.9 एमएमटीपीए से बढकर 12 एमएमटीपीए हो गई। परियोजना में डीजी, सॉलट वॉटर सिस्टम जैसी उपयागिताओं के साथ सीडीयू/वीडीयू, एचसीयू, एलओबीएस, एचजीयू यूनिट जोड़े गए।

iii) कोटा–जोबनेर पाइपलाइन परियोजना : तेउविबो ने बीपीसीएल की कोटा–जोबनेर पाइपलाइन परियोजना के लिए वित वर्ष 2014–15 में 19.50 करोड़ रूपए की ऋण सहायता प्रदान की। जिसमें 200 किलोमीटर लंबी और 14 इंच व्यास वाली पाइपलाइन कोटा से जोबनेर, जयपुर के पास तक बिछाई गई है। परियोजना में 5 सैक्शनलाइजिंग वाल्व स्टेशनों और एक मध्यवर्ती पिगिंग स्टेशन का निर्माण शामिल है। इसके अलावा जोबनेर में 91,000 किलोलीटर क्षमता के टैंकों और संबंद्ध सुविधाओं से परिपूर्ण एक टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है। प्रस्तावित पाइपलाइन बीपीसीएल की मुम्बई रिफाइनरी से पेट्रोलियम उत्पाद ले जाएगी।

अध्याय-III

वित्तीय सहायता : नियमित अनुदानग्राही संगठनों को अनुदान

1. अपने उद्देश्य के अनुसरण में तेल उद्योग विकास बोर्ड पांच नियमित अनुदानग्राही संस्थानों नामतः हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच), तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी), पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) और पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) को अनुदान के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है।

2. नियमित अनुदानग्राही संस्थानों को अनुदान के अलावा तेउविबो तेल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए भी अनुदान देता है । तेउविबो विश्व स्तरीय शिक्षा, प्रशिक्षण और पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र में मानव संसाधनों की जरूरतों को पूरा करने हेतु राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) की सिवानगर, असम और जियास, रायबरेली में चल रही परियोजनाओं को अनुदान देता है। वर्ष 1975–76 से 31.3.2015 तक तेल उद्योग विकास बोर्ड ने कुल 2332.53 करोड़ रूपए का समेकित अनुदान दिया। वर्ष 2014–15 के दौरान कुल 306.11 करोड़ रूपए का अनुदान जारी किया गया। जिसमें से 220.27 करोड़ रूपए नियमित अनुदानग्राही संस्थाओं को वितरित किया गया।

3. **नियमित अनुदान ग्राही संस्थानों को पिछले पांच वर्षों में वितरित किए गए अनुदान का विवरण निम्नानुसार हैं :**

(करोड़ रुपए में)

संस्थान	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
डीजीएच	51.35	55.14	62.09	39.62	137.95
पीसीआरए	18.58	25.00	46.96	41.54	40.86
सीएचटी	11.98	12.04	13.92	18.45	10.38
ओआईएसडी	10.95	12.21	12.35	14.36	14.83
पीपीएसी	8.20	9.96	10.88	13.74	16.25
कुल	**101.06**	**114.35**	**146.20**	**127.71**	**220.27**

4. वर्ष 2013–14 की तुलना में वर्ष 2014–15 में अनुदान की स्थिति निम्नलिखित ग्राफ में दर्शायी गयी है।तेउविबो द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान भारत सरकार /तेउविबो द्वारा प्रायोजित अनुदान/योजनाओं पर निम्नलिखित व्यय किया गया।

2013-14

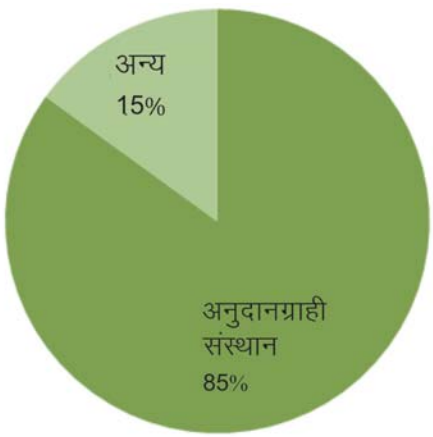

2014-15

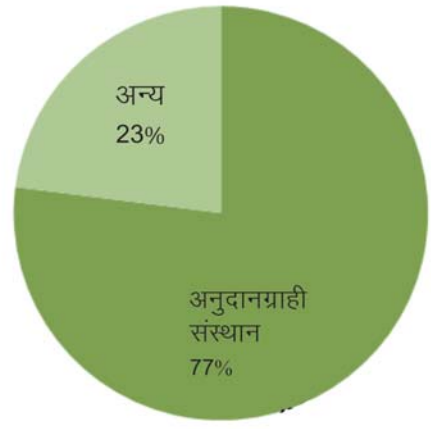

4.1 हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच)

हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) की स्थापना सरकार के प्रस्ताव द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वर्ष 1993 में की गई थी। डीजीएच के उद्देश्य तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों के सुचारू प्रबंधन का संवर्धन करना हैं। डीजीएच को प्रमुख क्षेत्रों के रिज़र्वायर निष्पादन की समीक्षा सहित खोजे गए क्षेत्रों व अन्वेषण ब्लॉकों की उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं, अन्वेषण एवं उत्पादन संबंधी गतिविधियों में निवेश व निगरानी से संबंधित विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके अलावा, डीजीएच को गैर–पारंपरिक हाइड्रोकार्बन ऊर्जा स्रोतों के भावी अन्वेषण और विकास के लिए नए/ गैर–अन्वेषित क्षेत्रों को आरंभ करने के कार्य में भी संलग्न किया गया है।

डीजीएच पूर्ण रूप से तेउविबो द्वारा वित्त पोषित है। वर्ष 2014–15 के दौरान, तेउविबो ने डीजीएच को 137.95 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया। डीजीएच ने निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों को वर्ष 2014–15 के दौरान निष्पादित किया।

i) भावी अन्वेषण के लिए नए क्षेत्रों की शुरूआत

अन्वेषण के लिए नए क्षेत्रों की शुरूआत करने को ध्यान में रखते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शीघ्र ही नेल्प के दसवें संविदा चक्र (नेल्प–10) को आरंभ करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके अन्तर्गत ब्लॉकों को समरूप लाइसेंसिंग नीति के तहत परंपरागत व गैर परंपरागत हाइड्रोकार्बन संसाधनों के अन्वेषण और अवशोषण करने की पेशकश की जाएगी । अब तक, कुल 52 ब्लॉकों को, वांछित सांविधिक अनुमतियां प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित किया गया है । इस दौर के लिए एक उपयुक्त संविदा मॉडल को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य, सरकार के प्रक्रियाधीन है ।

ii) नेल्प का कार्यान्वयन

भारत सरकार की नेल्प नीति के माध्यम से अन्वेषण एवं उत्पादन क्षेत्र के विकास को काफी बढ़ावा मिला है, जिसने इस क्षेत्र में व्यापक उदारीकरण को बढ़ावा दिया है, और इसे निजी और विदेशी निवेश के लिए खोल दिया है, जिसके लिए 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) स्वीकृत है ।

नेल्प बोली दौर ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा, विभिन्न निजी और विदेशी कंपनियों को आकर्षित किया है।

वर्तमान में नेल्प के अंतर्गत 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, 40 निजी और 22 विदेशी कंपनियां ऑपरेटर्स और गैर ऑपरेटर्स/संघ भागीदारों के तहत काम कर रही है। नेल्प के नौ रांउड के निष्कर्ष के पश्चात अब तक 254 ब्लॉकों को अन्वेषण एवं उत्पादन के लिए सौंपा गया । 254 ब्लॉकों में से, वर्तमान में 90 ब्लॉक परिचालनरत हैं, 9 ब्लॉकों में पीईएल (पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस) देना बाकी हैं। जबकि 133 ब्लॉकों का परित्याग कर दिया गया है और अन्य 22 ब्लॉकों का परित्याग प्रस्तावित है।

नेल्प के अंतर्गत 47 ब्लॉकों में कुल 142 तेल एवं गैस खोजे हुई। वर्ष 2014–15 के दौरान नेल्प के अंतर्गत 7 ब्लॉकों में 5 तेल और 4 गैस की खोजें की गई।

iii) उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं की निगरानी :

भारत सरकार ने 28 खोजे गए क्षेत्रों, 33 सीबीएम ब्लॉकों, नेल्प–पूर्व व्यवस्था के तहत 28 अन्वेषण ब्लॉकों और नेल्प व्यवस्था के तहत 254 ब्लॉकों की संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं । डीजीएच भारत सरकार की ओर से, प्रत्येक ब्लॉक / क्षेत्र के लिए स्थापित की गई प्रबंधन समितियों के माध्यम से इन उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के कार्यान्वयन तथा प्रबंधन की निगरानी करता है।

वर्ष 2014–15 के दौरान, पीएससी व्यवस्था के तहत क्षेत्रों/ब्लॉकों द्वारा 11.78 मिलियन मीट्रीक टन तेल और 8.91 बिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया गया ।

iv) क्षेत्रीय विकास, रिज़र्वायर व उत्पादन संबंधी निगरानी

उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज़) व्यवस्था के तहत विभिन्न क्षेत्रों की विकास संबंधी गतिविधियों की निगरानी की जाती है तथा खोजों की रिज़र्वायर पुनरीक्षा, संभावित वाणिज्यिक हित, वाणिज्यत्व की घोषणा (डीओसीज़) तथा क्षेत्रीय विकास योजना (एफडीपी) आदि के संदर्भ में अन्वेषण ब्लॉक की गतिविधियों का कार्यान्वयन भी किया जाता है। वर्ष 2014–15 के दौरान 8 वाणिज्यत्व की घोषणा (डीओसीज) की समीक्षा की गई और 5 क्षेत्रीय विकास योजनाओं (एफडीपी) को मंजूरी दी गई। लगातार निगरानी से ओएनजीसी के तीन अनुसंधानों करण–नागर–1, वदाताल–1 और पश्चिमी पतन–3, का मुद्रीकरण हुआ। वर्ष 2014–15 के दौरान पीएससी व्यवस्था के अंतर्गत 21 हाइड्रोकार्बन खोजें की गई।

v) नेशनल डेटा रिपॉजिटरी (एनडीआर):

क) एनडीआर परियोजना के लिए स्थल तैयार करने का कार्य तेउविबो भवन, नोएडा में डीजीएच के कार्यालय के 5वें और 6वें तल पूर्ण कर लिया गया।

ख) एनडीआर स्थल पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्राप्त हो गए है।

ग) हार्डवेयर की कमीशनिंग और सॉफ्टवेयर का समेकन पूरा हो चुका है।

घ) डीजीएच प्रतिनिधियों का एमडीएस, रिकॉल और सिस्टम प्रबंधन के साथ–साथ एनडीआर संचालन तथा रखरखाव सेवाएं जैसे डेटा लोडिंग, ब्राउजिंग और अन्य कार्यक्षमताओं आदि पर ठेकेदार द्वारा प्रशिक्षण पूरा हो गया है।

ड) एनडीआर परियोजना के निर्माण का चरण पूरा हो गया है और सभी प्रणाली विन्यास (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग) का पॉयलेट डेटा पर परीक्षण किया।

च) निर्माण चरण के तुरंत बाद एनडीआर का प्रारंभिक कार्य आरंभ कर दिया गया।

vi) कोल बेड मीथेन (सीबीएम) :

कोल बेड मीथेन पॉलिसी 1997 में तैयार की गयी। पॉलिसी के अंतर्गत 4 वैश्विक बोली रॉउंड के द्वारा 36 सीबीएम ब्लॉकों में सीबीएम संसाधनों के अन्वेषण और उत्पादन का कार्य सौंपा गया। विभिन्न कंपनियां जिसमें निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियां शामिल है, को 33 सीबीएम ब्लॉक आबंटित किए गए। जिसमें से तीन ब्लॉक नामांकित थे।

कुल 33 ब्लॉकों में से, 1 सीबीएम ब्लॉक वाणिज्यिक उत्पादन कर रहा है, 7 सीबीएम ब्लॉक विकास के चरण में हैं, 6 सीबीएम ब्लॉक अंवेषण चरण में है, 3 सीबीएम ब्लॉक राज्य सरकार से पीईएल के इंतजार में है, 4 सीबीएम ब्लॉकों का ठेकेदार द्वारा अपर्याप्त समृद्धि के कारण परित्याग कर दिया और 12 सीबीएम ब्लॉक परित्याग करने की प्रक्रिया में हैं। 14 सक्रिय ब्लॉकों (विकास और अंवेषण चरण) में से 5 ब्लॉकों, (1 वाणिज्यिक उत्पादन और 4 सीबीएम ब्लॉक आकस्मिक गैस का उत्पादन कर रहे हैं) में उत्पादन शुरू हो गया है। और 3 से ज्यादा सीबीएम ब्लॉकों में वित्तीय वर्ष 2016–17 तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है।

वर्तमान में सीबीएम उत्पादन (परिक्षण उत्पादन के साथ) 5 सीबीएम ब्लॉक से प्राप्त हो रहा है देश में वर्तमान सीबीएम उत्पादन लगभग 7.69 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन है।

देश में 8 ब्लॉकों में सीबीएम का अनुमानित भंडार 9.9 टीसीएफ (ट्रिलियन क्यूबिक फीट) या 280.22 सीबीएम (अरब घन मीटर) है। जिसमें से 7 ब्लॉक विकास चरण में है और 1 उत्पादन चरण में है।

vii) अनिवार्यता प्रमाणपत्र :

वर्ष 2014–15 के दौरान, डीजीएच द्वारा कुल 14166 अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी किए गए, जिनका सीआईएफ मूल्य 3796.30 करोड़ रुपए है।

viii) शेल ऑयल तथा शेल गैस :

शेल गैस और शेल ऑयल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2013 में राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) के लिए नामित भूभागों में शेल तेल तथा शेल गैस संसाधनों की खोज एवं दोहन हेतु की गई थी। नीति दिशानिर्देशों के अनुसार ओएनजीसी तथा ओआईएल को पहले चरण के तहत आकलन हेतु क्रमशः 50 और 5 ब्लॉकों में शेल गैस और शेल तेल अंवेषण करना है। ओएनजीसी कैम्बे, कावेरी, कृष्णा गोदावरी और असम तथा अराकान बेसिन में शेल गैस और तेल अंवेषण कर रहा है तथा ओआईएल असम और राजस्थान बेसिन में शेल गैस और तेल अंवेषण गतिविधियां कर रहा हैं।

4.2 पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए)

पीसीआरए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में वर्ष 1978 में स्थापित की गई एक सोसायटी है । एक गैर–लाभकारी संगठन के रूप में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात उद्योग, कृषि, परिवहन, घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ऊर्जा कार्यक्षमता को बढ़ावा देने के कार्य में संलग्न पीसीआरए, एक राष्ट्रीय सरकारी एजेंसी है। यह सरकार को तेल की आवश्यकता के संबंध में देश की अत्यधिक निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से पेट्रोलियम संरक्षण के लिए नीतियों और रणनीतियों को प्रस्तावित करने में सहायता प्रदान करता है । इन वर्षों में, पीसीआरए ने पर्यावरण संरक्षण और उचित विकास की प्राप्ति के उद्देश्य से ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के उपयोग के लिए उत्पादकता में सुधार लाने में अपनी भूमिका को बढ़ा लिया है ।

वर्ष 2014–15 के दौरान, तेउविबो द्वारा पीसीआरए को प्रशासनिक व्यय सहित अपनी गतिविधियों के निष्पादन हेतु 40.86 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2014–15 के दौरान, पीसीआरए ने ऊर्जा ऑडिट, चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम, तकनीकी कार्यशालाओं, सेमिनारों, शिक्षा अभियान, तेल एवं गैस संरक्षण पखवाड़ा और मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम सहित ऊर्जा कुशल उत्पादों/प्रक्रियाओं के विकास के लिए परियोजनाओं के प्रायोजन द्वारा अनुसंधान और विकास संबंधी विभिन्न क्षेत्रीय गतिविधियों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण और कुशल उपयोग के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य किया है। पीसीआरए के अनुसार, इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों का संचालन किया गया था। वर्ष के दौरान प्रमुख गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है:–

i) क्षेत्रीय गतिविधियां

क्षेत्रीय गतिविधियां पीसीआरए प्रचालनों के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। क्षेत्रवार क्षेत्रीय गतिविधियों के माध्यम से, पीसीआरए इंजीनियर और इसके सूचीबद्ध विशेषज्ञ नवीन ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के अभिलक्षित समूहों तक पहुंचते हैं। ये गतिविधियां विभिन्न क्षेत्रों अर्थात उद्योग, परिवहन, घरेलू, कृषि और वाणिज्यिक क्षेत्र में हमारे देश की सामाजिक – आर्थिक स्थिति के एक बड़े दायरे को कवर करने के लिए तैयार की गई हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान, देश भर में कुल 8500 क्षेत्रीय गतिविधियां चलाई गईं थीं।

ii) औद्योगिक क्षेत्र

ऊर्जा दक्षता अध्ययन/ ऊर्जा ऑडिट:

पीसीआरए द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा कार्यक्षमता संबंधी अध्ययनों का आयोजन किया जाता है, जिसमें ऊर्जा ऑडिट, ईंधन तेल नैदानिक अध्ययन और लघु उद्योगों का आडिट शामिल है । वर्ष 2014–15 के दौरान पीसीआरए ने इस क्षेत्र में कुल 822 ऊर्जा दक्षता अध्ययन किए।

- **तकनीकी सेमिनार**

पीसीआरए ने विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों के लाभ के लिए वर्ष 2014–15 के दौरान देश के विभिन्न

भागों में 131 सेमिनारों/तकनीकी बैठकों का आयोजन किया ।

- **संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम**

पीसीआरए के संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों (आईटीपी) में संरक्षण के अवसरों के संबंध में उद्योग के सदस्यों की जागरूकता के स्तर को ऊपर उठाने के लिए अभिलक्षित किया जाता हैं जिन्हें उनके संयंत्र की ऊर्जा लेखा परीक्षा के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। वर्ष 2014–15 में, पीसीआरए ने विभिन्न उद्योगों में 507 औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

- **औद्योगिक कार्यशालाएं**

पीसीआरए द्वारा उद्योगों में ईंधन और ऊर्जा की बचत के सुझावों पर क्लिपिंग और फिल्मों के प्रदर्शन के साथ–साथ ऊर्जा और ईंधन की बचत के उपायों को कवर करती 520 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

पीसीआरए, परफार्म एचीव एंड ट्रेड (पीएटी) योजना के तहत उद्योगों के लिए उर्जा दक्षता कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है।

- **ऊर्जा ऑडिटर्स का पैनल**

इन वर्षो में, पीसीआरए, देश में गुणवत्ता ऊर्जा लेखा परीक्षकों, के पैनल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिनकी सेवाएं उद्योग और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए उपलब्ध हो सकें। पैनल समिति में बीईई, एनपीसी, टेरी तथा पीसीआरए के सदस्य शामिल हैं। आज, पीसीआरए ऊर्जा परीक्षकों के पैनल में 83 परीक्षक हैं, जो भारतीय उद्योग के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे है।

iii) परिवहन क्षेत्र

पीसीआरए द्वारा चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम, मॉडल डिपो परियोजना (एसटीयूज़), निजी बेड़ों के प्रचालकों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को बेहतर रखरखाव कार्यवाहियों, बेहतर ड्राइविंग आदतों, मॉडल डिपो अध्ययनों, उत्सर्जन जागरूकता कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, क्लीनिकों आदि के माध्यम से पेट्रोल, डीजल, स्नेहकों तथा ग्रीसों के उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देश में विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है । वर्ष 2014–15 के दौरान 27334 ड्राईवरों में से 25 को ड्राईवर प्रशिक्षण कार्यक्रम में और 22539 को भारी वाहन चालक श्रेणी के अंतर्गत परिवहन कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया।

iv) कृषि क्षेत्र

पीसीआरए के कृषि क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास वैन प्रचार, किसान मेलों और कृषि कालेजों के छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों पर संकेंद्रित हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान, पीसीआरए ने 64 किसान मेलों और 718 कार्यशालाओं में भाग लिया, जिनमें ईंधन की बचत से संबंधित सुझावों के बारे में पीसीआरए द्वारा निर्मित क्लिपिंगों और फिल्मों का के प्रदर्शन किए गए थे ।

v) घरेलू क्षेत्र

- **एलपीजी / मिट्टी के तेल बचत पर कार्यशालाएं**

वर्ष के दौरान पीसीआरए गतिविधियों का ध्यान एलपीजी और मिट्टी के तेल के संरक्षण पर अभिलक्षित करते हुए बेहतर खाना पकाने की आदतों के संबंध में महिलाओं को शिक्षित करने, ईंधन कुशल चूल्हों और प्रकाश व्यवस्था उपकरणों के उपयोग, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे कि सौर, बायो गैस आदि के उपयोग पर संकेंद्रित था । इसके लिए पीसीआरए द्वारा निर्मित फिल्मों की सहायता ली गई थी । पीसीआरए द्वारा वर्ष 2014– 15 के दौरान 1152 जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ।

- **सुरक्षित भविष्य –युवाओं के लिए कार्यक्रम**

पीसीआरए ने स्कूलों से संपर्क साधते हुए युवाओं के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया । इनमें प्रश्नोत्तरी, निबंध, वाद–विवाद और ऊर्जा संरक्षण से संबंधित विषयों पर चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन शामिल थे। पीसीआरए

का उद्देश्य, युवा मन को ऊर्जा संरक्षण के मुद्दो से अवगत कराना और अपने घरेलू और व्यावसायिक जीवन के बढ़ते हुए दायरों में तेल संरक्षण की जरूरत को लागू करने और उसे बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना है। पीसीआरए ने एनसीईआरटी की स्कूल की किताबों में ईंधन दक्षता का पाठ शामिल किए जाने के प्रयास आरंभ कर दिए हैं।

vi) अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय नेटवर्किंग

ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में जापान के साथ सहयोग करने के लिए भारत सरकार की पहल के रूप में, पीसीआरए ने नई दिल्ली में 28 जून, 2006 को ''ऊर्जा संरक्षण केंद्र जापान (ईसीसीजे)'' के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पीसीआरए और ईसीसीजे के बीच सहयोग के लिए इस समझौता ज्ञापन की वैधता जून 2014 तक जारी रही है।

यह समझौता ज्ञापन जीएचजी उत्सर्जन को घटाने, स्वच्छ प्रौद्योगिकी को आरंभ करने, विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अपनायी गई सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए ऊर्जा कार्यक्षमता, लेबलिंग को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ संयुक्त रूप से सहयोग कार्यक्रमों को आरंभ करने के लिए किया गया ।

वर्ष 2014–15 के दौरान, सेमिनारों, तकनीकी बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, और ऊर्जा आडिटों जैसी गतिविधियों को संयुक्त रूप से आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय/प्रादेशिक उद्योग निकायों जैसे कि ऊर्जा कार्यक्षमता ब्यूरो (बीईई), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की), भारतीय वाणिज्य और उद्योग संबद्ध मंडल (एसोचैम), पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर (पीएचडीसीसीआई), भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी), आदि के साथ पीसीआरए सक्रियता से जुड़ा रहा । ये संयुक्त कार्यक्रम लक्षित दर्शकों के लिए ऊर्जा कार्यक्षमता के मुद्दे को प्रभावी ढंग से सुलझाने की दिशा में अति उपयोगी सिद्ध हुए।

vii) अनुसंधान और विकास

पीसीआरए ने ऊर्जा का अधिकतम उपयोग और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए उद्देश्य से उद्योग और परिवहन क्षेत्रों के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं आरंभ और प्रायोजित की हैं। पीसीआरए, नई अनुसंधान एवं विकास प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है तथा विशिष्ट क्षेत्र में तेल और गैस संरक्षण की उन्नत तकनीक, प्रक्रिया व उत्पादों के विकास, प्रदर्शन व कार्यान्वयन को प्रायोजित करता है। पीसीआरए, पायलट परियोजनाओं के रूप में यंत्रों, उपकरणों या उपस्करों के क्षैत्रीय परीक्षण की सिफारिश करता है और क्षेत्रीय परीक्षण के सफल समापन के पश्चात् प्रौद्योगिकी हस्तांरण के द्वारा उत्पादों या कार्यविधि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देता हैं।

पीसीआरए द्वारा पूरी की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :

क्रं सं.	विवरण	परियोजनाओं की संख्या	पीसीआरए की लागत	उद्योगों/संस्थानों का भाग
1	आंबटित परियोजनाएं	2	28.89 + कर	7.1
2	पूरी की गई परियोजनाएं	5	97.96	79.3
3	चालू परियोजनाएं	8	157.99 + कर	76.55
4	एससीएम द्वारा स्वीकृत नई आर एंड डी परियोजनाए	5	109.83 + कर	106.5 + कर

viii) शिक्षा अभियान

ऊर्जा क्षमता के बारे में व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए, ऊर्जा बचत उपायों और तकनीकों के प्रचार प्रसार द्वारा क्षेत्र विशिष्ठ के प्रयोक्ताओं तक पहुंच बनाई जाती है। इसके अलावा, देश की कुल जनसंख्या के 40 प्रतिशत से भी अधिक बच्चे और युवा, जो देश का भविष्य हैं, को छोटी आयु से ही उनके सुलभ मन में उर्जा दक्षता की आदत डालने की दृष्टि से लक्षित किया जा रहा है।

पीसीआरए ने इस वर्ष सोशल मीडिया जैसे फैसबुक, ट्विटर, गुगल+, यूट्यूब, और My Gov जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग जागरूकता को बढावा देने के लिए किया। पीसीआरए ने इन मीडिया पर अपना खाता खोला और प्रतिदिन संदेशों को अद्यतन किया और सभी प्लेटफार्मों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। रूचि पैदा करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और मंच प्रदान किया गया। OCCF-2015 का विषय ''ईधन बचाओं जन धन बचाओं'' My Gov पर विजेता प्रविष्टियों में से एक थी।

ix) शिक्षा अभियान

मेगा अभियान – 2014 को प्रिंट, टीवी और रेडियों मीडिया के तहत ऐजेंसियों जैसे डीएवीपी, आकाशवाणी, दूरदर्शन के माध्यम से शुरू किया गया। इस अभियान की मुख्य विशेषता, नए रेडियो जिंगल थे जिन्हें श्री धर्मेन्द्र प्रधान, माननीय राज्य मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा राष्ट्र को दी गई अपील के साथ रेडियो पर प्रसारित किया।

x) तेल एवं गैस संरक्षण पखवाड़ा 2015

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल एवं गैस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तत्वाधान में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) ने 16 से 31 जनवरी 2015 तक तेल एवं गैस संरक्षण पखवाड़े (ओजीसीएफ) का आयोजन लोगों को पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण एवं दक्ष उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए किया।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय राजधानी में ओजीसीएफ 2015 के उद्घाटन समारोह के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। उदघाटन समारोह की अध्यक्षता माननीय राज्य

(माननीय पेट्रोलियम मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ओजीसीएफ–2015 के उद्घाटन के लिए द्वीप प्रज्वलित करते हुए)

मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र प्रधान, माननीय राज्य मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की गई और सरकारी कार्मिकों/तेल उद्योगों के कार्मिकों/स्कूली बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान माननीय मंत्री द्वारा तेल और गैस संरक्षण की शपथ दिलवाई गई। कार्यक्रम में संरक्षण पर किए गए काम के साथ–साथ, संरक्षण पर निबंधन व चित्रकला प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार दिए गए। इसके साथ–साथ राज्यों की राजधानियों में भी कार्यक्रम आरंभ हुए, जहां राज्यपालों, मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

पखवाड़े के दौरान पीसीआरए और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रों अर्थात् परिवहन, उद्योग, कृषि, वाणिज्य व घरेलू में विभिन्न जन चेतना के क्रिया–कलापों द्वारा तेल और गैस संरक्षण के संदेश को फैलाने तथा जन समुदाय को इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर शिक्षित किया।

ओजीसीएफ 2015 के दौरान माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने निंबधन व चित्रकला प्रतियोगिता के प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता तथा एफएसएल की विजयी टीम को विभिन्न उर्जा दक्षता गतिविधियों को सीखने के लिए जापान जैसे देश में अध्ययन दौरे पर भेजने की घोषणा की।

4.3 उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) :

उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीएचटी) को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (पे. एवं प्रा. गैस) द्वारा वर्ष 1987 में रिफाइनरी प्रक्रियाओं, पेट्रोलियम उत्पादों, योजकों, कच्चे तेल, उत्पादों व गैस के भंडारण और रखरखाव के क्षेत्र में अधिग्रहण, विकास और अपनाने की भावी प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए तेल उद्योग की एक विशेषज्ञ एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था।

उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र, भारत सरकार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तकनीकी विंग के रूप में कार्य करता है। उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र के प्रमुख कार्यों में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता का आकलन करने के साथ–साथ रिफाइनरियों के प्रचालनात्मक निष्पादन का

मूल्याकंन तथा इनका सुधार शामिल हैं। उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र केंद्रीकृत तकनीकी सहायता, ज्ञान प्रसार, कार्य निष्पादन डेटा बेस, सूचना और अनुभव के आदान–प्रदान के संदर्भ में तेल उद्योग के एक केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्यरत है। उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र परिशोधन और विपणन क्षेत्रों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के वित्त पोषण का समन्वयन करता है तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ''हाइड्रोकार्बन वैज्ञानिक परामर्श समिति'' के कार्यक्रमों तथा इसके साथ–साथ हाइड्रोजन संचित निधि (एचसीएफ) के तहत परियोजनाओं के कार्य को भी देखता है।

वर्ष 2014–15 के दौरान, उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र को अनुदान के रूप में 10.38 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र के अनुसार, इस वर्ष के दौरान प्रमुख निष्पादित गतिविधियां निम्नलिखित हैं :

i) ऑटो ईंधन विजन और नीति 2025

उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र ने ''ऑटो ईंधन विज़न और नीति 2025'' का प्रारूप तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह को व्यापक तकनीकी और सचिवीय सहायता प्रदान की। समिति ने मई 2014 में अपनी रिपोर्ट दे दी है। देश में ऑटो ईंधन की गुणवत्ता को उन्नत बनाने के लिए अनुवर्तन कार्रवाई विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाई गई रूपरेखा के अनुसार चरणगत रूप में जारी है।

ii) 19वीं रिफाइनरी प्रौद्योगिकी बैठक (आरटीएम)

'उभरती रिफाइनरी और उर्जा परिदृश्य' विषय के साथ वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रिफाइनिंग सम्मेलन और प्रदर्शन का सफल आयोजन उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) द्वारा चैन्नई में 12 नवंबर से 14 नवंबर, 2014 के बीच किया। रिफाइनरी प्रौद्योगिकी बैठक (आरटीएम) का शुभांरम्भ श्री सौरभ चन्द्रा, आईएएस सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया गया । जिसमें तकनीकी उन्नतियों, भारतीय रिफाइनिंग क्षेत्र में हुए नवीनतम विकासों का प्रदर्शन किया और रिफाइनरी प्रचालकों, प्रमुख प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, अनुसंधान कर्ताओं आदि के बीच तकनीकी विचारों को साझा, मेलजोल और आदान प्रदान के लिए मंच प्रदान किया गया। 11 सार्वजनिक कंपनियों और 46 संयुक्त उद्यमियों/निजी/विदेशी कंपनियों के साथ 635 अतिथियों ने बैठक में भाग लिया।

iii) वर्ष 2013–14 के लिए रिफाइनियों के उर्जा निष्पादन के लिए जवाहरलाल नेहरू शताब्दी पुरस्कार

सीएचटी द्वारा विशिष्ट उर्जा खपत एमबीटीयू/बीबीएल/एनआरजीएफ के संदर्भ में निजी रिफाइनरियों, एस्सार और रिलायंस के साथ पीएसयू की रिफाइनरीयों के उर्जा निष्पादन का संकलन और मूल्यांकन कार्य पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित 2013–14 के 'जवाहरलाल नेहरू शताब्दी पुरस्कार' के वितरण हेतु किया। विजेता रिफाइनियों को 12 नवम्बर 2014 को 19 वें आरटीएम के उद्घाटन सत्र के दौरान सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए।

iv) 2014 के लिए आयल गैस संरक्षण पुरस्कार

इस कार्यक्रम के भाग के रूप में जनवरी 2014 में उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा 'भट्टी /बॉयलर इंसुलेशन प्रभावशीलता' और 'भट्टी/बॉयलर दक्षता' के क्षेत्र में सर्वेक्षण का आयोजन किया गया। यह सर्वेक्षण रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जामनगर रिफाइनरी और एस्सार ऑयलर लिमिटेड की वाडीनार रिफाइनरी सहित सभी रिफाइनरी में एक साथ किया गया था। विजेता रिफाइनियों को 12 नवम्बर 2014 को 19 वें आरटीएम के उद्घाटन सत्र के दौरान सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए।

v) रिफाइनरियों का जीएचजी (कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष) सूची निष्पादन के लिए विधि विज्ञान को अंतिम रूप देना

रिफाइनरियों की ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) सूची बैंचमार्किंग के लिए सीएचटी सभी रिफाइनरी के परामर्श से निष्पादन की तुलना के लिए

सीएचजी उत्सर्जन के संदर्भ में अंतिम रूप देती है और इनके मूल्यांकन के लिए कार्बन वेटेज टनेज (सीडब्ल्यूटी) के उपयोग का निर्णय लिया गया है।

vi) गतिविधि समिति बैठकें

सीएचटी ने सर्वोतम प्रचालन प्रविधियों एवं सुधारों की साझेदारी तथा नवीनतम विकासों पर सूचनाओं के प्रसार के ध्येय के साथ रिफाइनरी प्रचालनों के प्रमुख क्षेत्रों एवं पाइपलाइनों पर गतिविधि समिति की बैठकें आयोजित की।

vii) अन्य गतिविधियां

- सीएचटी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को विश्लेषण/सिफारिशों हेतु जमा की गई और विभिन्न परियोजनाओं के मदों के आयात के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करने हेतु आवेदनों की समीक्षा और जांच की।
- सीएचटी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में क्यूपीआर बैठकों के लिए रिफाइनरी के निष्पादन के विश्लेषण पर समेकित रिपोर्ट तैयार करने के बाद जमा की।
- सीएचटी के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भेजी गई विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों की समीक्षा की और जांच की तथा विश्लेषण और सिफारिशों के लिए जमा की।

4.4 तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक तकनीकी निदेशालय है और जिसे पेट्रोलियम उद्योग में मानक तैयार करने, सुरक्षा जांच के माध्यम से सुरक्षा स्तर को बढ़ावा देने तथा इस उद्योग में अंतर्निहित सहज जोखिम को कम करने हेतु इनके क्रियान्वयन की देखरेख का दायित्व सौंपा गया है। ओआईएसडी मानकों में हाइड्रोकॉर्बन क्षेत्र अर्थात अंवेषण और उत्पादन, रिफाइनिंग गैस प्रसंसाधन, भण्डारण, वितरण, परिवेश आदि से संबंधित सभी गतिविधियां शामिल की गई हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा स्वविनियामक आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2014–15 के दौरान तेउविबो द्वारा ओआईएसडी को रूपये 14.83 करोड़ का अनुदान जारी किया गया। ओआईएसडी के अनुसार, वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां निष्पादित की गईं :

परादीप रिफाइनरी की पॉली प्रॉलीन इकाई के शिलान्यास समारोह में सम्बोधन करते हुए माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

i) ओआईएसडी द्वारा सुरक्षा ऑडिटः वर्ष 2014–15

ओआईएसडी द्वारा ओआईएसडी मानकों का उनके द्वारा अनुपालन करने को मॉनीटर करने के लिए सभी तेल और गैस प्रतिष्ठानों के आवधिक सुरक्षा जांच की जाती है । ओआईएसडी द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान किए सुरक्षा ऑडिटों को नीचे दर्शाया गया है :

गतिविधियां	मद	योजन	वास्तविक
कोर ओडिट			
रिफाइनरी और गैस संसाधन संयंत्र	संख्या	19	18+21*
एलपीजी टर्मिनल	संख्या	01	01
विपणन संस्थापनाएं	संख्या	60	53+36*
अन्वेषण एवं उत्पादन तटीय संस्थापनाएं	संख्या	60	62
अन्वेषण एवं उत्पादन अपतटीय संस्थापनाएं	संख्या	10	10
क्रास कंट्री पाइप लाइनें	संख्या	5000	5869
अतिरिक्त ऑडिट पाइप लाइन इंस्टालेशन			
हाइड्रोकॉर्बन परिवहन के लिए जैटी पाइपलाइनें	संख्या	01	
पइपलाइंस क्रूड टैंक फार्म्स	संख्या	02	
एसपीएम संस्थापनाएं	संख्या	02	

*पूर्व कमीशनिंग सुरक्षा ऑडिट (पीसीएसए)

ii) पूर्व कमीशनिंग सुरक्षा ऑडिट (पीसीएसए)

सुरक्षित व उत्पादक पूंजीकरण सुनिश्चित करने और इसके द्वारा बड़े पैमाने पर जनता के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति करने के लिए ओआईएसडी तेल व गैस उद्योगों में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का पूर्व कमीशनिंग सुरक्षा ऑडिट करता है ये ऑडिट वहां आयोजित किए जाते हैं जहां ग्रीनफील्ड विस्तार और मौजूदा लोकेशनों पर मुख्य अतिरिक्त सुविधाएं भी स्थापित की जा रही हैं ताकि निर्माण अवस्था पर ही ओआईएसडी मानकों के मुताबिक इन सुविधाओं का प्रारंभ से ही अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

वर्ष 2014–15 के दौरान, उद्योग सदस्यों के अनुरोध पर इस प्रकार के 57 ऑडिट किए गए। इस संदर्भ में 8 पाइपलाइन इंस्टोलेशनों को कवर करने वाली 270 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का भी ऑडिट किया गया ।

iii) अपतटीय इंस्टोलेशनों के लिए ''प्रचालन सहमति''

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (अपतटीय परिचालनों में सुरक्षा) नियमावली, 2008 के कार्यान्वयन की निगरानी रखने के सक्षम प्राधिकरण के तौर पर ओ आई एस डी, ड्रिलिंग रिगों सहित अपतटीय इंस्टोलेशनों में ''प्रचालन की सहमति'' प्रदान करता है। वर्ष 2014–15 के दौरान, 07 ड्रिलिंग प्लेटफार्मों, 11 ड्रिलिंग रिगों में ''प्रचालन की सहमति'' प्रदान की गई है।

iv) तकनीकी संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाएँ

उद्यतन प्रौधोगिकीय विकास पर चर्चा करने, घटना अनुभव साझा करने आदि के लिए ओआईएसडी द्वारा तेल उद्योग के लिए तकनीकी संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं । वर्ष 2014–15 के दौरान, ओआईएसडी ने निम्नलिखित संगोष्ठियों/कार्यशालाएं आयोजित की :

(1) 25 अगस्त, 2014 को "क्रास कंट्री ऑयल व गैस पाइपलाइनों की सुरक्षा व विश्वसनीयता" पर एकद्विवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

(2) 17–18 नवम्बर, 2014 के दौरान "ऑयल व गैस उद्योग में प्रक्रिया सुरक्षा कार्यान्वयन को बढ़ावा" विषय पर एपीआई के साथ संयुक्त संगोष्ठी आयोजित की गई।

(3) दिनांक 20 फरवरी 2015 को " पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण सुरक्षा बिंदु" विषय पर गेल इंडिया के साथ संयुक्त तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

v) तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कारों के माध्यम से उद्योग में सुरक्षा निष्पादन को प्रोत्साहन

उद्योग सदस्यों के सुरक्षा निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन विशेष रूप से विकसित कार्यप्रणाली द्वारा किया जाता है, जिसमें जुड़े खतरों, वर्ष के दौरान दर्ज की गई घटनाओं और इंस्टोलेशन की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को

माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली में तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कार समारोह में योग्य विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करते हुए।

संज्ञान में लिया जाता है। वर्ष के दौरान असाधारण सुरक्षा निष्पादन हासिल करने वाले संगठनों को तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कारों से नवाजा जाता है। इसके अलावा, संबंधित इंस्टालेशनों में सुरक्षा की दिशा में असाधारण योगदान करने वाले व्यक्तियों को भी प्रोत्साहित किया जाता है और इस प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

वर्ष 2012–13 के लिए प्राप्तकर्ताओं को तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कार 3 दिसम्बर, 2014 को नई दिल्ली में हुए भव्य समारोह में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस द्वारा प्रदान किए गए।

vi) पुरानी क्रास कंट्री पाइपलाइनों के विश्वसनीयता आकलन के संबंध में एसओपी

पुरानी परिसंपत्तियों के आरोग्यता आकलन पर विशेष रूप से फोकस के साथ पाइपलाइनों के निरीक्षण के लिए ओआईएसडी ने एक व्यापक दस्तावेज तैयार किया है। यह दस्तावेज माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस द्वारा हाल ही में संपन्न सुरक्षा

पुरस्कार समारोह में जारी किया गया। ये मार्गनिर्देश ऑपरेटरों को पाइपलाइनों की आरोग्यता के प्रत्यक्ष मूल्यांकन के आधार पर पाइपलाइनों की मरम्मत/बदलाव के संबंध में समय पर निर्णय लेने में सक्षम बनाएंगे ।

vii) सुरक्षा परिषद

भारत में तेल व गैस उद्योग में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के सही कार्यान्वयन को सुनिश्चत करने के लिए भारत सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन शीर्षस्थ सुरक्षा परिषद स्थापित की। ओ आई एस डी सुरक्षा परिषद की सहायता करता है, जिसके प्रमुख सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं और सदस्य, स्टेकहोल्डरों के संपूर्ण विस्तार–सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी क्षेत्र और संयुक्त उद्योगों के साथ–साथ संबद्ध विशेषज्ञ निकाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुरक्षा निष्पादन की समीक्षा करने के लिए सुरक्षा परिषद वर्ष में एक बार मिलती है और 9 दिसंबर, 2014 को परिषद की 31 वीं बैठक हुई थी।

viii) सुरक्षा मानकों का विकास

ओ आई एस डी, सहभागिता प्रक्रिया के माध्यम से तेल और गैस क्षेत्र के लिए मानक/मार्गनिर्देश/अनुशंसित सिफारिशें विकसित करता है जिसमें सभी स्टेकहोल्डरों (बडे पैमाने पर जनता सहित) को शामिल किया जाता है। प्रतिनिधियों के अनुभवों का लाभ उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से जानकारी लेकर उन्हें भारतीय स्थितियों के मुताबिक अनुकूल बनाया जाता हैं। इन मानकों में इनबिल्ट डिजाइन सुरक्षा, परिसंपत्ति विश्वसनीयता और पेट्रोलियम के उत्पादन, प्रोसेसिंग, भंडारण व परिवहन के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रचालन पद्धतियां शामिल हैं। नए मानकों को विकसित करने की आवश्यकता का पता लगाने, उद्यतन प्रौद्योगिकीय विकासों के साथ साथ मौजूद वर्तमान अनुभवों को शामिल करने के लिए मौजूदा मानकों को अपडेट करने/संशोधित करने के लिए ओ आई एस डी मानकों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है। आज की तारीख तक तेल उद्योग के लिए ओआईएसडी ने 118 तकनीकी सुरक्षा मानक विकसित किए हैं। इनमे से 11 मानकों को पेट्रोलियम नियमावली और गैस सिलिन्डर नियमावली के सांविधिक प्रावधानों में शामिल भी कर लिया गया है।

वर्ष 2014–15 के दौरान, ओआईएसडी ने 5 नए मानक बनाए हैं और मौजूदा मानकों में 6 मानकों को संशोधित किया है। इसमें पी ओ एल इंस्टालेशनों के लिए व्यापक मानक शामिल हैं अर्थात स्टैंड अलोन क्रूड ऑयल भंडारण सुविधाओं सहित डिपुओं और टर्मिनलों पर पेट्रोलियम उत्पादों का भण्डारण व संभाल के संबंध में 244 ओआईएसडी मानक। इस नए मानक के निर्धारण से इन संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था में और वृद्धि होगी।

इस समय तीन नए मानक तैयार किए जा रहे हैं और मौजूदा ओआईएसडी मानकों के नौ अन्य मानक संशोधन के लिए हाथ में लिए गए हैं।

ix) घटना की जांच और विश्लेषण

ओ आई एस डी दुर्घटना के मूल कारण का विश्लेषण करने के लिए मुख्य घटनाओं (गंभीरता/क्षति के आधार पर) की जांच के साथ साथ जांच में भाग लेता है। तेल उद्योग की घटनाओं का एक डाटा बैंक बना कर रखा जाता है और रूझानों, सरोकार के क्षेत्रों और सुधारात्मक कार्रवाई का मूल्यांकन करने के लिए विश्लेषण किया जाता है। इन्हें उसी समय सुरक्षा अलर्टो, परामर्शी टिप्पणियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वेब साइट लिंकों इत्यादि के माध्यम से उद्योग को प्रसारित किया जाता है। वर्ष 2014–15 के दौरान, ओ आई एस डी द्वारा 11 बडी घटनाओं की जांच की गइ।

x) नोलेज शेयरिंगं सहयोग

इंटीरियर विभाग, यूएसए सरकार के सुरक्षा व पर्यावरणिक प्रवर्तन केन्द्र (बीएसईई) और एएलसीएचई, यूएसए के तत्वावधान में रसायन प्रक्रिया सुरक्षा केन्द्र (सीसीपीएस) के साथ मौजूदा

समझौता ज्ञापन के अलावा ओ आई एस डी ने वर्ष 2014–15 में इस क्षेत्र में और प्रगति की है।

भारत में समग्र तेल व गैस उद्योग में प्रोसेस सुरक्षा को और आगे बढाने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में उल्लेखीय पहल के तौर पर 15 मई, 2014 को ओआईएसडी ने अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट (एपीआई) – पेट्रोलियम उद्योग में मानक निर्माण में विश्व अग्रणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस ऐतिहासिक और युगांतरकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से न केवल दोनों संगठनों अर्थात ओआईएसडी और एपीआई के लिए फायदेमंद होगा बल्कि कुल मिलाकर संपूर्ण तेल व गैस उद्योग की सुरक्षा को बढाने में मील का पत्थर साबित होगा।

दोनो भागीदारों ने 'तेल व गैस इंस्टालेशनों में प्रक्रिया सुरक्षा कार्यान्वयन को बढाना' विषय पर एक संयुक्त संगोष्ठी आयोजित करके समझौता ज्ञापन पर अनुवर्ती कार्रवाई की है।

xi) अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

क. श्रेणी ए के लिए बाहरी तैरती छत वाले पेट्रोलियम स्टोरेज टैंकों के समतुल्य रिम सील फायर प्रोटेक्शन सिस्टम (आरएसएफपीएस) का आकलन।

उद्योग के साथ सहयोग से ओआईएसडी के सतत प्रयासों से छोटे व्यास (5000 कि.ली.) वाले मौजूदा बाहरी तैरती छत वाले टैंकों के मुकाबले अल्यूमीनियम जियोडेसिक डोम रूफ का प्रावधान रिम सील फायर प्रोटेशन सिस्टम में वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के तौर पर किया गया है। स्थापित की गई इस प्रकार की डोम रूफ से इन टैंकों को आंतरिक तैरती छत वाले टैंक (आईएफआरटी) माना जा सकता है, इस प्रकार उस पर आरएसएफपीएस की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

इस संदर्भ में आगे एक अन्य संभाव्य समान पद्धति–दोतारा डिटेक्शन एवं स्वचालित फोम सपरेशन तंत्र के सफल बैंचस्केल परीक्षण के परिणाम स्वरूप इस तंत्र का फील्ड निष्पादन दो टैंकों पर सफलतापूर्वक निर्धारित किया गया है इस सिस्टम को ओआईएसडी के मानक 116 व 117 में निर्धारित तंत्र के समकक्ष घोषित किया गया है।

xii) कमीशनिंग पूर्व सुरक्षा ऑडिट (पीसीएसए) और प्रचालन की सहमति संबंधी अनुमति का डिजिटीकरण।

कमीशनिंग पूर्व सुरक्षा ऑडिट (पीसीएसए) और प्रचालन की सहमति संबंधी तेल और गैस उद्योग से प्राप्त आवेदनों के प्रभावी मानीटरण को सुनिश्चित करने के लिए ओआईएसडी ने वेब आधारित सेवाएं विकसित की हैं। इन वेब आधारित सेवाओं को 1 जनवरी 2015 से उपलब्ध करवाया गया है और सभी संस्थाएं पीसीएसए और प्रचालन की सहमति संबंधपी ऑनलाइन कर रही है। ओआईएसडी प्राप्त आवेदनों के लिए वांछित स्वीकृति निर्धारित समय–सीमा में ऑनलाइन उपलब्ध करवाता है। इसके परिणाम–स्वरूप शीघ्रता से अनुमति प्राप्त होती है ओर नए/अतिरिक्त परियोजनाओं की समय पर कमीशनिंग होती है।

xiii) एम बी लाल समिति की सिफारिशों की निगरानी

समस्त तेल और गैस क्षेत्र में एम बी लाल समिति की सिफारिशों एवं ओआईएसडी–116 एवं 117 के अनुपालन की ओआईएडी तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सघन निगरानी और समीक्षा की जा रही है। इस प्रकार की नियमित समीक्षा बैठकों के परिणाम–स्वरूप सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मदों को लागू करने की गति में महत्वपूर्ण तेजी आई है।

उद्योग में लगभग 98 प्रतिशत सिफारिशों का अनुपालन हो रहा है और शेष मदों का कार्यान्वयन उन्नत चरणों में है।

xiv) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सुरक्षा विनियमक

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति और विभिन्न विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के अनुरूप ओआईएसडी ने

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सुरक्षा बोर्ड बिल का मसौदा तैयार किया है। बिल का उद्देश्य देश में समस्त पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस उद्योग में सुरक्षा संबधी विनियमों को एक छत्र के नीचे लाने वाला संगठन बनाना है। बिल सचिवों की समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा चुका है। इस विषय पर दो चक्रों की चर्चाएं हो चुकी हैं और वर्तमान में बिल सचिवों की समिति के सक्रिय विचाराधीन है।

बिल के पास होने पर देश में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस उद्योग में सुरक्षा संबंधी वैधानिक तंत्र के विखंडन से बचा जा सकेगा और इस उद्योग की सुरक्षा संबंधी मामलों को देखने के लिए तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) विधि द्वारा स्थापित एकमात्र एजेंसी होगी।

4.5 पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

दिनांक 1 अप्रैल, 2002 को पेट्रोलियम क्षेत्र में निर्देशित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) के समापन के उपरान्त, तेल समन्वय समिति (ओसीसी) को भंग कर दिया गया तथा दिनांक 1 अप्रैल, 2002 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ सरकार को इन कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए एक नए प्रकोष्ठ पेट्रोलियम आयोजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) का गठन किया गया :

(क) दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए पीडीएस मिट्टी के तेल और घरेलू एलपीजी पर सब्सिडी तथा भाड़े पर सब्सिडी का प्रबन्धन करना;

(ख) आपात कालीन और अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए सूचना डाटा बैंक तथा संचार प्रणाली का रखरखाव करना;

(ग) अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और घरेलू कीमतों में रुझान का विश्लेषण;

(घ) पेट्रोलियम आयात और निर्यात की प्रवृतियों का पूर्वानुमान और मूल्यांकन; और

(ड़) क्षेत्र विशेष अधिभार योजनाओं का संचालन, यदि कोई हो ।

वर्ष के दौरान, तेउविबो द्वारा पीपीएसी के व्यय की पूर्ति हेतु 16.25 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया। पीपीएसी के अनुसार, वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों का निष्पादन किया गया था :

i) घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य अधिसूचना

मंत्रालय के पत्र संख्या 22013/27/2012 ओएनजी डी.वी. द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन प्राकृतिक गैस की कीमतों के समय समय पर संशोधन का सूचित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने महानिदेशक, पीपीएसी को अधिकृत किया है। तदनुसार नवंबर, 2014 से मार्च, 2015 और अप्रैल 2015 से सितम्बर, 2015 तक की अवधि के लिए पीपीएसी द्वारा प्राकृतिक गैस की कीमत अधिसूचित की गई ।

ii) तेल विपणन कंपनियों के सब्सिडी एवं डीबीटीएल दावों का निपटान

पीपीएसी द्वारा संसाधित सब्सिडी दावों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दूर–दराज के क्षेत्रों के भाडा सब्सिडी के रूप में वर्ष 2013–14 के दौरान, 22.82 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। पीपीएसी ने पीडीएस केरोसीन एवं घरेलू एलपीजी सब्सिडी योजना, 2002 के अधीन 2594.02 करोड़ रुपए के तेल विपणन कंपनियों के दावे भी आगे बढ़ाए और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्तुत किए। तथापि, भुगतान के लिए बजट निधि उपलब्ध न होने पर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसे आगे नहीं बढाया जा सका।

इसके अतिरिक्त, तेल विपणन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत और पीपीएसी द्वारा संकलित लेखा परिक्षित दावों के आधार पर वर्ष 2014 –15 के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एलपीजी के प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण (डीबीटीएल)

के प्रति 2500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।

iii) पूर्वोत्तर गैस सब्सिडी दावों का निपटान

वर्ष 2014–15 के दौरान, पीपीएसी द्वारा संसाधित दावों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नार्थ ईस्टन नेचुरल गैस को सब्सिडी के रूप में 661.04 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था ।

iv) तेल विपणन कंपनियों के अल्प वसूली दावों का निपटान

वर्ष 2014–15 के दौरान, एचएसडी, पीडीएस केरोसीन एवं सब्सिडी प्राप्त घरेलू एलपीजी पर कुल 72314 करोड़ रुपए के अल्प वसूली दावों की जांच की गई और इसकी प्रतिपूर्ति प्रणाली को पीपीएसी द्वारा तैयार किया गया । भार साझा प्रणाली के तहत, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर छूट के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की अपस्ट्रीम कंपनियों द्वारा 42822 करोड़ रुपऐ का योगदान किया गया और सरकार द्वारा नकद सहायता के रूप में 27308 करोड़ रुपए प्रदान किए गए ।

v) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) के लिए पीओएल/एलपीजी आधारित आम प्रयोक्ता सुविधा (सीयूएफ) के लिए केंद्रीकृत योजना तंत्र का विकास।

11 अप्रैल 2014 को आयोजित 13वीं गवर्निंग बॉडी बैठक में, पीपीएसी को तेल विपणन कंपनियों द्वारा बुनियादी सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के लिए सीयूएफ के एक केंद्रीकृत योजना मॉडल को विकसित करने के अध्ययन का कार्य सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा टर्मिनलों और बॉटलिंग संयंत्रों के लघुकालिक और दीर्घकालिक जरूरतों का पता लगाने का भी सुझाव दिया गया। तदानुसार, पीपीएसी ने अध्ययन किया और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

vi) अगले 5 से 10 वर्षों के लिए एलपीजी एवं बिटुमन आउटलुक

16 मई, 2014 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निर्णय लिया कि विभिन्न अवशेष अप–ग्रेडेशन और नई रिफाइनरी परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए जो पीएसयू/जेवी निजी/रिफाइनरियों द्वारा परिकल्पित हैं, अगले 5 से 10 वर्षों के लिए एलपीजी एवं बिटुमन के उत्पादन हेतु रोड मैप के संबंध में पीपीएसी द्वारा एक अध्ययन किया जाए। इस अध्ययन ने वैश्विक एलपीजी मांग आपूर्ति के परिदृश्य सहित भारत में अनुमानित रसोई गैस की मांग आपूर्ति में अंतर को अंतरदृष्टि प्रदान की है।

vii) घरेलू स्तर पर एसकेओ की खपत का अध्ययन

पीपीएसी की 13वीं गवर्निंग बॉडी बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि देश में केरोसीन की वास्तविक खपत का पता लगाने के लिए पीपीएसी एक अध्ययन करेगी। प्रारम्भ में यह अध्ययन एक बाहरी एजेंसी के माध्यम से किया जाना था, लेकिन बाद में यह निर्णय लिया गया कि जुलाई 2011 से जून 2012 के दौरान किए गए 'विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू खपत सर्वेक्षण' के उनके 68वें दौर के दौरान एनएसएसओ द्वारा एकत्रित डेटा को प्रयोग में लाया जाए।

एनएसएसओ सर्वेक्षण के 68वें दौर के डेटा के सर्वेक्षण करते हुए, यह ज्ञात हुआ कि कुल कैरोसीन खपत का 76.8% देहाती क्षेत्रों में है और पीडीएस केरोसीन की 51.3% खपत एएवाई एवं बीपीएल कार्डधारकों द्वारा हुई है। डेटा यह भी दर्शाते हैं कि उपयोग में लाया गया 75.5% केरोसीन पीडीएस स्रोतों से प्राप्त किया गया था। अध्ययन रिपोर्ट मंत्रालय को जुलाई 2014 में प्रस्तुत की गई थी।

viii) पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की नियमित समीक्षा के तंत्र को संस्थागत रूप देना।

वाणिज्य मंत्रालय ने विश्व व्यापार संगठन में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के भीतर गौण आयात को युक्तिसंगत बनाने के लिए उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के आयात की नियमित रूप से समीक्षा के लिए एक तंत्र को संस्थागत रूप देने के लिए संबद्ध विभागों/मंत्रालयों को सलाह दी थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नवम्बर, 2014 में पीपीएसी से अनुरोध किया कि वह कच्चे तेल और पेटोलियम उत्पादों के आयात की समीक्षा के लिए प्रस्तावित तंत्र पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। हितधारको से जानकारी लेकर पीपीएसी ने मामले की जॉच की और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए एक समीक्षा तंत्र प्रस्तावित किया।

ix) यूरो–IV ईधन से सीधे यूरो–VI ईधन को अपनाने के लिए गुंजाइश का आकलन

11 अप्रैल 2014 को आयोजित पीपीएसी की 14वीं गवर्निंग बॉडी बैठक में, सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस ने सलाह दी कि सीएचटी, पीसीआरए और पीपीएसी के अधिकारियों को मिलाकर एक समिति का गठन किया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल रखने के लिए यूरो–V चरण को लांघते हुए यूरो–IV से सीधे यूरो–VI ईंधन को अपनाने की गुंजाइश का आकलन करेगी। समिति के विचारविमर्श के आधार पर जनवरी 2015 में मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला है कि हवा की गुणवता की गिरावट को ध्यान में रखते हुए, देश भर में यूरो–VI उत्सर्जन मानकों को अपनाने की दिशा में तेजी से आगे बढने की जरूरत है। जबकि बीएस–V अथवा बीएस–VI की ईंधन विशिष्टताओं में कोई विशेष अंतर नहीं है, इसलिए 1.4.2020 तक बीएस–V ईंधन के स्थान पर बीएस–VI ईंधन की आपूर्ति करने में तेल उद्योग सक्षम होगा।

अध्याय-IV

वित्तीय सहायता : अनुसंधान और विकास तथा अन्य अनुदान

1. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 6 में अन्य बातों के साथ – साथ यह प्रावधान किया गया है कि तेल उद्योग के लिए उपयोगी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बोर्ड द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। हाइड्रोकार्बन विज़न 2025 में भी परिकल्पना की गई है कि तेल उद्योग विकास बोर्ड उपकर व अन्य नवीन संसाधन जुटाने के दृष्टिकोण के माध्यम से गैर–अन्वेषित / आंशिक रूप से अन्वेषित रकबों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त संसाधनों को उपलब्ध कराया जा सकता है।

2. अपस्ट्रीम क्षेत्र

अपस्ट्रीम क्षेत्र को तेउविबो द्वारा सहायता अनुदान के संबंध में तेउवि बोर्ड ने दिनांक 27.03.2014 को आयोजित अपनी 76वीं बैठक में निर्णय लिया कि ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजना / परियोजनाओं की पहचान करने और जांच करने और तेउविबो द्वारा उनके कार्यान्वयन हेतु अनुदान के रूप में निधियां प्रदान करने के लिए के लिए महानिदेशक, डीजीएच की अध्यक्षता में तथा तेउविबो के अध्यक्ष द्वारा नामित किए गए अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए एक समिति गठित की जा सकती है।

तद्नुसार, दिनांक 17.04.2009 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/5/2009 के द्वारा एक समिति का गठन तेउविबो के अनुदानों की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नानुसार किया गया : –

(i)	महानिदेशक, डीजीएच	अध्यक्ष
(ii)	सचिव, तेउविबो	सदस्य
(iii)	निदेशक (अन्वेषण), ओएनजीसी	सदस्य
(iv)	निदेशक–आईआईपी, देहरादून	सदस्य
(v)	निदेशक (आर एंड डी) – आईओसीएल	सदस्य
(vi)	निदेशक (तकनीकी) – ई आई एल	सदस्य
(vii)	महानिदेशक–पेट्रोफेड अथवा उनके नामांकित व्यक्ति	सदस्य

महानिदेशक, डीजीएच की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें सचिव, तेउविबो, निदेशक (अन्वेषण) – ओएनजीसी, निदेशक – आईआईपी, देहरादून, निदेशक (अनुसंधान और विकास) – आईओसीएल, निदेशक (तकनीकी) – ईआईएल तथा महानिदेशक – पेट्रोफेड अथवा उनके नामांकित व्यक्ति शामिल हैं के द्वारा प्रथम अवलोकन के अंतर्गत इन परियोजनाओं का निरीक्षण करती है और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है । समिति की सिफारिशें तेउवि बोर्ड को निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। वे परियोजनाएं जिन्हें तेउवि बोर्ड द्वारा 25 लाख रुपए से अधिक परिव्यय के साथ अनुमोदित किया जाता है उन्हें तेउवि बोर्ड के नियम 24 (1)(2) की शर्तों पर अनुदान जारी करने से पूर्व केंद्रीय सरकार को प्रेषित किया जाता है। स्थापना के समय से, तेउवि बोर्ड/केंद्रीय सरकार द्वारा अब तक 120 से अधिक परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। इनमें से अधिकांश परियोजनाओं के कार्य संपन्न हो चुके हैं और उन्होंने तेल उत्पादन, प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा अन्वेषण के नए क्षेत्रों की पहचान के रूप में तेल उद्योग के लिए अत्याधिक लाभ अर्जित किए हैं।

2.1 परियोजनाओं की पुनरीक्षा

तेउवि बोर्ड द्वारा महानिदेशक, डीजीएच की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें सचिव, तेउविबो, निदेशक (अन्वेषण) – ओएनजीसी, निदेशक – आईआईपी, देहरादून, निदेशक (अनुसंधान और विकास) – आईओसीएल, निदेशक (तकनीकी) – ईआईएल तथा महानिदेशक – पेट्रोफेड अथवा उनके नामांकित व्यक्ति शामिल हैं, समय–समय अपस्ट्रीम क्षेत्र में तेउवि बोर्ड द्वारा पोषित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है। उपसमिति द्वारा दी गई सिफारिशें तेउविबो के समक्ष विचारार्थ तथा जहां आवश्यक हो परियोजनाओं का कार्यान्वयन अधिक कुशलतापूर्वक किए जाने हेतु उचित दिशा–निर्देश देने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं।

2.2 अपस्ट्रीम क्षेत्र के अंतर्गत अनुसंधान और विकास परियोजनाएं – 0.31 करोड़ रुपए का अनुदान

एनजीएचपी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित तथा हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा तकनीकी रूप से संचालित, राष्ट्रीय अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों नामतः ओएनजीसी, गेल इंडिया लिमिटेड तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड, तथा राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान नामतः नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (एनआईओ), नेशनल ज्योफिज़िकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनजीआरआई) तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (एनआईओटी) का एक परिसंघ है।

राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम अभियान – 01 ने सफलतापूर्वक कृष्णा गोदावरी, महानदी और अंडमान बेसिनों में गैस हाइड्रेट की उपस्थिति को सुनिश्चित किया है । इसने भारतीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर स्थान दिलाया है। इन खोजों ने देश के साथ–साथ विदेशों में भी गैस हाइड्रेट के व्यापक और गहन अनुसंधान को प्रेरणा प्रदान की है। अध्ययनों के परिणामस्वरूप बडी संख्या में प्रकाशन तथा वैज्ञानिक डेटा भी सामने आए हैं। जैसा कि गैस हाइड्रेट अभी भी वैश्विक अनुसंधान स्तर पर है और किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक उत्पादन समुद्रीय गैस हाइड्रेट्स से सिद्ध नहीं किया गया है, इन आंकडों तथा प्रकाशनों का गैस हाइड्रेट के क्षेत्र के आगामी अनुसंधान के लिए अत्याधिक महत्व है।

वैज्ञानिक अनुसंधान संस्करण परियोजना की परिकल्पना में, सभी अनुसंधानों तथा वैज्ञानिक जांचों को एक एकल मॉड्यूल में समामेलित करने की अभिच्छा है जिससे अनुसंधानकर्ता देश में गैस हाइड्रेट के क्षेत्र में किए जा रहे वैज्ञानिक अध्ययनों की प्रगति को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम हो सकें। वैज्ञानिक अनुसंधान संस्करण का विचार, भावी वैज्ञानिकों के आगामी शोध तथा अध्ययन को बढावा देने का है । राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेंसियों के माध्यम से एनजीएचपी अभियान–01 के दौरान बडी मात्रा में उत्पन्न डेटा एनजीएचपी के भावी कार्यक्रमों के लिए भी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे ।

3. डाउनस्ट्रीम क्षेत्र

मंत्रालय द्वारा हाइड्रोकार्बन पर गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) डाउनस्ट्रीम सैक्टर से संबंधित परियोजनाओं पर विचार कर अपनी संस्तुतियां प्रदान करती है। ये परियोजनाएं मुख्यतः सीएचटी के माध्यम से वित्त पोषित की जाती हैं। वैज्ञानिक सलाहकार समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य तेल उद्योग क्षेत्रों से संबंद्ध महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इस समिति का कार्यकाल दो वर्षों का होता है जिसके पश्चात इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित किया जाता है। हाइड्रोकार्बन के लिए गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति अपनी बैठकों में डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करती है।

3.1 डाउनस्ट्रीम क्षेत्र के अंतर्गत अनुसंधान और विकास परियोजनाएं – वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी)

सीएचटी हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को अभिज्ञात करने और वित्त पोषण करने में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति के कार्यकलापों का समन्वय करता है । पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाइड्रोकार्बन संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) की 73वीं बैठक हैदराबाद में 7 अक्टूबर 2013 को आयोजित की गई थी। सीएचटी/ओआईडीबी द्वारा निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रस्तावों की संशोधन उपरांत समीक्षा की गई और उन्हें अनुमोदित किया गया :

1 बिट्स पिलानी, गोवा कैम्पस, गोवा की पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रणालियों में कोक उपशमन पर प्रायोगिक और उत्प्रेरण .अध्ययन।

2 बीपीसीएल – अनुसंधान एवं विकास द्वारा तापीय द्रव्यों तथा अन्य अनुप्रयोगों के लिए बाईफिनाइल के स्वदेशी उत्पादन हेतु प्रक्रियात्मक जानकारी का विकास ।

इसके अलावा, वित्त पोषण हेतु निम्नलिखित नये परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा की गई और उन्हें अनुमोदित किया गया :

1 बीपीसीएल– अनुसंधान एवं विकास तथा ईआईएल– अनुसंधान एवं विकास का ''डीसाल्टर डिजाइन हेतु पैरामीटिक अध्ययन और प्रौद्योगिकी विकास'' ।

2 आईआईसीटी, हैदराबाद के ''3 बीआरडी, चंडीगढ़ में भारतीय वायु सेना द्वारा टीवी 2 एरो इंजन पर स्वदेशी रूप से जमीनी व उड़ान के दौरान विकसित एसएएल तथा जांच सहित सिंथेटिक विमानन लूब्रिकेट्स–चरण–।।''

एसएसी ने हाइड्रोजन कॉर्पस निधि (एचसीएफ) के अन्तर्गत निम्नलिखित वित्त–पोषित हाइड्रोजन परियोजनाओं को पूर्ण करने के पश्चात इसके परिणामों पर भी विचार विमर्श किया।

1 एचपीसीएल तथा आईआईटी, दिल्ली द्वारा ''कैटेलेटिक अपघटन द्वारा प्राकृतिक गैस (मिथेन) से हाइड्रोजन का उत्पादन''।

2 एचपीसीएल तथा गितम विश्वविद्यालय, विज़ाख के ''हाइड्रोजन के भण्डारण के लिए धातु–आर्गेनिक ढांचागत सामग्रियों का डिजाइन और निर्माण''।

4 तकनीकी संस्थानों/सीएसआईआर प्रयोगशालाओं को सहायता

तेल उद्योग विकास बोर्ड, शैक्षणिक संस्थाओं के साथ–साथ प्रशिक्षण एवं अनुसंधानों यथा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुंबई, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) इत्यादि को मूलभूत सुविधाओं को स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करता है ताकि ये संस्थान तेल उद्योग के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम चला सकें।

वर्ष 2014–15 के दौरान भारत सरकार/तेउविबो द्वारा प्रायोजित अनुदान/योजनाओं पर निम्नलिखित व्यय किया है : –

(करोड़ रूपये में)

क्र सं	संस्थानों के नाम	राशि
	(क) अनुसंधान एवं विकास अनुदान	
1	**राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी चरण – ।।।)**	0.31
2.	**राजस्थान सरकार**	0.83
3.	**इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (अनु0एवं वि0)**	3.70
	कुल	**4.84**
	(ख) तेउविबो/भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं/परियोजनाए	
4.	**राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी), रायबरेली**	85.53
	कुल	**85.53**

4.1 राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी)

राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) का संचालन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा और समन्वयन हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा किया जा रहा है। एनजीएचपी राष्ट्रीय ई एंड पी कंपनियां नामतः ओएनजीसी, गेल, आयॅल इंडिया लिमिटेड, आईओसी और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों जैसे एनआईओ एनआईओटी और एनजीआरआई का एक संघ है। ओएनजीसी द्वारा 1988 से 2003 की अवधि के दौरान कृष्णा गोदावरी बेसिन (अपतट)काबेरी बेसिन (अपतट)मन्नार की खाडी और पश्चिमी अपतट के डाटा का अध्ययन गैस हाइड्रेट संभाव्यता के आकलन हेतु किया गया था। इन अध्ययनों ने एनजीएचपी–0। के कार्यक्रम के निरूपण में तकनीकी सहायता मुहैया करवायी, जिसमें 21 स्थलों पर वर्ष 2006 में शिप जोइडेस रेजोल्यूशन का उपयोग करके भारतीय अपतट

में ड्रिल/कोर किया गया था। भविष्य के एक उर्जा स्रोत के रूप में गैस हाइड्रेट में वैश्विक रूप में काफी रूचि उत्पन्न हो रही है। अमेरिका जापन, कोरिया, चीन जैसे देश इस दिशा में काफी प्रगति कर रहे हैं। भारत ने यह यात्रा वर्ष 1997 में राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) के गठन से आरंभ की थी। भारत ने वर्ष 2006 में एनजीएचपी अभियान–0। पूरा किया और भारत के पूर्वी तट में केजी, महानदी और अण्डमान बेसिनों में गैस हाइड्रेट की मौजूदगी सुनिश्चित की।

एनजीएचपी की संचालन समिति ने 7 अक्टूबर, 2013 को हुई 15वीं बैठक में एनजीएचपी अभियान–02 के निष्पादन को अनुमोदित किया था। एनजीएचपी अभियान–02 वर्तमान में निष्पादन के अधीन है और इसमें एलडब्ल्यूडी/एमडब्ल्यूडी(ड्रिलिंग के दौरान लॉगिंग/ड्रिलिंग के दौरान मापन) परम्परागत कोरिंग/दबाव कोरिंग, वायरलाइन लॉगिंग, उर्ध्वाधर भूकंपीय प्रोफाइलिंग (वीएसपी) और मॉड्यूलर डायनामिक परीक्षण (एमडीटी) प्रचालनों को केजी और महानदी गहरे अपतटीय क्षेत्रों में गैस हाइड्रेट स्थिरता क्षेत्र के भीतर रेत बहुलता वाले निक्षेपण तंत्रों की पहचान के उद्देश्य से किया जाना शामिल है।एनजीएचपी अभियान–02 की लागत को ओआईडीबी(50 प्रतिशत) ओएनजीसी(20 प्रतिशत), ओआईएल(10 प्रतिशत) गेल (10 प्रतिशत) आईओसीएल (10 प्रतिशत) द्वारा साझा किया जाएगा । फील्ड और प्रयोगशाला अध्ययनों का एकीकरण और पायलट उत्पादन परीक्षण एनजीएचपी अभियान–03 के दौरान किया जायेगा।

एनजीएचपी के सदस्य संगठनों ने कृष्णा गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन में कुल 87 स्थलों का प्रस्ताव किया था। इनकी समीक्षा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के एक दल द्वारा की गई थी। समीक्षा के आधार पर लगभग 34 प्राथमिक ओर वैकल्पिक लक्ष्यों को चिन्हित किया गया था। ये लक्ष्य पूर्वी तट के साथ–साथ उत्तर से दक्षिण की ओर सभी चार भौगोलिक क्षेत्रों नामतः महानदी बेसिन में 'ए', कृष्णा–गोदावरी बेसिन में 'बी', 'सी' और 'इ' में आते हैं।

ओआईडीबी द्वारा सीधे वित्त–पोषण के अधीन होने वाली दो एनजीएचपी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है और निष्पादक संगठनों को निधियां जारी किए जाने हेतु औपचारिकताएं अग्रिम चरण में हैं।

एचजीएचपी के अंतर्गत अनुसंधान परियोजनाएः

सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को सुदृढ़ करने के लिए ओएनजीसी–आईआईटी खडगपुर के साथ ली गई एक सहयोगात्मक परियोजना से यह पता चला कि उष्मा अंतरण दरें काफी कम हैं अतः तापीय स्टीमुलेशन द्वारा अंतिम उत्पादन दर काफी कम होगी। यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डीप्रेशराइजिंग तथा सीक्वेसट्रेशन जैसी अन्य तकनीकों के महत्व को दर्शाती है।

एनजीआई ने एनजीएचपी के अंतर्गत एक अनुसंधान परियोजना में प्रयोगशाला में गैस हाइड्रेट के संश्लेषण और रमन माइक्रोप्रोब का उपयोग करते हुए आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करने संबंधी प्रयोगात्मक अध्ययनों को सफलतापूर्वक पूरा कर कोर दक्षता विकास को प्रदर्शित किया है।

एचजीएचपी हेतु भविष्य की परियोजनाएः

अभियान–03 में भारतीय गहरे–जल परिवेश में कम से कम एक स्थल पर पायलट उत्पादन परीक्षण किए जाने का लक्ष्य एनजीएचपी अभियान–02 की सफलता पर निर्भर करेगा।

4.2 राजस्थान सरकार

देश में सीबीएम क्षमता के दोहन के लिए तथा सीबीएम पॉलिसी, 1997 के अनुसार तेउविबो, राष्ट्रीय एजेंसीओं द्वारा सीबीएम अंवेषण ओर वाणिज्यिक उपयोग हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में सीबीएम के विकास के लिए पेट्रोलियम निदेशालय, द्वारा बाडमेर–सांचौर बेसिन तथा बीकानेर नागौर बेसिन

में अनुसंधान एवं विकास परियोजना आरंभ की गई है। 500 से 1600 मीटर की गहराई में लिग्नाइट की उपस्थिति के आधार पर ऐसा अनुमान है कि बीकानेर क्षेत्र में लगभग 950 मिलियन टन सीबीएम भंडार है और इन भण्डारों के अंवेषण द्वारा 5500 मेगावाट क्षमता वाले पावर संयत्र टन या 2200 टीपीडी के कई यूरिया संयत्रों को पोषित किया जा सकता है प्रथम चरण के अन्तर्गत बीकानेर क्षेत्र में सीबीएम अनुसंधान एवं विकास परियोजना हेतु 116.11 एलकेएम का उच्च आवृत भूंकपीय सिमिक सर्वेक्षण (एचआरएसएस) किया गया।

एचआरएसएस सर्वेक्षण के परिणाम, के आधार पर, फेस–I के अंतर्गत बीकानेर क्षेत्र में 5 कोर होल की ड्रिलिंग द्वारा गहरे बैठे लिग्नाइट रिफ्लेक्टर की पुष्टि की जानी है।

पेट्रोलियम निदेशालय द्वारा दी गई विस्तृत प्रस्तुति के बाद, तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रूपये 3.72 करोड का अनुदान, चरण–II में सीबीएम एवं अनुसंधान और विकास परियोजना की गतिविधियों के लिए मंजूर किया गया।

बीकानेर जिले के रनासर और नोरगदेसर क्षेत्र में 2 कोर होलों की खुदाई की गई जिसमें अर्थपूर्ण लिग्नाइट की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई।

पेट्रोलियम निदेशालय बीकानेर क्षेत्र में किए गए 2 कोर होल की विस्तृत रिपोर्ट डीजीएच/तेउविबो को प्रस्तुत कर चुका है। डीजीएच ने रिपोर्ट के निरीक्षण के पश्चात् निम्न विचार प्रकट किए :–

1. जबकि 2 मुख्यतः कोर होल्स के परिणाम, भण्डारों की उपस्थिति प्रमाणित नहीं कर सके और अधिक कोर होल्स ड्रिल नहीं किए जाने चाहिए।
2. कुओं की ड्रिलिंग से यह सुनिश्चित होता है कि जिन्हें लिग्नाईट समझ कर चिन्हित किया गया था वो वास्तव में लिग्नाइट नहीं है।

वर्ष के दौरान तेउविबो ने 0.83 करोड़ रूपये इस परियोजना के लिए जारी किए।

4.3 इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (अनुसंधान एवं विकास)

INDApeptG प्रौद्योगिकी परियोजना के लिए वर्ष 2014.15 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड ने 3.70 करोड रूपये का अनुदान दिया। INDApeptG प्रौद्योगिकी यूरो– V/VI के अनुरूप न्यूनतम हाइड्रोजन खपत तथा आक्टेन क्षय के सल्फर मानकों के साथ क्रेक गेसोलीन के सघन डी– सल्फराईजेरेशन के लिए अभिष्ट है। यह प्रौद्योगिकी स्व विकसित अधिशोषक है, जो गेसौलीन में से सल्फर को अनुकूलतम संचलन स्थिति में एक द्वितीय क्रियाशील अवशोषण प्रक्रिया द्वारा हटा देता है। यह प्रक्रिया अवशोषण व संपोषण वाले दो दोलायमान स्थिर तल–रिएक्टरों में होती है। अवशोषण के दौरान सल्फर अवशोषित होती है तथा संपोषण के दौरान नियंत्रित परिस्थितियों में सल्फर आक्साइड के रूप में निकाल दिया जाता है। प्रौद्योगिकी के लिए ईआईएल के साथ संयुक्त रूप से लाइसेंस प्राप्त किया जा रहा है। गुहावटी रिफाइनरी में 3500 टीपीए की एक प्रदर्शन ईकाई सितम्बर 2016 में आरंभ होने की संभावना है।

गुहावटी रिफाइनरी में परियोजना की स्थिति

परियोजना की प्रगति का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

- समग्र वास्तविक प्रगति 98.1 प्रतिशत की तुलना में 78.3 प्रतिशत है।
- 75 उपकरणों में से, 46 प्राप्त कर स्थापित किए गए और 18 पर काम हो रहा है और 4 कम्प्रेसर को छोड कर बाकी बचे मार्च 2016 तक प्राप्त हो जायेंगे।
- यांत्रिक कार्य 31.7.2016 तक पूरा होने की संभावना है।
- पूर्ण होने की सेवावित तिथि 31.9.2016 है।

4.4 राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली

राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआइपीटी) की स्थापना संसद के अधिनियम (2007 का अधिनियम 54) के अंतर्गत की गई । यह संस्थान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है और इस संस्थान के परिसर का निर्माण कार्य भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता से तथा तेउविबो के अनुदान द्वारा किया जा रहा है। इस संस्थान के आवर्ती व्ययों की पूर्ति छात्रों से मिलने वाली फीस के संग्रहण के अलावा मुख्य तेल कंपनियों (ओएनजीसी, आईओसीएल, ओआईएल. गेल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल) के योगदान द्वारा संचित निधि से प्राप्त ब्याज की आय द्वारा की जाती है।

आरजीआईपीटी के उद्देश्य पेट्रोलियम क्षेत्र में तकनीकी तथा प्रबंधकीय प्रतिभा की कमी को पूरा करने के लिए एक शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना है। संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियां वर्ष 2008 से रायबरेली तथा नोएडा के अस्थाई परिसरों में आयोजित की जा रही हैं। वर्तमान में आरजीआईपीटी द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं:–

क पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में बी टैक

ख कैमिकल इंजीनियरिंग में बी टैक

ग पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में एम टैक

घ कैमिकल इंजीनियरिंग में एम टैक

ड़ पेट्रोलियम एवं उर्जा प्रबंधन में एम बी ए, और

च पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में पीएचडी (2012 से आरंभ)

जयास, उत्तरप्रदेश में अपने परिसर के निर्माण का कार्य उन्नत चरण में है। वर्तमान में आरजीआइपीटी में छात्रों की संख्या 359 है। फिलहाल 5 एमबीए के बैच, 3 बीटैक के बीच और एम टैक बैच के छात्रों ने आरजीआईपीटी से स्नातक उपाधि प्राप्त की है।

अपने परिसर के शैक्षणिक कार्यो को सहायता प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए, आरजीआईपीटी द्वारा असम राज्य में संघटक शैक्षणिक केन्द्र की स्थापना की जा रही है जो मुख्य रूप से पेट्रोलियम के अपस्ट्रीम क्षेत्र में कुशल व्यक्तियों की शिक्षा व प्रशिक्षण की कमी को पूरा करेगा ।

तेल उद्योग विकास बोर्ड ने आरजीआईपीटी के पूंजीगत व्यय के लिए अनुदान का निम्नानुसार अनुमोदन किया है :

(क) ज्यास /रायबरेली केन्द्र : 150 करोड़ रुपए

(ख) असम केन्द्र : 93 करोड़ रुपए, इसके अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए की राशि असम केन्द्र के आरभिक व्यय लिए स्वीकृत किए गए ।

तेल उद्योग विकास बोर्ड ने आरजीआईपीटी के रायबरेली परियोजना के लिए वर्ष के दौरान 85.53 करोड़ रुपए जारी किए हैं ।

4.5 हाइड्रोजन कॉर्पस फंड (एचसीएफ)

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक ऑटो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग पर एक हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना की है। भारतीय तेल उद्योग को इस सीमांत क्षेत्र में प्रगति करने के लिए प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के साथ सहक्रियात्मक रूप से और घनिष्ठ समन्वय में कार्य करना होगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ तेउविबो द्वारा निम्नानुसार योगदान के साथ 100 करोड़ रुपए का एक हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना की है :

1	तेउविबो	40 करोड़ रुपए
2	ओएनजीसी, आईओसी, गेल	16 करोड़ रुपए प्रत्येक

3	एचपीसीएल, बीपीसीएल	6 करोड़ रुपए प्रत्येक

तेउविबो द्वारा एचसीएफ के खातों का रखरखाव किया जाता है। तेउविबो द्वारा अब तक 40 करोड़ रुपए की राशि का योगदान इस कोश में दिया गया है। मेसर्स आईओसीएल और ओएनजीसी ने पहले से ही ऊर्जा के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियां आरंभ कर दी हैं।

प्रारंभ में, एसएसी/संचालन समिति द्वारा एचसीएफ के लिए 42.26 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की 10 परियोजनाऐं अनुमोदित की गईं थीं । तत्पश्चात, 8.76 करोड़ रुपए की दो परियोजनाएं समाप्त कर दी गईं थीं । 31.3. 2015 तक एचसीएफ से नेकस्ट स्टैप कार्यक्रम के लिए 1.00 करोड़ रुपए सहित 10.7 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया जा चुका है। जिसमें से वर्ष 2014–15 के दौरान 2.97 करोड रुपए जारी किए गए । इसके अलावा, दो गैर–परियोजना गतिविधियों को भी एचसीएफ के तहत लिया गया था जिसमें से एक का कार्य संपन्न हो गया है और अन्य का कार्य जारी है। मार्च 2015 के अंत तक एचसीएफ के संचित कोश की राशि ब्याज सहित 148.63 करोड़ रुपए थी।

एचसीएफ, के तहत वित्त पोषण के लिए संचालन समिति द्वारा अनुमोदित शेष तीन (3) परियोजनाएं जिनका कार्य प्रगति पर हैं, निम्नानुसार हैं :

1. आईओसी (आर एंड डी) द्वारा ''मोटर वाहनों में हाइड्रोजन – सीएनजी मिश्रणों का प्रयोग'' संबंधी प्रदर्शन परियोजना।
2. ओएनजीसी ऊर्जा केन्द्र द्वारा तापीय रसायन प्रक्रिया से हाइड्रोजन का उत्पादन।
3. आईओसी(आर एंड डी) और आईटीबीएचयू द्वारा सौर ऊर्जा के उपयोग से जल के पृथकीकरण द्वारा हाइड्रोजन के उत्पादन में मॉड्यूलर रिएक्टरों का उपयोग कर बड़े पैमाने पर फोटो–उत्प्रेरक प्रक्रिया का विकास।

4.6 राज्य सरकारों को रॉयल्टी

सरकार के निदेशानुसार, तेउविबो द्वारा नेल्प के प्रथम एवं द्वितीय दौरों में खोजे गए क्षेत्रों से संबंधित उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज़) में राजकोषीय स्थिरता पर अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों और संविदाकारों को अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान किया जा रहा है। तेउविबो ने अब तक इस खाते में से दिनांक 31.3.2015 तक लगभग 625.11 रूपये राज्य सरकारों/ठेकेदारों को दिए हैं।

अध्याय-V

तेउविबो का ऊर्जा सुरक्षा में योगदान

1. विशाखापट्टनम (भण्डारण क्षमता : 1.33 एमएमटी)

बोर्ड सदस्यों को यह सहर्ष सूचित करता है कि विशाखापट्टनम केवर्न को चालू कर लिया गया है। भूमिगत सिविल कार्य एचसीसी द्वारा और प्रक्रिया सुविधाएं आईओटीआईईएसएल द्वारा निष्पादित किये गये थे। इस सुविधा में दो कंपार्टमेंट हैं यथा केवर्न ए (1.03 एमएमटी) और केवर्न बी (0.3 एमएमटी)। केवर्न ए सामरिक खनिज तेल हेतु है। लगभग 2 मिलियन बैरल प्रत्येक के दो बहुत बड़े खनिज तेल वाहक (वीएलसीसी) को इसमें अनलोड किया गया है। एचपीसीएल विशाखापट्टनम में अपने रिफाइनरी प्रचालनों हेतु नियमित रूप से केवर्न बी का उपयोग कर रही है।

विशाखापट्टनम में भूमि के ऊपर बनाई गई सुविधाओं का दृश्य

2. मंगलौर (भण्डारण क्षमता : 1.5 एमएमटी)

मंगलौर केवर्न सुविधा मंगलौर एसईजेड क्षेत्र में आती है। परियोजना हेतु एमएसईजेडएल से 104.73 एकड़ भूमि प्राप्त की गई थी। भूमिगत सिविल कार्यों को मैसर्स एसके इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन और करम चन्द थापर के संयुक्त उद्यम (एसकेईसी–केसीटी जेवी) और प्रक्रिया सुविधाऐं मैसर्स पुंज लायड द्वारा निष्पादित किये गये थे। भूमिगत सिविल कार्यों को पूरा कर लिया गया है और प्रक्रिया सुविधाएं पूर्णता के निकट हैं। सुविधा में 0.75 एमएमटी प्रत्येक के दो कंपार्टमेंट हैं। केवर्न स्वीकृति परीक्षण (सीएटी) को पूरा कर लिया गया है। उक्त के पश्चात ईआईएल ने केवर्न कंपार्टमेंटों में धारण में सुधार हेतु अतिरिक्त बोरहोल की ड्रिलिंग का परामर्श दिया है।

समग्र भौतिक प्रगति 99.44 प्रतिशत है। प्रगति में पाइपलाइन की प्रगति शामिल नहीं है।

परियोजना को अंतिम रूप से चालू किया जाना मंगलौर बंदरगाह के निकट लैंड फॉल बिंदु से मंगलौर केवर्न तक एक मध्यवर्ती वाल्व स्टेशन के माध्यम से 48'' पाइपलाइन को बिछाए जाने तथा अतिरिक्त बोरहोल पूर्ण किए जाने पर निर्भर है। 12.725 किलोमीटर पाइपलाइन में से, 7.78 किलोमीटर को पूरा कर लिया गया है तथा शेष को अगले 6 माह में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। परियोजना को मार्च, 2016 में चालू किए जाने की प्रत्याशा है।

मंगलौर में चार केवर्न गैलरियों में से एक का दृश्य

3. पादुर (भंडार क्षमता : 2.5 एमएमटी)

पादुर परियोजना हेतु उडूपी जिले के पादुर/हेरूरू गांवों में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के माध्यम से 179.21 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। भूमिगत सिविल कार्यों को दो भागों में बांटा गया था अर्थात भाग क तथा भाग ख। भाग–क कार्य को मैसर्स एचसीसी और भाग–ख कार्यों को मैसर्स एसकेईसी–केसीटी संयुक्त उद्यम को दिया गया था। भूमिगत कार्य 2014 में पूर्ण हुए थे और केवर्न स्वीकृति परीक्षण भी पूर्ण हो गए हैं। सुविधा में 0.625 एमएमटी प्रत्येक के 4 कंपार्टमेंट हैं। केवर्नों का इनर्टाइजेशन प्रगति पर है। परियोजना की अंतिम पूर्णता 10 किलोमीटर

पादुर में भूमि के ऊपर बनाई गई सुविधाओं का दृश्य

लम्बी 110 केवीए की ओवरहेड विद्युत ट्रांसमीशन लाइन और साथ ही साथ मध्यवर्ती वाल्व स्टेशन से पादुर तक एक 42'' व्यास वाली 36 किलोमीटर पाइपलाइन को बिछाए जाने पर निर्भर करेगी। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन और पाइपलाइन का बिछाया जाना आरओयू मुद्दों के कारण प्रभावित हुआ है। परियोजना को चालू किया जाना विद्युत लाइन तथा पाइपलाइन की पूर्णता पर निर्भर है। परियोजना मार्च, 2016 में पूरी होने की प्रत्याशा है। पाइपलाइन प्रगति सहित परियोजना की समग्र प्रगति 96.86 प्रतिशत है।

4. सामरिक भण्डार कार्यक्रम का चरण–II

दिसम्बर, 2008 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एकीकृत ऊर्जा नीति (आईईपी) सिफारिश करती है कि सामरिक सह सुरक्षित भंडार के प्रयोजनों हेतु 90 दिवस के तेल आयात के समतुल्य एक भण्डार को रखा जाए। दिसम्बर, 2009 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तैयार एक एप्रोच पेपर में वर्ष 2019–20 तक खनिज तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के 44.14 मिलियन मीट्रिक टन की कुल भण्डारण आवश्यकता को दर्शाया गया था।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से निदेश के आधार पर, आईएसपीआरएल को चार राज्यों में चरण–प्प में कच्चे तेल के 12.5 एमएमटी के सामरिक भण्डारण हेतु विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) को तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। चुने गए स्थल राजस्थान में बीकानेर, ओडीशा में चांदीखोल, गुजरात में राजकोट और कर्नाटक में पादुर है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को डीएफआर तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। ईआईएल द्वारा डीएफआर तैयार की जा चुकी है जिसमें संशोधित क्षमताएं निम्नानुसार हैं :–

i) पादुर 2.5 एमएमटी,

ii) चांदीखोल 3.75 एमएमटी,

iii) राजकोट 2.5 एमएमटी और

iv) बीकानेर 3.75 एमएमटी।

बाद में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ–साथ एसबीआई कैप्स को चरण–II कार्यक्रम के क्रियान्वयन के तरीके की सिफारिश करने हेतु नियोजित करने का परामर्श दिया था। निवेशक बैठक 8–9 जून, 2015 को हुई थी जिसमें विभिन्न तेल तथा आधारभूत ढांचा कंपनियों ने प्रतिभागिता की थी। एसबीआई कैप्स की सिफारिशें प्रतीक्षित हैं।

अध्याय-VI

अन्य पहलें / गतिविधियां

1. हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कौशल परिषद (एचएसएससी) की स्थापना

सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) एवं अध्यक्ष, तेल उद्योग विकास बोर्ड ने दिनांक 4 सितंबर, 2013 को तेल उद्योग विकास बोर्ड की 86वीं बोर्ड बैठक के दौरान तेल और गैस क्षेत्र के लिए कौशल विकास परिषद की जरूरत के मुद्दे को उठाया । हाइड्रोकॉर्बन क्षेत्र के लिए कौशल विकास परिषद की जरूरत के आकलन के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल उद्योग कंपनियों आदि के प्रतिनिधियों के साथ 18 अक्टूबर 2013 को एक बैठक का आयोजन किया । यह निष्कर्ष निकला कि मौजूदा कौशल अंतर को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोकॉर्बन क्षेत्र के लिए कौशल विकास परिषद (एचएसएससी) की स्थापना करने की जरूरत है।

सचिव (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस) ने दिनांक 11.12.2013 को सार्वजनिक / निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों, सेवा प्रदाताओं आदि के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की और यह निर्णय लिया गया कि – (1) तेउविबो और पेट्रोफेड, संयुक्त रूप से एनएसडीसी में आवेदन दाखिल करेंगे, (2) पेट्रोफेड, एचएसएससी की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाएंगे (3) अध्यक्ष, पेट्रोफेड एचएसएससी की स्थापना के लिए संचालन समिति का गठन करेंगे (4) राजस्व मॉडल, परियोजना रिपोर्ट तथा कार्य योजना को पेट्रोफेड द्वारा तैयार किया जाएगा (5) तेल कंपनियां एचएसएससी के माध्यम से कौशल उन्नयन के लिए सीएसआर निधियों का उपयोग कर सकती हैं । एचएसएससी का फोकस उन व्यक्तियों / कामगारों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण (छह माह से अधिक नहीं) पर संकेंद्रित होगा, जिन्होंने तेल और गैस उद्योग द्वारा अपेक्षित न्यूनतम अनिवार्य योग्यता (अर्थात आईटीआई से प्रमाण पत्र) धारित की है।

तदनुसार, प्रस्तावित हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कौशल परिषद (एचएसएससी) की स्थापना के लिए पेट्रोफेड तथा तेउविबो के बीच सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की उपस्थिति में दिनांक 31.01.2014 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दिनांक 31.01.2014 को राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) में एक संयुक्त आवेदन दाखिल किया गया। राजस्व मॉडल को विकसित किए जाने और सीएसआर निधियों से वित्तीय सहायता के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी उद्योग से योगदान द्वारा एचएसएससी को वित्तपोषित करने का प्रस्ताव वांछित है ।

इसी दौरान, औद्योगिक समूह ने सम्पूर्ण हाइड्रोकॉर्बन क्षेत्र तथा हाइड्रोकॉर्बन क्षेत्र की निर्माण सेवाओं को कवर करते हुए 134 व्यापार क्षेत्रों की पहचान की है। प्रमाण पत्र आधारित कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए प्रक्षेपित प्रशिक्षण योजना में आगामी 10 वर्षों में 19,50,000 कामगारों के प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है।

एचएसएससी के उद्देश्यों में (1) हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए एक कुशल मानवबल समूह को तैयार करना (2) नए कौशलों की बेंचमार्किंग तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) का कौशल उन्नयन (3) आर्थिक और सामाजिक समानता के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देना (4) जनसांख्यिकीय लाभांश में सुधार (5) उत्पादकता और क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार शामिल हैं।

एचएसएससी को सोसाइटी के रूप में पंजीकरण के लिए दिनांक 5.11.2015 को तेउविबो और पेट्रोफेड की ओर से संयुक्त रूप से आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही हैं। पंजीकरण के पश्चात एचएसएससी का औपचारिक कामकाज आरंभ हो जाएगा।

2. तेउविबो राहत ट्रस्ट (तेउविबो आर टी)

अप्रैल से जून 2000 तक की अवधि के दौरान कुछ राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में अभूतपूर्व सूखा पड़ा था । तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री, द्वारा की गई अपील की प्रतिक्रिया के रूप में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक

गैस मंत्रालय द्वारा मई 2000 के दौरान इन राज्यों में सूखा प्रभावित ग्रामों को पेय जल के परिवहन हेतु डीज़ल की लागत वापिस करने का निर्णय लिया गया था । इस प्रयोजन के लिए, तत्कालीन माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के अनुमोदन से एक ट्रस्ट नामतः तेउविबो सूखा राहत ट्रस्ट का एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में 01.06.2000 को गठन किया गया था । इस ट्रस्ट के अध्यक्ष पदेन सचिव (पीएनजी), ट्रस्ट के प्रबंधन ट्रस्टी पदेन, अपर सचिव (पीएनजी) और ट्रस्ट के सचिव के रूप में सचिव (ओआईडीबी) तथा तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अन्य प्रतिनिधि ट्रस्टियों के रूप इस ट्रस्ट में है । मंत्रालय द्वारा दिए गए निदेशों के रूप में, तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इस कोष में 20.60 करोड़ रुपए का योगदान दिया है । दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्यों / प्रधानमंत्री राहत कोष और अन्य कल्याण संगठनों के लिए लगभग 21. 40 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई । दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार, 14. 32 करोड़ रुपए की शेष निधियों (ब्याज सहित) तेउविबो राहत ट्रस्ट में थी। इस ट्रस्ट को इसके समापन तक आंकलन वर्ष 2011–12 के पश्चात से आयकर अधिनियम की धारा 80 (जी) के तहत छूट प्रदान गई है। चूंकि इस ट्रस्ट के लक्ष्य व उद्देश्य के आधार व्यापक हैं और अन्य कल्याणकारी उपायों के लिए भी वित्तीय सहायता को अनुमत कर रहे हैं, इसलिए इस ट्रस्ट के नाम को दिनांक 09.07.2010 से परिवर्तित करते हुए तेउविबो सूखा राहत ट्रस्ट से तेउविबो राहत ट्रस्ट कर दिया गया था।

3. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से निःशक्तों का कल्याण।

तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए तत्संबंधी दिशा–निर्देशों का पालन करती है। आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए तेउविबो में एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए रोस्टरों का रखरखाव किया जा रहा है और इन्हें संपर्क अधिकारी द्वारा जांचा जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्त जन/अन्य पिछड़ा वर्ग की सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए रोस्टरों के निरीक्षक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता था और इनमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं पाई गई थी।

इसके अलावा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्त जन के आरक्षित कोटे के स्थान पर उनके रोजगार में किसी प्रकार का बैक लॉग अथवा कमी नहीं है। वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के विरूद्ध किसी प्रकार की उत्पीड़न अथवा भेदभाव संबंधी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

4. कल्याण, विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण

तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) लैंगिक मुद्दों से निपटने तथा महिला सश क्तिकरण के कार्य को बढ़ावा देने में सक्रिय है। ''कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न'' की शिकायतों का निवारण करने हेतु इसकी सुनवाई के लिए तेउविबो द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। दिनांक 31.03. 2015 की स्थिति के अनुसार, तेउविबो में कुल 22 कर्मचारियों में 4 महिलाकर्मी हैं।

5. सरकार की राजभाषा नीति

तेउविबो ने राजभाषा अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों को अपने सचिवीय कार्यालय में कार्यान्वित किया है। तेउवि बोर्ड सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है । तेउविबो,

आधिकारिक कार्य में राजभाषा कार्यान्वयन को सवंर्धित करने में सदा प्रयासरत रहता है। तेउविबो के सभी नियम/समझौता ज्ञापन/ करार द्विभाषी हैं ।

राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के क्रम में, तेउविबो में सचिव (तेउविबो) महोदय की अध्यक्षता में एक आधिकारिक राजभाषा समिति कार्यरत है। यह समिति तेउविबो में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समग्र प्रगति तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति व कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। तेउविबो को पहले ही राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है ।

वर्ष 2014–15 के दौरान, हिन्दी के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाये गए थे, जैसे कि :

- हिन्दी दिवस के अवसर पर तेउविबो में 12.09.2014 से 25.09.2014 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया ।
- बोर्ड के कर्मचारियों को उनके कार्यों को हिन्दी में करने हेतु प्रोत्साहित करने के प्रयोजनार्थ विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं थीं । इनमें टिप्पण आलेखन, टाइपिंग, भाषा ज्ञान राजभाषा की जानकारी से संबंधित प्रतिस्पर्धा, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी स्पर्धा आदि शामिल किया गया । विजेता प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- तेउविबो द्वारा उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को, जो हिन्दी में प्रवीण हैं, निर्देश जारी किए गए कि वे अपने सभी कार्य केवल हिन्दी में ही प्रस्तुत करें ।
- हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही, अद्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, राजभाषा विभाग को नियमित रूप से भेजी गईं थीं ।
- तेउविबो में हिन्दी के प्रयोग के प्रभावी प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न विकास संबंधी विषयों पर त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप से हिन्दी कार्यशालाएं आयोजन की गईं थीं ।
- वर्ष 2014–15 के दौरान भी तेउविबो ने अपनी अंतर्गृहीय वार्षिक पत्रिका "अनुभूति" का प्रकाशन जारी रखा । इस पत्रिका में साहित्य, कविता, धार्मिक विषय एवं सामाजिक संस्मरणों से संबंधित विषयों का प्रकाशन किया जाता है । इस पत्रिका का उद्देश्य आधिकारिक भाषा में लेखन कार्य के अलावा इसके प्रति रूचि उत्पन्न करना है ।

6. सूचना का अधिकार अधिनियम

भारत सरकार की दिनांक 15 जून, 2005 की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 को तेउविबो में लागू किया गया है । सूचना का अधिकार अधिनियम की रूपरेखा, अन्य बातों के साथ–साथ, सार्वजनिक प्राधिकरणों की कार्य–प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है ।

सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 5 तथा 19 के उपबन्धों के अनुसार तथा जारी किए गए सभी पूर्व आदेशों के अधिक्रमण में, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, डीसीएफ एवं लेखा अधिकारी तथा प्रबंधक (पी एंड ए) क्रमशः पारदर्शिता अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी तथा लोक आसूचना अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं ।

वर्ष 2014–15 के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 14 अभ्यावेदन/प्राप्तियां प्राप्त की गई हैं । प्राप्त हुए इन सभी 14 अभ्यावेदनों/प्राप्तियों के प्रत्युत्तर प्रेषित किए गए हैं ।

अनुलग्नक

केन्द्रीय सरकार द्वारा एकत्रित उपकर एवं तेउविबो को उसकी स्थापना से 31.03.2015 तक आबंटित की गई धनराशि से संबंधित स्थिति

क्रम सं.	वर्ष	सरकार द्वारा कच्चे तेल पर संग्रह किया गया उपकर	सरकार द्वारा ते.उ.वि.बो का किया गया भुगतान
1	1974-75	30.82	16.01
2	1975-76	50.05	62.27
3	1976-77	52.88	48.19
4	1977-78	63.72	50.10
5	1978-79	68.89	20.00
6	1979-80	69.70	140.00
7	1980-81	60.40	25.01
8	1981-82	138.97	142.92
9	1982-83	268.83	100.00
10	1983-84	812.80	-
11	1984-85	850.12	-
12	1985-86	897.66	-
13	1986-87	981.50	-
14	1987-88	1806.60	-
15	1988-89	2013.64	63.09
16	1989-90	2914.57	50.00
17	1990-91	2785.15	89.81
18	1991-92	2500.64	95.00
19	1992-93	2207.61	-
20	1993-94	2175.46	-
21	1994-95	2566.16	-
22	1995-96	2819.52	-
23	1996-97	2558.03	-
24	1997-98	2528.74	-
25	1998-99	2448.18	-
26	1999-00	2589.44	-
27	2000-01	2582.21	-
28	2001-02	2722.79	-
29	2002-03	4873.17	-
30	2003-04	4919.49	-
31	2004-05	5033.97	-
32	2005-06	4857.58	-
33	2006-07	6875.53	-
34	2007-08	6854.00	-
35	2008-09	6680.94	-
36	2009-10	6637.13	-
37	2010-11	7671.44	-
38	2011-12	8065.46	-
39	2012-13	14473.16	-
40	2013-14	14,542.38	-
41	2014-15	14677.24	-
	कुल	**144085.63**	**902.40**

(*अनंतिम) ते.उ.वि.बोर्ड में प्राप्त उपकर से संबंधित आंकडे ओएनजीसी, ओआईएल एवं डीजीएच द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं

अध्याय-VII

तेउविबो वार्षिक लेखे

2014–15

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2015 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(राशि लाख रूपये में)

कॉपर्स पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनूसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
कॉपर्स / पूंजीगत निधि	1	90240	90240
आरक्षित एवं अधिशेष निधियाँ	2	1030840	1007700
चिन्हित / अक्षय निधि	3	0	0
जमानती ऋण एवं उधार	4	0	0
गैर जमानती ऋण एवं उधार	5	0	0
आस्थगित जमा देनदारियाँ	6	0	0
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	19260	62914
योग		**1140340**	**1160854**
परिसम्पतियाँ			
अचल परिसम्पतियाँ (निवल ब्लॉक)	8	11767	12996
प्रगतित कार्य	8	19	7
निवेश – चिन्हित / अक्षय निधि	9	0	0
निवेश – अन्य	10	309966	244734
चालू परिसम्पतियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	818588	903117
विविध खर्चे (जिन्हें बट्टे खाते में डाला या समायोजित नहीं किया गया है)		0	0
योग		**1140340**	**1160854**
लेखा संबंधी विशेष नितियाँ	25		
फुटकर देयताएं एवं लेखों पर टिप्पणियाँ	26		

ह0
(अजय श्रीवास्तव)
वित्त सलाहकार एवं लेखा अधिकारी

ह0
(यू.पी. सिंह)
सचिव

दिनांक: 31.08.2015
स्थान : नई दिल्ली

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2015 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(राशि रूपये में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
ब्रिक्री / सेवाओं से आय	12	0	0
अनुदान / सब्सिडी	13	0	0
फीस / अभिदान	14	0	0
निवेश से आय	15	0	0
रायल्टी, प्रकाशन, डीजीएच द्वारा डेटा ब्रिक्री से आय	16	2221	56
अर्जित ब्याज	17	68569	67003
अन्य आय	18	1609	483
तैयार माल एवं प्रगति पर कार्य के स्टॉक में बढोतरी / (कमी)	19	0	0
योग (क)		**72399**	**67542**
व्यय			
संस्थापन खर्च	20	279	514
अन्य प्रशासनिक खर्चे आदि	21	915	946
अनुदान, सब्सिडी आदि पर खर्च	22	31064	15168
भुगतान किया गया ब्याज	23	0	0
राज्य सरकारों को रायल्टी	24	8300	11000
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		0	0
मूल्यह्रास (वर्ष के अन्त में अनुसूची 8 के अनुसार निवल योग)		1179	1609
योग (ख)		**41737**	**29237**
खर्च पर आय के अधिक्य का शेष (क–ख)		30662	38305
आयकर के लिए प्रावधान		10422	13020
विशेष आरक्षित निधि में स्थानानतरण (प्रत्येक का उल्लेख करे)		-	-
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानान्तरण		-	-
आधिक्य के शेष को कॉर्पस / पूंजीगत निधि में स्थानान्तरित		**20240**	**25285**
विशेष लेखा नीतियाँ	25		
फुटकर देयताएं एवं लेखा पर टिप्पणियां	26		

ह0 ह0

(अजय श्रीवास्तव) (यू.पी. सिंह)
वित्त सलाहकार एवं लेखा अधिकारी सचिव

दिनांक: 31.08.2015
स्थान : नई दिल्ली

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2015 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनूसूची 1 – कॉपर्स / पूँजीगत निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		90240		90240
जोडें : कॉपर्स / पूँजीगत निधि में योगदान	-		-	
जोडें / (घटाएं) : आय एवं व्यय खाते से निवल आय (खर्च) के शेष की स्थानान्तरित राशि	-		-	
वर्ष के अन्त में शेष		**90240**		**90240**

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष निधियाँ				
1. **पूंजीगत आरक्षित निधि**				
गत लेखों के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमा	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कमी	(-)	-	(-)	
2. **पुर्नः मूल्यांकन आरक्षित निधि**				
गत लेखों के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमा	-		-	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कमी	(-)	-	(-)	
3. **विशेष आरक्षित निधि**				
गत लेखो के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमा	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कमी	(-)	-	(-)	
4. **सामान्य आरक्षित निधि**				
विगत लेखो के अनुसार		007700		982415
वर्ष के दौरान जमा				
i) व्यय पर आय से अधिक्य	20240		25285	
ii) आय से प्रतिदेय (पिछले वर्ष)	2900	23140	0	25285
कुल योग :		**1030840**		**1007700**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(राशि लाख रूपये में)

अनूसूची 3 चिन्हित / अक्षय निधि	विविध निधियों का विवरण योग						
	निधि	निधि	निधि	निधि	निधि	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) निधि का प्रारंभिक शेष ख) निधि में परिवर्धन (i) दान / अनुदान (ii) निधि के निवेश से आय (iii) अन्य परिवर्धन (प्रकार का उल्लेख करें)	शून्य						
योग (क+ख)							
ग) निधि के उद्देश्य के प्रति उपयोग / खर्चे **(i) पूँजीगत खर्चे** - अचल परिसम्पत्तियाँ - अन्य योग : **(ii) राजस्व खर्चे** - वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि - किराया - अन्य प्रशासनिक खर्चे योग :	शून्य						
योग : (ग)		-	-	-	-	- -	
वर्ष के अन्त में निवल शेष : (क+ख-ग)	-	-	-	-	-	-	-

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2015 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 4, आरक्षित ऋण एवं उधार		
1. केन्द्रीय सरकार	**शून्य**	
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		
3. वित्तीय संस्थान		
क) आवधिक ऋण		
ख) अर्जित एवं प्राप्त ब्याज		
4. बैंक		
क) आवधिक ऋण		
- अर्जित एवं प्राप्त ब्याज		
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		
- अर्जित एवं प्राप्त ब्याज		
5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सी		
6. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र		
अन्य (उल्लेख करें)		
योग :		

टिप्पणी :– एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2015 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 5 – अनारक्षित ऋण एवं उधार		
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		
3. वित्तीय संस्थान		
4. बैंक :		
क) आवधिक ऋण		
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)	**शून्य**	
5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सी		
6. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र		
7. सावधि जमा		
8. अन्य (उल्लेख करें)		
योग :		

टिप्पणी : एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि

(रूपये लाख में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 6 – अस्थगित जमा देनदारियाँ		
क) पूंजीगत उपकरण एवं अन्य परिसम्पत्तियों के बधंक रखने पर प्राप्त स्वीकृतियाँ	**शून्य**	
ख) अन्य		
योग :		

टिप्पणी : एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2015 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनूसूची 7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान				
क चालू देयताएं				
1. स्वीकृतियाँ		-		-
2. विविध लेनदार				
क) माल के लिए	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
3. प्राप्त अग्रिम		-		-
4. उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं				
क) जमानती ऋण / उधार	-		-	
ख) गैरजमानती ऋण / उधार	-		-	
5. सांविधिक देयताएं				
क) अतिशोध्य	-		-	
ख) अन्य	-		-	
6. अन्य चालू देयताएं				
क) राज्य सरकारों तथा अन्य को रॉयल्टी का भुगतान	8300		22425	
ख) आर कर / टीडीएस / वर्कस कॉनट्रेक्ट देय कर	3		10	
ग) ठेकेदारों को भुगतान	234		396	
घ) अन्य	83		353	
ड) प्रतिभूति जमा ईएमडी के साथ	37		77	
च) रूकी हुई राशि मजदूरी उपकर के साथ दरें (ठेकेदारों के कारण)	122	8779	147	23408
योग (क) :		**8779**		**23408**
ख. प्रावधान				
1. करों के लिए		10422		39438
2. ग्रेज्यूटी		0		0
3. सेवानिवृत्ति / पेंशन		0		0
4. संचित छुट्टी का नकदीकरण		58		63
5. व्यापार वारंटी / दावे		-		-
6. अन्य (लेखा परीक्षकों के परिश्रमिक के लिए प्रावधान)		1		5
योग (ख)		**10481**		**39506**
योग (क+ख)		**19260**		**62914**

तेल उद्योग विकास बोर्ड 31.03.2015 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(राशि लाख रूपये में)

अनुसूची 8 – स्थाई परिसम्पतियाँ

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास			निवल ब्लॉक		
	01.04.14 से आरंभ वर्ष में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटोतियाँ	**31.03.15** वर्ष के अन्त में लागत/ मूल्यांकन	**01.04.14** वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	**31.03.15** को समाप्त वर्ष के अन्त में कुल योग	**31.03.15** को चालू वर्ष के अन्त में	**31.03.14** को पूर्व वर्ष के अन्त में
क स्थाई परिसम्पतियाँ										
1. भूमि										
क) पूर्ण स्वामित्व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) पट्टे पर	974	34	0	1008	0	0	0	0	1008	974
2 भवन										
क) पूर्ण स्वामित्व भूमि पर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) पट्टे वाली भूमि पर	10232	85	69	10248	2462	774	0	3236	7012	7770
ग) स्वामित्व मकान / परिक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) भूमि पर निर्माण जो संगठन से संबंधित नहीं है	32	0	0	32	18	0	0	18	14	14
3. प्लॉट मशीनरी एवं उपकरण	2936	0	0	2936	945	300	0	1245	1691	1991
4. वाहन	7	0	0	7	5	0	0	5	2	2
5. फर्नीचर, फीक्सर्च	3010	0	57	2953	832	225	128	929	2024	2178
6. कार्यालय उपस्कर	49	1	0	50	37	2	0	39	11	12
7. कम्प्यूटर / बाह्य उपकरण	50	3	0	53	44	4	0	48	5	6
8. विद्युत संस्थापन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ट्यूब वैल तथा पानी की आपूर्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. अन्य स्थिर परिसम्पतियाँ	23	0	0	23	8	2	0	10	13	15
चालू वर्ष का योग :	**17347**	**110**	**160**	**17297**	**4351**	**1307**	**128**	**5530**	**11767**	**12996**
गत वर्ष :	**17301**	**46**	**0**	**17347**	**2742**	**1609**	**0**	**4351**	**12996**	**14558**
ख. पूंजीगत चालू कार्य	**7**	**12**	**0**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19**	**7**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2015 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(रूपये लाख में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 9 – चिन्हित / अक्षय निधि से निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ		
3. शेयर		
4. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र	**शून्य**	
5. नियंत्रित तथा सयुंक्त उद्यम		
6. अन्य (उल्लेख करें)		
योग	-	-

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 10 – अन्य निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
बीको लारी लिमिटेड	5034	5034
4. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र	-	-
5. नियंत्रित तथा संयुक्त उद्यम (आई एस पी आर एल)	304932	239700
6. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
योग :	**309966**	**244734**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2015 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनूसूची 11 – चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि				
क चालू परिसम्पत्तियाँ				
1. इन्वेनटरी				
क) स्टोर एवं स्पेयर	-		-	
ख) खुले उपकरण	-		-	
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड				
तैयार माल	-		-	
प्रगतित कार्य	-		-	
कच्चा माल	-		-	
2. **फुटकर देनदारी**				
क) छ महीने से ज्यादा बकाया देनदरियाँ	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
3. **कुल नकद शेष (चैक / ड्राफट / अग्रदाय साहित)**		0		0
4. **बैक शेष**				
क) अधिसूचित बैंको के पास				
- चालू खातों पर	-		-	
- जमा खातों पर	50000		0	
- बचत खातों पर	3680	53680	18544	18544
ख) अनाधिसूचित बैंको के पास				
- चालू खातों पर	-		-	
- जमा खातों पर	-		-	
- बचत खातों पर	-	-	-	-
5. **डाक घर – बचत खाते**		-		-
योग (क) :		**53680**		**18544**

(राशि लाख रूपये में)

ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1. ऋण				
क) स्टाफ	25		29	
ख) तेल क्षेत्र की सार्वजनिक इकाईयाँ (अनुलग्नक II)	717665		782415	
ग) अन्य (उल्लेख करें)	-		-	
2. अग्रिम एवं अन्य राशियाँ जो कि नकद या अन्य प्रकार से प्राप्त है		**717690**		**782444**
क) पूंजीगत खातों पर (आईएसपीआरएल को अग्रिम)	16626		49467	
ख) अग्रिम किराया	231		0	
ग) अन्य (इसमें अग्रिम कर / टीडीएस, एमएम सैल, प्रतिभूति जमा तथा सीएचटी को दिया गया अग्रिम शामिल है)	16075	**32932**	42965	**92432**
3. उपार्जित आय				
क) चिन्हित / अक्षय निधि में निवेश	-		-	
ख) अन्य – निवेश	29		3	
ग) ऋण एवं अग्रिम	6568		6958	
घटाएं : संदिगध ऋणों का प्रावधान (पूर्व वर्षो में किया)	2714		2714	
घ) अन्य (डीजीएच से डेटा बिक्री)	65	**3948**	6	**4253**
4. वसूली योग्य दावे				
(i) विरोध के तहत भुगतान किया गया कर	10166		5217	
(ii) प्राप्त राशि	172	**10338**	227	**5444**
योग (क)		**764908**		**884573**
योग (क+ख)		**818588**		**903117**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2015 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 12 – ब्रिक्री / सेवाओं से आय		
1. ब्रिक्री से आय क) तैयार माल की बिक्री ख) कच्चे माल की बिक्री ग) खंडित माल की बिक्री 2. सेवाओ से आय क) मजदूरी एवं प्रक्रिया प्रभार ख) व्यावसायिक / परामर्शी सेवाएं ग) ऐजेंसी कमीशन तथा दलाली घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण / सम्पत्ति) ड.) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	
योग :		

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 13 – अनुदान / सहायता (अवसूलीय अनुदान तथा प्राप्त सहायता)		
1) केन्द्रीय सरकार 2) राज्य सरकारें 3) सरकारी एंजेंसियाँ 4) संस्थान / कल्याणकारी निकाय 5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 6) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	
योग :		

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2015 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 14 – शुल्क / अभिदान		
1. प्रवेश शुल्क 2. वार्षिक शुल्क / अंशदान 3. सेमीनार / कार्यक्रम शुल्क 4. परामर्शदाता शुल्क 5. अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	
योग :		

	चिन्हित निधियों से निवेश		निवेश अन्य	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 15 – निवेशों से आय				
(चिन्हित / अक्षय निधियों से निवेश पर आय) 1. ब्याज क) सरकारी प्रतिभूतियों पर ख) अन्य ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र 2. लाभांश क) शेयरों पर ख) म्यूचुअयल फंड प्रतिभूतियों पर 3. किराया 4. अन्य – एन आर एल इक्विटी की बिक्री से पूंजीगत लाभांश	शून्य			
योग :				
चिन्हित / अक्षय निधियों में अंतरण				

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2015 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 16 – रायल्टी, प्रकाशन, डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री आदि से आय		
1. रायल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशनों से आय	-	-
3. अन्य – डीजीएच तथा अन्य द्वारा डेटा बिक्री से आय	2221	56
योग :	**2221**	**56**

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 17 – अर्जित ब्याज		
1. सावधि जमा पर :		
क) अधिसूचित बैंको के पास (सावधि जमा)	1756	4604
ख) अनाधिसूचित बैंको के पास	-	-
ग) संस्थानों के पास	-	-
घ) अन्य	-	-
2. बचत खातो पर		
क) अधिसूचित बैंको के पास	76	140
ख) अनाधिसूचित बैंको के पास	-	-
ग) डाक घर बचत खाते	-	-
घ) अन्य	-	-
3. ऋणों पर		
क) कर्मचारी / स्टॉफ	1	2
ख) तेल कम्पनियाँ	66736	62257
4. देनदारी तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		
क) चल अग्रिम पर ब्याज	0	0
ख) आय कर विवरणी पर ब्याज	0	0
योग:	**68569**	**67003**
टिप्पणी – स्रोत पर कर कटौती का उल्लेख करें।	6884	6723

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2015 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूची

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 18 – अन्य आय		
1. परिसम्पत्तियों के ब्रिक्री / निपटान पर लाभ		
क) स्वयं खरीदी गई परिसम्पतियाँ	-	-
ख) प्राप्त अनुदान से खरीदी गई या मुफ्त में प्राप्त परिसम्पत्तियां		
2. निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3. विविध के लिए शुल्क	-	
4. विविध आय	1609	483
योग :	**1609**	**483**

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 19 – तैयार माल या चालू कार्यों के भंडार में वृद्धि / कमी		
क) अन्तिम स्टॉक		
- तैयार माल	शून्य	शून्य
- कार्यगत राशि		
ख) घटाएं : आरंभिक स्टॉक		
- तैयार माल		
- कार्यगत राशि		
निवल जमा (घटा) (क+ख)	-	-

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 20 – स्थापना खर्चे		
क) वेतन एवं मजदूरी	205	182
ख) भत्ते एवं बोनस	31	29
ग) भविष्य निधि में अंशदान	0	0
घ) तेउविबो कर्मचारी ग्रुप ग्रेज्यूटी तथा पेंशन निधि में अंशदान	18	16
ड.) चिकित्सा खर्चो सहित कर्मचारी कल्याण खर्चे	16	22
च) कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति तथा सेवान्त लाभ	7	11
छ) अन्य (संविदा प्रकोष्ठ के साथ)	2	254
योग :	**279**	**514**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2015 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
क) क्रय	0	0
ख) मजदूरी तथा संसाधित खर्चे	0	0
ग) गाडी तथा भाडा	0	0
घ) विद्युत तथा बिजली	276	310
ड0) जल प्रभार	1	1
च) बीमा	2	2
छ) मरम्मत एवं रखरखाव	143	107
ज) उत्पाद कर	0	0
झ) किराया, दरें तथा कर	17	295
त्र) गाडियों का चलन एवं रखरखाव	10	9
ट) डाक, तार एवं दूरभाष प्रभार	5	5
ठ) मुद्रण तथा लेखा सामग्री	10	10
ड) विविध खर्चे	4	7
ढ) सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं पर खर्चें	1	1
ण) अभिदान खर्चें	0	0
त) शुल्क पर खर्चें	0	0
थ) लेखा परीक्षको का पारिश्रमिक	0	5
द) आतिथ्य खर्चा	1	0
ध) व्यावसायिक प्रभार	33	40
न) संदिग्ध ऋण / अग्रिम के लिए प्रावधान	0	0
प) बट्टे खाते में डाले गए अवसूलीय खर्चें	0	0
फ) पैकिंग प्रभार	0	0
ब) माल भाड़ा तथा अग्रेषण खर्चे	0	0
भ) संवितरण खर्चें	0	0
म) विज्ञापन तथा प्रचार	2	2
अन्य (एफएमएस कार्य खर्चे तथा तेउविबो भवन का रखरखाव)	410	152
योग :	**915**	**946**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2015 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(राशि लाख रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 22 – अनुदान, सहायता आदि पर व्यय		
क) संस्थानों / संगठनों को जारी अनुदान (अनुलग्नक III–ए)	22511	12800
ख) सरकार / ते.उ.वि.बोर्ड द्वारा प्रायोजित योजना एवं परियोजनाओं के लिए (अनुलग्नक III–बी)	8553	2368
योग :	**31064**	**15168**

टिप्पणी–अनुलग्नक III (ए) तथा (बी) में कंपनी का नाम, उन्हें दी गई अनुदान /सब्सीडी राशि इंगित की गई है।

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 23 – भुगतान किया गया ब्याज		
क) स्थिर ऋणों पर	0	0
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार के साथ)	0	0
ग) अन्य	0	0
योग :	**0**	**0**

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनूसूची 24 – राज्य सरकारों को रायल्टी का भुगतान		
अरूणाचल प्रदेश सरकार	4500	5800
गुजरात सरकार	3800	5200
कुल	**8300**	**11000**

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष की यथास्थिति को लेखों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

अनुसूची–25 – महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखाकरण व्यावहारिक रीति

वित्तीय विवरणपत्र सिर्फ अनुदान सहायता को छोड़कर प्रोद्भवन आधार पर बनाये जाते हैं। अनुदानों का जिस वर्ष में भुगतान किया जाता है, उसी में इन्हें खर्च किया गया समझा जाता है और तदानुसार इन्हें राजस्व खर्चों में दर्शाया जाता है।

2. निवेश

दीर्घावधि निवेश लागत मूल्य पर लिए गए हैं। इन निवेशों की लागत दर्शाते समय उनमें अस्थाई आधार पर छोड़कर, मूल्यों में कमी का प्रावधान किया जाता है।

3. स्थाई परिसम्पत्तियाँ

स्थाई परिसम्पत्तियाँ के मूल्य में अभिग्रहण की लागत जिसमें अधिभार तथा कर तथा अभिग्रहण से संबंधित आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष खर्चे सम्मिलित हैं, निर्माण, संबंधित परियोजनाओं में पूर्व–प्रचालित खर्चे पूंजीगत की जाने वाली आस्तियों के अंग बनते हैं।

4. मूल्यह्रास

4.1 मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 1961 में उल्लिखित दरों के आधार "ह्रासित मूल्य" के अनुसार किया जाता है। स्थाई आस्तियों में वर्ष के दौरान हुई बढ़ोतरी/कमी के लिए मूल्यह्रास आयकर नियमों के आधार पर लिया जाता है। रूपये 5,000 या उससे कम कीमत की आस्तियों को इसी वर्ष में पूर्ण रूप से समायोजित कर दिया जाता है।

5. सरकारी अनुदान/सब्सिडी –

अनुदान विभिन्न राज्य सरकारों/प्रचालकों/को देय रायल्टी को छोड़कर जिसका भुगतान सरकार के आदेशानुसार किया जाता है, भुगतान के आधार पर लेखागत किया जाता है।

6. आय

व्यवहार्य परिसम्पतियों पर ब्याज एवं अन्य आय की गणना देय आधार पर होती है जबकि अव्यवहार्य परिसम्पत्तियों पर यह गणना उनकी प्राप्ति आधार पर होती है। व्यवहार्य परिसम्पतियाँ वह हैं जिन पर देय आय 90 दिन के बाद अप्राप्य नहीं रहती है।

7. विदेशी मुद्रा व्यापार

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन देन का लेखीकरण भुगतान किये जाने वाले दिन की विनिमय दर के आधार पर किया जाता है।

8. लीज़

लीज़ शर्तों के सन्दर्भ में लीज़ किराये को व्यय में दर्शाया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 तेउवि बोर्ड ने अपने वर्तमान कार्मिकों की पिछली सेवाओं की देयताओं के संरक्षण के लिए दो ट्रस्ट नामतः "तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रुप ग्रेज्यूटी योजना" तथा "तेउवि बोर्ड कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना" की स्थापना की। योजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था ट्रस्ट के माध्यम से वास्तविक मूल्याकंन के आधार पर की जा रही है।

9.2 कर्मचारियों द्वारा संचित छुट्टियों के एवज में भुगतान की जाने वाली राशि का प्रावधान किया जाता है तथा इसकी गणना इस अवधारणा पर की जाती है कि कर्मचारी हर वर्ष के अन्त में उसका लाभ–प्राप्त करने का हकदार है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड
मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष की यथास्थिति को लेखों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

अनुसूची–26 – आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएं:–

(क) रूपये 48.48 लाख (गत वर्ष रू0.36.58 लाख) के टीडीएस और उस पर ब्याज (2007–08 के लिए रू0.1.42 लाख वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए रू0. 39.87 लाख, वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए 0.05 लाख, वर्ष 2010–11 के लिए रू0.3.66 लाख और वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए रू0. 2.53 लाख, वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए रूप्ये 0.25 लाख, वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए रूपये 0.17 लाख और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 0.53 लाख) को खातों में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि आयकर आयुक्त (टीडीएस) के पास अपील लंबित है। सीआईटी (ए) की सलाह पर, ए ओ (टीडीएस) के समक्ष आई टी अधिनियम के अनुच्छेद 154 के तहत वित्तीय वर्ष 2007–08 और वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए एक संशोधन याचिका दायर की गई है और आई टी अधिकारियों द्वारा सुधार कर नये आदेश जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2015–16 के दावों के संबंध में आय कर विभाग से अलग से मामला उठाया जा रहा हैं।

(ख) तेउविबो तथा मैसर्स गोदरेज एण्ड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के बीच तेउविबो भवन के जी़3 ब्लॉक के आंतरिक कार्य के निष्पादन से उत्पन्न एक आर्बिट्रेशन मामला था। आरबीट्रेटर द्वारा फैसला मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के पक्ष में दिया गया तथा उनके दावे रू0. 180.41 लाख के बदले में रू0. 62.78 लाख की राशि देय करने का निर्णय दिया। तेउविबो ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में आरबीट्रेटर के फैसले के विरूद्ध एक याचिका दायर की। इसे ध्यान में रखते हुए, इस प्रावधान को खातों में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) एक अन्य आर्बिट्रेशन मामला तेउविबो तथा मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड के मध्य है, जो तेउविबो भवन के निर्माण हेतु सिविल और स्ट्रक्चरल कार्य निष्पादन से उत्पन्न हुआ, जिसमें ईपीआईएल द्वारा विभिन्न दावों हेतु तेउविबो पर 4471.78 लाख रूपये का दावा प्रस्तुत किया है। मामला आर्बिट्रेशन के लिए नियुक्त स्थाई तंत्र के एकमात्र आर्बिट्रेटर के पास लंबित है। इस दृष्टि से, इसके लिए खातों में प्रावधान नहीं किया गया है।

(घ) वाणिज्य कर विभाग (उत्तरप्रदेश) द्वारा वर्ष 2008–09 के लिए कार्य अनुबंध कर हेतु रू0.198.02 लाख की मांग की गई है। तेउविबो ने इस मामले को वाणिज्य कर विभाग में उठाया और संबंधित विभाग ने कर निर्धारण आदेश दिनांक 8.7.2011 के तहत तेउविबो को वर्ष 2008–09 के लिए कर देयताओं से मुक्त घोषित कर दिया।

2. वचन बद्धताएँ

पूंजीगत

क) भुगतान के लिए अन्तिम बिलों का मूल्य जो कि रू0.652 लाख (लगभग) मूल्य के है, पर पीएमसी और ठेकेदरों से स्पष्टीकरण के अभाव में विचार नहीं किया गया है।

ख) (i) इंडियन स्टैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) द्वारा बनाए जा रहे कार्यनीतिक कच्चे तेल भण्डारण के निर्माण हेतु सरकार के निर्देशानुसार परियोजना के लिए रूप्ये 383256 लाख तेउविबो द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे तथा शेष राशि रूपये 26579 लाख आनुपातिक लागत के अपने भाग के रूप में एचपीसीएल द्वारा दी जाएगी।

(ii) तेउविबो ने मार्च 2015 के अंत तक मैसर्स इंडियन स्टैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड(आईएसपीआरएल) को रूपये 321558 लाख (गत वर्ष 289167 लाख) इक्विटी के रूप में निवेश के लिए दिये। कंपनी पहले ही रूपये 304932 लाख तक के 3049320000 शेयर प्रत्येक प्रमाणपत्र 10/– रूप्ये आबंटित कर शेयर प्रमाण जारी कर चुकी है। शेष रूपये 16626 लाख की राशि 31 मार्च 2015 तक शेयरों के आबंटन के लिए लंबित है।

3. चालू परिसम्पतियाँ, ऋण तथा अग्रिम

क) सरकार के निर्देशानुसार, बीको लारी लिमिटेड को दिये गये रूपये 32.76 करोड के ऋण को कंपनी में तेउविबो की इक्विटी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। शेयर प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जा चुका है। इस ऋण को इक्विटी में परिवर्तन के पश्चात् बीको लॉरी लिमिटेड में तेउवि0बो की कुल इक्विटी रूपये 17.58 करोड़ से बढकर रूपये 50.34 करोड हो गई है, जो कि कंपनी की कुल इक्विटी का 67.33% है।

सीसीईए ने रूपये 59.60 करोड़ के संचित घाटे को समाहित करने की मंजूरी द्वारा बीएलएल की इक्विटी की पूंजी को रूपये 74.76 करोड़ से घटाकर रूपये 15.16 करोड़ करने की स्वीकृति दी है। बीएलएल की इक्विटी में कमी से तेउविबो को रूपये 40.13 करोड़ का नुक्सान होगा क्योंकि

रूपये 50.34 करोड़ रूपये की तेउविबो की इक्विटी 4.93:1 के अनुपात में घटकर रूपये 10.21 करोड़ हो जाएगी।

बीएलएल द्वारा कंपनी अधिनियम के तहत मामले को संकलित कर लेने के पश्चात् तेउविबो, बीएलएल में इक्विटी पूंजी की कमी के कारण तेउविबो के घाटे को बट्टे खाते में डालने को तेउविबो/केन्द्रीय सरकार के समक्ष ले जाएगा। केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति के पश्चात् हानि को आईसीएआई के लेखा मानक–13 के अनुसार तेउविबो के लेखा खातों में दर्शा दिया जाएगा।

ख) केनफिना तथा बीको लॉरी लिमिटेड से वसूले जाने वाले ब्याज क्रमशः रूपये 2446 लाख रूपये तथा रूपये 268 लाख है। कैनफिना, तेउवि बोर्ड के नाम खरीदी गई प्रतिभूतियों के शुद्ध वसूली मूल्य (एनआरवी) को, जब भी उसका नकदीकरण होगाा उसे तेउविबो को देने को तैयार है। कैनफिना ने अपने पत्र सं0–कैनफिनाःयूीवीएसः613:2015 दिनांक 06.02.2015 में सूचित किया कि प्रतिभूतियों नामतः मोदी इंडस्ट्रीज, 30/06 एनसीडी परशुरामपुरिया सिंथेटिक्स, 03/04 एनसीडी और गरवेयर नायलोन्स लिमिटेड 01/08 एनसीडी का शुद्ध वसूली मूल्य (एनआरवी) 2,90,887/– है और उसे स्वीकृत करने का अनुरोध किया। अध्यक्ष, तेउविबो ने दिनांक 31.07.2015 के आदेश के अंतर्गत इसकी स्वीकृति का अनुमोदन दिया है। यूटीआई 1964 योजना यूनिट के तहत प्रतिभूतियों से संबंधित मामला पर मुकदमेंबाजी चल रही है। चूंकि इस राशि की वसूली संदिग्ध रही है, अतः लेखों में इसे पहले ही संदिग्ध कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

ग) तेउविबो द्वारा निर्णय लिया गया है कि अपने अनुदानी संस्थानों से कोई किराया तथा रखरखाव प्रभार नहीं लिया जाएगा। इसलिए अनुदानी संस्थानों से न तो कोई वसूली की गई और न ही अनुदानी संस्थानों से किराया या रखरखाव प्रभार के अन्तर्गत लेखों में वसूली योग्य राशि दर्शायी गई है।

4. कर निर्धारण

(क) चूँकि तेउविबो आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत एक आयकर भुगतान वाली कंपनी है अतः आयकर के लिए प्रावधान करना आवश्यक समझा गया है। संलग्न लाभ तथा हानि लेखे (अनुलग्नक-I) आयकर विभाग को देय आयकर की गणना करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (xii) के तहत आयकर कटौती के लिए प्राधिकृत संस्थान के रूप में अधिसूचित करने के पश्चात तैयार किए गए हैं।

(i) वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, तेउविबो द्वारा सीआईटी (ए) के आदेश के विरूद्ध माननीय आईटीएटी के समक्ष वित्तीय वर्ष 2005–06, 2006–07 तथा वर्ष 2007–08 के लिये दिनांक 22.08.2004 को याचिका दायर की गई। सीआईटी (ए) के आदेश के विरूद्ध आईटीएटी के समक्ष वित्त वर्ष 2008–09 तथा 2010–11 के लिये भी अपील की गई।

इसके अतिरिक्त आय कर विभाग ने धारा 143 (3) के अन्तर्गत मूल्याकंन वर्ष 2012–13 के लिए 20.57 करोड़ रूपये की मांग की है। जिसका दिनांक 26.02.2015 को भुगतान कर दिया गया। तेउविबो द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 और वर्ष 2012–13 के लिए भी सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की है।

5. सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, तेउविबो द्वारा रॉयल्टी के अंतर का भुगतान राज्य सरकारों को किया जाता है। इस खर्च को तेउवि बोर्ड का खर्च माना जाता है।

6. तेउविबो द्वारा वर्ष के दौरान किए गए दूरभाष, इन्टरनेट सुविधा प्रबंधन, विद्युत भार तथा डीजल प्रभार आदि की समानुपातिक लागत आईएसपीआरएल को डेबिट की जा चुकी है।

7. (i) आईसीएआई द्वारा जारी AS-15 के प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यमान कर्मचारियों की सेवानिवृत्त लाभ के लिए पेंशन तथा ग्रेज्यूटी निधि के लिए बोर्ड ने वर्ष के दौरान दो विभिन्न ट्रस्टों (न्यासों) नामतः "तेउवि बोर्ड कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना" तथा तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना का गठन किया।

(ii) तेउवि बोर्ड ने आयकर विभाग में आयकर अधिनियम 1961 की चौथी अनुसूची के भाग बी तथा भाग सी में अपनी दो योजनाओं क्रमशः"तेउविबो कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना" तथा तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना के लिए कर में छूट के लिए आवेदन दिया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।

8. चार्टर्ड एकांउट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक लेखाकरणों का जहां लागू हो अनुपालन किया गया है।

9. 1 से 26 तक अनुसूचियां संलग्न हैं तथा ये दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे तथा तुलनपत्र का अन्तरिम भाग है।

10. तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा, लाभ तथा हानि लेखा, तथा सूचियों के आँकडे को निकटतम लाख रूपये के गुणांक में दर्शाया गया है। पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार सुव्यवस्थित/सुगठित किया गया है।

ह0 ह0

(अजय श्रीवास्तव) (यू.पी. सिंह)

वित्त सलाहकार एवं लेखा अधिकारी सचिव

दिनांक: 31.08.2015

स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक-I
(सन्दर्भ : अनुसूची 25 नोट सं 5(क))

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.3.2015 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि खाता

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	**अनूसूची**	**2014-15**	**2013-14**
आय			
ब्याज आय	17	68569	67003
निवेश से आय	15	0	0
अन्य आय	16 & 18	3830	539
योग	16 & 18	**72399**	**67542**
खर्चे			
प्रत्यक्ष कार्यकलापों पर व्यय	22 & 24	39364	26168
कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते	20	279	514
प्रशासनिक खर्चे	21	915	946
अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास	8	1179	1609
योग		**41737**	**29237**
वर्ष के लिए लाभ		**30662**	**38305**
कर पूर्व शुद्ध लाभ		**30662**	**38305**
घटाएं – कर के लिए प्रावधान		**10422**	**13020**
कर पश्चात् शुद्ध लाभ, तुलनपत्र में स्थानान्तरित		**20240**	**25285**
विशेष लेखानीतियां एवं लेखों पर टिप्पणी	25 & 26		

ह0
(अजय श्रीवास्तव)
वित्त सलाहकार एवं लेखा अधिकारी

ह0
(यू.पी. सिंह)
सचिव

दिनांक: 31.08.2015
स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक-II
(सन्दर्भ : अनुसूची 11 बी)

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों से 31 मार्च 2015 तक ऋणों के बकाये का विवरण

(राशि लाख रूपये में)

क्रम.सं	कम्पनी का नाम	01.04.2014 को आंरभिक शेष	वर्ष 2014–15 के दौरान संवितरित ऋण	तेल उपक्रमों द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान वापस किए	31.03.2015 को अंतिम शेष
1	गेल	232975	0	52875	180100
2	आईओसीएल	220300	42000	76725	185575
3	बीपीसीएल	32125	90750	17925	104950
4	एचपीसीएल	69750	12000	23450	58300
5	सीपीसीएल	9800	0	9800	0
6	एनआरएल	8248	0	2423	5825
7	बी सी पी एल	97662	0	4087	93575
8	डीएनपी लि.	0	0	0	0
9	एमआरपीएल	100000	0	20000	80000
10	गेल गैस लिमिटेड	11555	1235	3450	9340
	कुल	**782415**	**145985**	**210735**	**717665**

अनुलग्नक : 111 (ए)
सन्दर्भ : अनुसूची 22

वर्ष 2014–15 के दौरान दिए गए अनुदान को दर्शाने वाली तालिका

(राशि लाख रूपये में)

क्रम.सं		संस्थान का नाम	2014-15	2013-14
	क	नियमित अनुदानी संस्थान		
1		हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय	13795	3962
2		पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन	4086	4154
3		उच्च प्रोद्यिगिकी संस्थान	1038	1845
4		पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ	1625	1436
5		तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय	1483	1374
		योग (क)	**22027**	**12771**
	ख	**अनुसंधान एवं विकास अनुदान**		
6		एनजीएचपी – II	31	23
7		आईओसीएल INDApeptG (अनुसंधान एवं विकास)	370	0
8		राजस्थान सरकार, पेट्रोलियम विभाग	83	0
10		आई.आई.टी. मुंबई	0	6
		योग (ख)	**484**	**29**
		योग (क+ख)	**22511**	**12800**

अनुलग्नक:111 (बी)
सन्दर्भ : अनुसूची 22

भारत सरकार / ते.उ.वि.बोर्ड द्वारा प्रायोजित योजनाओं/परियोजनाओं पर वर्ष 2014–15 के दौरान व्यय

(राशि लाख रूपये में)

क्रम. सं	संस्थान का नाम	2014-15	2013-14
1	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली	8553	2368
	कुल योग	**8553**	**2368**

अध्याय-VIII

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखाकार की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट

तेल उद्योग विकास बोर्ड के दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक का लेखा प्रमाणपत्र।

1. हमने, तेल उद्योग विकास बोर्ड के दिनांक 31 मार्च 2015 तक के तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय तथा व्यय लेखों की लेखा परीक्षा, भारत के नियत्रंक और महा लेखा परीक्षक द्वारा तेल उद्योग विकास अधिनियम 1971 की धारा 20(2) के साथ पठित नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियॉ तथा सेवा की शर्तो) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा की है। जिसे तेल उद्योग विकास अधिनियम 1974 (तेउविबो नियम 1974) की धारा 20(2) के साथ पढ़ा जाए। इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व ते.उ.वि.बो. के प्रबंधन का है हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षा के आधार पर अपना मत प्रस्तुत करना है।

2. हमने, अपने लेखा परीक्षण, भारत में सामान्य रूप से लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर किए हैं। इन मानकों के अनुसार हम लेखा परीक्षण इस प्रकार योजित एवं निष्पादित करते हैं ताकि इस बात से आश्वासित किया जा सके कि लेखा परीक्षण में कोई भी अयथार्थ विवरण नहीं है। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच मूल्यों से संबंधित प्रमाण तथा तालिका में उनका प्रकटन होना चाहिए। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा परीक्षणों के सिद्धान्तों का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों तथा वित्तीय कथनों के सम्पूर्ण प्रदर्शन का मूल्यांकन करना शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षण हमारी राय को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।

3. लेखा परीक्षणों के आधार पर हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

(i) हमने, वह सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो कि हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थी।

(ii) हमारी राय में जैसाकि हमारे प्रशिक्षणों में लगा कि निम्नलिखित को छोड़कर लेखा पुस्तिकाएं तथा संबंधित रिकार्ड अद्यतन किए जा रहे हैं।

(क) तुलनपत्र

(क) निवेश अन्य (अनुसूची 10) :– रूपये 3099.66 करोड़

इसमें 50.38 करोड़ रूपये शामिल हैं जो निवेश के रूप में बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) में इक्विटी के रूप में हैं। बीको लॉरी लिमिटेड एक घाटे वाली कंपनी है, इसकी कुल संचित हानि इसकी पूंजीगत निधि तथा रिजर्व निधि से ज्यादा हो गई थी जिससें कंपनी का शुद्ध निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया। भारत सरकार ने (मई 2011) में तेउविबो के 32.76 करोड़ रूपये के ऋण को इक्विटी में बदलने का निर्णय लिया जिससे बीएलएल की मौजूदा इक्विटी पूंजी 42 करोड़ रूपये से बढ़कर 74.76 करोड़ रूपये हो गई और उसके पश्चात् संकलित ह्रास 59.60 करोड रूपये को बट्टे खाते में डालने से बीएलएल की इक्विटी पूंजी 74.76 करोड़ से 15.16 करोड़ हो गई। 31 मार्च 2014 को बीएलएल में शेयर धारकों की निधियां हानियों के एक बार फिर संचयन से ऋणात्मक 16.27 करोड़ तक हो गई। लेखा मानक 13 के अनुसार निवेश मूल्य में, अस्थाई के अलावा होने के कारण, मूल्य ह्रास 50.34 करोड़

रूपये को, जिसका प्रावधान किया जाना चाहिए। जैसाकि प्रबंधन द्वारा निवेश मूल्य में 40.13 करोड़ रूपये के घाटे का प्रावधान किया गया।

विगत वर्षों में तेउविबो के लेखों पर नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल की इक्विटी शेयरों में निवेश पर मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया है।

(ख) आय एवं व्यय लेखे

अन्य आय– (अनुसूची 18) : 16.09 करोड रूपये

क) एनटीपीसी से दिनांक 16.11.2011 से 31.3.2014 हेतु प्राप्त रखरखाव शुल्क का किराया रूपये 0.48 करोड़ प्राप्त हुआ, जो पूर्व में गलती से किराए के अंतर्गत बुक कर लिया गया, अब बजाए पूर्व अवधि की आय में डेबिट करने के अन्य आय के अंतर्गत किराए खाते में से डेबिट करके समायोजित किया गया है।

ख) उपरोक्त राशि में पिछले वर्ष/वर्षों की आय के रूपये 12 करोड़ शामिल हैं, जो एएस–5 के अनुसार अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

(ग) आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां (अनुसूची 26)

क) 105.88 करोड़ रूपये की आकस्मिक देयताएं निम्न लेखों में दर्शायी गई है:–

i) आयकर विभाग को 101.66 करोड़ रूपये की राशि जुर्माने के रूप में विरोध के तहत जमा की गई जिसे वसूली के दावों में दर्शाया गया है।

ii) तेउविबो के भवन के निर्माण के संबंध में ठेकेदार द्वारा परामर्श शुल्क के रूप में अनुबंध की अवधि से अधिक रोक कर रखने के कारण 4.22 करोड़ रूपये की राशि का दावा किया है।

(ख) सन्दर्भ टिप्पणी 7.1 वर्तमान कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के लिए दो ट्रस्टों के निर्माण के संबंध में है। तथ्य यह है कि तेउविबो कर्मचारी सेवा निवृत्ति योजना के लिए वर्ष 2013–14 और 2014–15 और तेउविबो कर्मचारी ग्रेच्यूटी योजना के लिए में वर्ष 2014–15 में एलआईसी द्वारा वास्तविक बीमांकित मूल्यांकन के अभाव में प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं किया गया तथा प्रीमियम राशि की देयताओं का प्रकटन नहीं किया गया।

(घ) सामान्य

सीएजी लेखा परीक्षा के लिए प्राप्ति और भुगतान खातों को वार्षिक खातों के साथ संलग्न नहीं किया गया है। ये भी देखा गया है कि तेउविबो अपनी, सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के साथ मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट जो संसद में प्रस्तुत की जाती है, में इसे प्रकाशित भी नहीं कर रहा है।

(i) इस रिपोर्ट में लगे अनुलग्नक में बताए महत्वपूर्ण अनुबंध मामलों की ओर भी ध्यानाकर्षित किया गया है।

(ii) पिछले अनुच्छेदों में, हमारे अवलोकन के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय लेखा इस रिपोर्ट के साथ ठीक तैयार किए हैं और लेखों की पुस्तिकाओं के अनुसार हैं।

(iii) हमारे विचार व हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कथित वित्तीय विवरणिकाओं जिन्हें उनपर दिए गए लेखा नीतियों व नोट के साथ पढ़ा जाए तथा उपरोक्त अनुच्छेद 3 (ii) व (iii) भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुरूप है, और एक सत्य व निष्पक्ष राय प्रदान करते हैं।

(क) जहॉ तक कि इसका संबंध दिनांक 31 मार्च 2015 तक तेल उद्योग विकास बोर्ड के कार्यों पर आधारित तुलन पत्र मामले से हैं।

(ख) जहां तक कि इसका संबंध उस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के लाभ तथा हानि लेखों से है, व्यय से अधिक आय को कापर्स/पूंजीगत निधि में स्थानान्तरित कर दिया गया हैं।

ह0/–

(परमा सेन),

प्रधान निदेशक वाणिज्य
लेखा–परीक्षा और पदेन सदस्य,
लेखा परीक्षा बोर्ड–II मुम्बई

अनुसूची
(लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुच्छेद 3(iii) के संदर्भ में)

1. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

क) अनुदानी संगठनों से प्राप्त होने वाली वास्तविक प्रगति रिपोर्ट को प्राप्त करने के लिए अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ और औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए।

ख) अनुदान जारी करने के पश्चात तेउविबो अनुदानी संस्थानों से वार्षिक आधार पर परियोजना की वास्तविक प्रगति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र लेता है। हालांकि कार्य, की वास्तविक प्रगति बोर्ड द्वारा सत्यापित नहीं की जाती और न तो बोर्ड के पास कोई ऐसी प्रभावी प्रणाली है, जिससे अनुदान के उचित उपयोग को मॉनिटर किया जा सके।

2. अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए अनुदान सहायता

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 की धारा 6 के अनुसार बोर्ड, वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक अनुसंधान जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल उद्योग के लिए उपयोगी है, के लिए सहायता प्रदान कर सकता है। हालॉकि:

(i) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्यरत कार्यालयों को पिछले 3 वर्षें (2012–13 से 2014–15 तक) के दौरान तेउविबो द्वारा संवितरित कुल अनुदान रूपये 501.90 करोड़ वर्ष (2013–14 के लिए रूपये 225.11 करोड) था। जिसमें 7.72 करोड रूपये का अनुदान विशिष्ट तौर पर अनुसंधान एवं विकास के लिए दिया गया जो कुल अनुदान का मात्र 1.5: हैं। अभिलेखों से यह संकेत नहीं मिलता है कि शेष अनुदान (रूपये 494.18 करोड) को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए ही उपयोग किया गया।

(ii) आवर्ती आधार पर, आवर्ती अनुदान उपलब्ध कराने की वर्तमान वित्तीय व्यवस्था, इन संगठनों अर्थात– हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच), पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए), उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र, (सीएचटी), तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) तथा पेट्रोलियम योजना एवं आकलन प्रकोष्ठ (पीपीएसी),को उनके नियमित व्यय की पूर्ति करने में सहायक होती है। जिसके परिणाम स्वरूप संसदीय बजटीय नियंत्रण दरकिनार हो जाता है। इसके अतिरिक्त तेउविबो निधियों से दो निदेशालय डीजीएच तथा पीपीएसी को अनुदान देना एक असामान्य प्रक्रिया है जिसे तत्काल मंत्रालय द्वारा सुलझाना चाहिए।

3. अचल संपत्तियों का वास्तविक सत्यापन

बहियों (अंचल संपत्ति रजिस्टर), के सन्दर्भ में सम्पतियों का वास्तविक सत्यापन सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), के नियम 192(i) के अनुसार नहीं किया जा रहा है, तेउविबो जीएफआर के अंतर्गत आवश्यक अचल सम्पत्ति रजिस्टर व्यवस्थित नहीं करता है।

4. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

जैसाकि तेउविबो द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान सूचित किया, कि तेउविबो द्वारा सभी करों तथा सांविधिक देयताओं का भुगतान समय पर किया गया है।

5. सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की पर्याप्तता

तेउविबो ऋण तथा अनुदान के कार्य करता है। तकनीकी त्रृटि के कारण निगरानी के लिए साफ्टवेयर तेउविबो में स्थापित नहीं किया गया। तेउविबो को अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बेहतर करने लिए अपनी आईटी प्रणाली को मजबूत करना होगा।

तेल उद्योग विकास बोर्ड के वित्त वर्ष 2014–2015 को समाप्त लेखों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा प्रमाणपत्र पर दिए गए प्रश्नों के तेउविबो द्वारा उत्तर

लेखा परीक्षक की टिप्पणी		तेल उद्योग विकास बोर्ड के उत्तर
(क) तुलनपत्र **(क) निवेश अन्य (अनुसूची 10) :–रूपये 3099.66 करोड़** इसमें 50.38 करोड़ रूपये शामिल हैं जो निवेश के रूप में बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) में इक्विटी के रूप में हैं। बीको लॉरी लिमिटेड एक घाटे वाली कंपनी है, इसकी कुल संचित हानि इसकी पूंजीगत निधि तथा रिजर्व निधि से ज्यादा हो गई थी जिससें कंपनी का शुद्ध निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया। भारत सरकार ने (मई 2011) में तेउविबो के 32.76 करोड़ रूपये के ऋण को इक्विटी में बदलने का निर्णय लिया जिससे बीएलएल की मौजूदा इक्विटी पूंजी 42 करोड़ रूपये से बढ़कर 74.76 करोड़ रूपये हो गई और उसके पश्चात् संकलित ह्रास 59.60 करोड रूपये को बट्टे खाते में डालने से बीएलएल की इक्विटी पूंजी 74.76 करोड़ से 15.16 करोड़ हो गई। 31 मार्च 2014 को बीएलएल में शेयर धारकों की निधियां हानियों के एक बार फिर संचयन से ऋणात्मक 16.27 करोड़ तक हो गई। लेखा मानक 13 के अनुसार निवेश मूल्य में, अस्थाई के अलावा होने के कारण, मूल्य ह्रास 50.34 करोड़ रूपये को, जिसका प्रावधान किया जाना चाहिए। जैसाकि प्रबंधन द्वारा निवेश मूल्य में 40.13 करोड़ रूपये के घाटे का प्रावधान किया गया। विगत वर्षों में तेउविबो के लेखों पर नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल की इक्विटी शेयरों में निवेश पर मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया है।		तेउविबो द्वारा मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) के इक्विटी निवेश के मूल्य में कमी को नहीं दर्शाया जा सका, क्योंकि बीएलएल ने सूचित किया था कि वे कोलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय में वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि बीएलएल ने बाद में सूचित किया कि वे माननीय उच्च न्यायालय से संपर्क नहीं कर सकते क्योंकि रूग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 की धारा 3 (1) (ओ) के तहत बीआईएफआर ने कंपनी को रूग्ण कंपनी घोषित कर दिया है। विगत वर्षों में तेउविबो के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल के इक्विटी शेयरों में निवेश पर मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया है।

(ख) आय एवं व्यय लेखे **अन्य आय– (अनुसूची 18) : 16.09 करोड रूपये**		
क) एनटीपीसी से दिनांक 16.11.2011 से 31.3.2014 हेतु प्राप्त रखरखाव शुल्क का किराया रूपये 0.48 करोड़ प्राप्त हुआ, जो पूर्व में गलती से किराए के अंतर्गत बुक कर लिया गया, अब बजाए पूर्व अवधि की आय में डेबिट करने के अन्य आय के अंतर्गत किराए खाते में से डेबिट करके समायोजित किया गया है।		1.4.2014 से 31.1.2015 तक की अवधि का प्राप्त 10 महीने के किराए की राशि रूपये 133.50 लाख को आय शीर्ष 'एनटीपीसी से किराया' के तहत दर्ज की गई थी। विगत वर्षों में रखरखाव शुल्क लेने के फैसले पर निर्णय नहीं लिया गया था अतः रखरखाव प्रभार रूपये 47.54 लाख को भी उसी बजट शीर्ष अर्थात 'एनटीपीसी से किराया' के तहत दिखाया गया था। हालांकि, बाद में तेउविबो द्वारा एनटीपीसी से रखरखाव शुल्क लेने का निर्णय लिया गया था, जो कि रखरखाव शीर्ष में दर्शाया गया है। तदानुसार वित्त वर्ष 2014–15 में प्रविष्टि का समायोजन किया गया है।
ख) उपरोक्त राशि में पिछले वर्ष/वर्षों की आय के रूपये 12 करोड़ शामिल हैं, जो एएस–5 के अनुसार अलग से दर्शाया जाना चाहिए।		प्रचलित लेखा चलन के अनुसार, पूर्व अवधि की आय को तेउविबो के लेखा शीर्ष में समेकित आय के रूप में दर्शाया गया है हालॉकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई सलाह के आधार पर वित्त वर्ष 2015–16 से इसे अंशों में अलग–अलग दिखाया जाएगा ।
(ग) आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां (अनुसूची 26) क) 105.88 करोड़ रूपये की आकस्मिक देयताएं निम्न लेखों में दर्शायी गई है:–		
i) आयकर विभाग को 101.66 करोड़ रूपये की राशि जुर्माने के रूप में विरोध के तहत जमा की गई जिसे वसूली के दावों में दर्शाया गया है।		वसूली के दावों के अलावा 101.66 करोड़ रूपये की आकस्मिक देनदारियों को वर्तमान वित वर्ष 2015–16 में अलग से लेखों पर टिप्पणियों दर्शा दिया जाएगा।

ii) तेउविबो के भवन के निर्माण के संबंध में ठेकेदार द्वारा परामर्श शुल्क के रूप में अनुबंध की अवधि से अधिक रोक कर रखने के कारण 4.22 करोड़ रूपये की राशि का दावा किया है।		ईआईएल द्वारा दिए गए बिल पर तेउविबो ने मतभेद प्रकट किया है। हालांकि, चालू वित्त वर्ष 2015–16 में लेखा पर टिप्पणियों में इस बारे में आवश्यक प्रकटन कर दिया जाएगा।
(ख) सन्दर्भ टिप्पणी 7.1 वर्तमान कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के लिए दो ट्रस्टों के निर्माण के संबंध में है। तथ्य यह है कि तेउविबो कर्मचारी सेवा निवृत्ति योजना के लिए वर्ष 2013–14 और 2014–15 और तेउविबो कर्मचारी ग्रेच्यूटी योजना के लिए में वर्ष 2014–15 में एलआईसी द्वारा वास्तविक बीमांकित मूल्यांकन के अभाव में प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं किया गया तथा प्रीमियम राशि की देयताओं का प्रकटन नहीं किया गया।		तेउविबो कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना और तेउविबो कर्मचारी ग्रेच्यूटी योजना के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मांग–पत्र प्राप्त न होने के मामले को, एलआईसी में लगातार उठाया जा रहा है और, बार–बार याद दिलाने के बावजूद, तेउविबो को एलआईसी से इस संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है। इस मामले को अब एलआईसी में उच्च स्तर पर उठाया जा रहा है। जैसाकि देयताएं वास्तविक बीमांकित मूल्याकंन पर ही बनती हैं अतः तेउविबो के लिए एलआईसी से वास्तविक बीमांकित मूल्यांकन के मांग–पत्र के बिना देनदारी को दर्शाना संभव नहीं है। जहां तक लेखों पर नोट में तथ्यों के अप्रकटन का संबंध है, उसे भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
(ध) सामान्य सीएजी लेखा परीक्षा के लिए प्राप्ति और भुगतान खातों को वार्षिक खातों के साथ संलग्न नहीं किया गया है। ये भी देखा गया है कि तेउविबो अपनी, सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के साथ मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट जो संसद में प्रस्तुत की जाती है, में इसे प्रकाशित भी नहीं कर रहा है।		संगठन, एक आर्टिफिशयल जयूरिडिकल पर्सन है और एक लाभकारी संगठन है। तेउवि बोर्ड तेल कंपनियों को वित्तीय सहायता के साथ–साथ ऋण भी प्रदान करता है। यह वितरित ऋणों पर ब्याज से आय अर्जित करता है जो कि कर योग्य है और अलाभकारी संगठनों पर लागू आय कर के अनुच्छेद–11, 12 में जो छूट दी गई है वह इस पर लागू नहीं है इसलिए प्राप्ति और भुगतान लागू नहीं होता है, हालांकि, तेउविबो द्वारा आय और व्यय खाता बनाया जा रहा है।

अनुलग्नक
(लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुच्छेद 3 (III) के संदर्भ में)

लेखा परीक्षक की टिप्पणी		तेल उद्योग विकास बोर्ड के उत्तर
1. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली क) अनुदानी संगठनों से प्राप्त होने वाली वास्तविक प्रगति रिपोर्ट को प्राप्त करने के लिए अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ और औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए। ख) अनुदान जारी करने के पश्चात तेउविबो अनुदानी संस्थानों से वार्षिक आधार पर परियोजना की वास्तविक प्रगति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र लेता है। हालांकि कार्य, की वास्तविक प्रगति बोर्ड द्वारा सत्यापित नहीं की जाती और न तो बोर्ड के पास कोई ऐसी प्रभावी प्रणाली है, जिससे अनुदान के उचित उपयोग को मॉनिटर किया जा सके।		सीमित कार्मिकों और तकनीकी विशेषज्ञ पेशेवरों की अनुपलब्धता के कारण तेउविबो के लिए यह संभव नहीं है कि वे मौजूदा कार्मिकों से अनुसंधान और विकास संस्थानों द्वारा किए गए कार्यों की भौतिक प्रगति की जांच/सत्यापित करें और अनुदान के अनुचित उपयोग की निगरानी रख सके।
2. अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए अनुदान सहायता तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 की धारा 6 के अनुसार बोर्ड, वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक अनुसंधान जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल उद्योग के लिए उपयोगी है, के लिए सहायता प्रदान कर सकता है। हालॉकि : (i) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्यरत कार्यालयों को पिछले 3 वर्षें (2012–13 से 2014–15 तक) के दौरान तेउविबो द्वारा संवितरित कुल अनुदान रूपये 501.90 करोड़ वर्ष (2013–14 के लिए रूपये 225.11 करोड) था। जिसमें 7.72 करोड रूपये का अनुदान विशिष्ट तौर पर अनुसंधान एवं विकास के लिए		वर्ष 2014–15 के दौरान, अनुसंधान एवं विकास के लिए 162.89 करोड आबंटित किए गए जो कि कुल बजट 518.48 करोड़ का 31.42 प्रतिशत हैं। अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से मांग न आने के कारण केवल 0.31 करोड का ही उपयोग हुआ। तेउविबो ने अनुसंधान एवं विकास अनुदान के बेहतर उपयोग पर सुझाव देने के लिए अनुसंधान एवं विकास समिति के गठन के लिए कदम उठाए हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिस पर जांच चल रही है।

दिया गया जो कुल अनुदान का मात्र 1.5% हैं। अभिलेखों से यह संकेत नहीं मिलता है कि शेष अनुदान (रूपये 494.18 करोड) को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए ही उपयोग किया गया। (ii) आवर्ती आधार पर, आवर्ती अनुदान उपलब्ध कराने की वर्तमान वित्तीय व्यवस्था, इन संगठनों अर्थात– हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच), पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए), उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र, (सीएचटी), तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) तथा पेट्रोलियम योजना एवं आकलन प्रकोष्ठ (पीपीएसी),को उनके नियमित व्यय की पूर्ति करने में सहायक होती है। जिसके परिणाम स्वरूप संसदीय बजटीय नियंत्रण दरकिनार हो जाता है। इसके अतिरिक्त तेउविबो निधियों से दो निदेशालय डीजीएच तथा पीपीएसी को अनुदान देना एक असामान्य प्रक्रिया है जिसे तत्काल मंत्रालय द्वारा सुलझाना चाहिए।		वर्ष 2014–15 के दौरान, अनुसंधान एवं विकास के लिए 162.89 करोड आबंटित किए गए जो कि कुल बजट 518.48 करोड़ का 31.42 प्रतिशत हैं। अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से मांग न आने के कारण केवल 0.31 करोड का ही उपयोग हुआ। तेउविबो ने अनुसंधान एवं विकास अनुदान के बेहतर उपयोग पर सुझाव देने के लिए अनुसंधान एवं विकास समिति के गठन के लिए कदम उठाए हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिस पर जांच चल रही है।
3. अचल संपत्तियों का वास्तविक सत्यापन बहियों (अंचल संपत्ति रजिस्टर), के सन्दर्भ में सम्पतियों का वास्तविक सत्यापन सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), के नियम 192(प) के अनुसार नहीं किया जा रहा है, तेउविबो जीएफआर के अंतर्गत आवश्यक अचल सम्पत्ति रजिस्टर व्यवस्थित नहीं करता है।		पहले परिसंपत्तियों का रिकार्ड कम्प्यूटर पर रखा जाता था और परिसम्पति रजिस्टर नहीं बनाया गया था। अब, उपलब्ध प्रारूप के आधार पर अक्टूबर 2015 से परिसम्पत्ति रजिस्टर खोला गया है और परिसम्पत्तियों के सत्यापन के आधार पर प्रविष्टियां की जा रही हैं। हालांकि, सी एंड एजी की सलाह पर, परिसम्पत्ति रजिस्टर बनाया जाएगा और सी एंड एजी द्वारा दिए गए प्रारूप के अनुसार उसमें प्रविष्टियां की जाएगी।
4. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता जैसाकि तेउविबो द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान सूचित किया, कि तेउविबो द्वारा		सभी सांविधिक देयताओं का समय पर भुगतान किया गया।

सभी करों तथा सांविधिक देयताओं का भुगतान समय पर किया गया है।		
5. सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की पर्याप्तता तेउविबो ऋण तथा अनुदान के कार्य करता है। तकनीकी त्रृटि के कारण निगरानी के लिए साफ्टवेयर तेउविबो में स्थापित नहीं किया गया। तेउविबो को अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बेहतर करने लिए अपनी आईटी प्रणाली को मजबूत करना होगा।		कथित सॉफ्टवेयर, तकनीकी त्रृटि के, जिसे पीसीआरए द्वारा भी सुधारा नहीं जा सका, के कारण से तेउवबो में स्थापित नहीं किया जा सका। हालांकि इस मामले को पहले ही उनके साथ उठाया गया है। तेउविबो वर्तमान में अपेक्षित डेटा को प्रबंधन के लिए एमएस एक्सेल का उपयोग कर रहा है और किसी अन्य साफ्टवेयर के उपयोग पर विचार नहीं किया गया क्योंकि मौजूदा डेटा का प्रबंधन इसमें अच्छी तरह किया जा रहा है।

अध्याय-IX

आईएसपीआरएल की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे

निदेशक मंडल

श्री सौरभ चन्द्र	अध्यक्ष	(30.04.2015 तक)
श्री के.डी. त्रिपाठी	अध्यक्ष	(17.07.2015 से)
श्री राजीव कुमार	निदेशक	(01.12.2014 तक)
डा. एस.सी. खुंटिआ	निदेशक	(15.06.2015 तक)
श्री ए.पी. साहनी	निदेशक	(28.08.2015 से)
श्री यू.पी. सिंह	निदेशक	(28.08.2015 से)
श्री एल.एन. गुप्ता	निदेशक	(05.06.2015 तक)
श्री आर.के. सिंह	निदेशक	(25.09.2014 तक)
श्री संदीप पौण्डरीक	निदेशक	(12.01.2015 से)
श्री राजन के. पिल्लै	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	(25.02.2014 से)
श्रीमती संगीता गैरोला	स्वतंत्र निदेशक	(28.03.2015 से)
श्री एस.बी. अग्निहोत्री	स्वतंत्र निदेशक	(28.03.2015 से)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक
श्री राजन के पिल्लै

कंपनी सचिव
श्री अरूण तलवार

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स पुरूषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

बैंकर्स
कार्पोरेशन बैंक
एम–41, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली 110 001

पंजीकृत कार्यालय
301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तृतीय तल, बाबर रोड़,
नई दिल्ली–110 001

प्रशासनिक कार्यालय
ओ.आई.डी.बी, भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट न. 2, सैक्टर – 73, नोएडा–201301, उ.प्र.
फोन : 91–120–2594641, फैक्स : 91–120–2594643
वेब साईट : www.isprlindia.com
ई–मेल : isprl@isprlindia.com

विशाखापटनम् परियोजना कार्यालय
लोवागार्डन, एच.एस.एल. फैब्रिकेशन यार्ड के पीछे,
गाँधीग्राम पोस्ट, विशाखापटनम्–530 005
फोन : 0891–2574059

मंगलौर परियोजना कार्यालय
स्ट्रेटेजिक स्टोरेज ऑफ क्रुड आयॅल प्रोजेक्ट,
चन्द्राहास नगर, परमुडे पी.ओ. मंगलौर–574 509
फोन : 0824–6066100

पादुर परियोजना कार्यालय
पीओ : पादुर, वाया कापू, जनपद उडुपी–574 106
फोन : 0820–6560005

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयरधारकगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कंपनी के कार्यकरण के संबंध में 11वीं वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ लेखे का लेखापरीक्षित विवरण तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को सहर्ष प्रस्तुत करता है।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु आपकी कंपनी के वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

क्र.सं	विवरण	आंकड़े रूपये में		तुलन पत्र का संदर्भ
(क)	1 अप्रैल, 2014 के अनुसार प्रगति पर कार्य का प्रारंभिक शेष		28,564,035,161	टिप्पणी 9ख – 31.03.2014 के अनुसार अंतिम शेष
(ख)	वर्ष के दौरान प्रचालन – पूर्व व्यय		3,698,618,580	टिप्पणी 9ख – 31.03.2015 को अंतिम शेष और 31.03.2014 को अंतिम शेष के मध्य अंतर
(ग)	अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि		51,307,289	टिप्पणी 9क – वर्ष के दौरान निवल वर्धन
(घ)	निवल गैर–वर्तमान परिसंपत्तिया {(i)-(ii)}		(1,569,693,877)	
	(i) गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां (दीर्घावधि ऋण और अग्रिम)	224,855,904		टिप्पणी 10
	(ii) गैर–वर्तमान देयताएं	1,794,549,780		टिप्पणी 5
(ड़)	निवल वर्तमान देयताएं {(i)-(ii)}		(286,367,711)	
	(i) वर्तमान परिसंपत्तियां	323,149,002		तुलन पत्र– वर्तमान परिसंपत्तियां
	(ii) वर्तमान देयताएं	609,516,713		तुलन पत्र– वर्तमान देयताएं
(च)	संचित हानि		(314,438,475)	टिप्पणी 4 – आरक्षित और अधिशेष
कुल व्यय (क+ख+ग+घ+ड़+च)			**30,143,460,968**	

कार्य–निष्पादन का संक्षिप्त अवलोकन

आपकी कंपनी को 5.33 एमएमटी कच्चे तेल के भण्डारण स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के साथ साझा किए जाने वाले 0.30 एमएमटी सहित)। सामरिक भण्डारों के सृजन हेतु चयन किए गए स्थल विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी), मंगलौर (1.5 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) हैं। सामरिक भण्डारण सुविधाओं के निर्माण हेतु पूंजी लागत मूल रूप से सितम्बर, 2005 मूल्यों पर 2,397 करोड़ रूपये अनुमानित की गई थी। विशाखापट्टनम हेतु संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) के लिए अनुमोदन जून, 2011 तथा पुनः फरवरी, 2015 में प्राप्त किया गया था। मंगलौर तथा पादुर हेतु आरसीई नवम्बर, 2013 में अनुमोदित की गई थी। तीन स्थलों हेतु आरसीई इस प्रकार है : विशाखापट्टनम – 1,178.35 करोड़ रूपये; मंगलौर – 1,227 करोड़ रूपये और पादुर 1,693 करोड़ रूपये। इस प्रकार परियोजनाओं की कुल

संशोधित लागत 4098.35 करोड़ रूपये होती है। भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पूंजीगत लागत को ओआईडीबी के पास उपलब्ध विद्यमान निधियों से पूरा किया जाएगा, सिवाय विशाखापट्टनम में 0.3 एमएमटी कंपार्टमेंट हेतु, जिसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुपातिक लागत साझेदारी आधार पर ग्रहण किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया था कि सामरिक भण्डारों की प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत को भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 में खनिज तेल भरने की लागत के प्रति 4,948 करोड़ रूपये आवंटित किए हैं।

आपकी कंपनी ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न पहलें की हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड सभी परियोजनाओं हेतु पीएमसी है। परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :

1. विशाखापट्टनम (भण्डारण क्षमता : 1.33 एमएमटी)

बोर्ड सदस्यों को यह सहर्ष सूचित करता है कि विशाखापट्टनम केवर्न को चालू कर लिया गया है। भूमिगत सिविल कार्य एचसीसी द्वारा और प्रक्रिया सुविधाएं आईओटीआईईएसएल द्वारा निष्पादित किये गये थे। इस सुविधा में दो कंपार्टमेंट हैं यथा केवर्न ए (1.03 एमएमटी) और केवर्न बी (0.3 एमएमटी)। केवर्न ए सामरिक खनिज तेल हेतु है। लगभग 2 मिलियन बैरल प्रत्येक के दो बहुत बड़े खनिज तेल वाहक (वीएलसीसी) को इसमें अनलोड किया गया है। एचपीसीएल विशाखापट्टनम में अपने रिफाइनरी प्रचालनों हेतु नियमित रूप से केवर्न बी का उपयोग कर रही है।

विशाखापट्टनम में भूमि के ऊपर बनाई गई सुविधाओं का दृश्य

2. मंगलौर (भण्डारण क्षमता : 1.5 एमएमटी)

मंगलौर केवर्न सुविधा मंगलौर एसईजेड क्षेत्र में आती है। परियोजना हेतु एमएसईजेडएल से 104.73 एकड़ भूमि प्राप्त की गई थी। भूमिगत सिविल कार्यों को मैसर्स एसके इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन और करम चन्द थापर के संयुक्त उद्यम (एसकेईसी–केसीटी जेवी) और प्रक्रिया सुविधाऐं मैसर्स पुंज लायड द्वारा निष्पादित किये गये थे। भूमिगत सिविल कार्यों को पूरा कर लिया गया है और प्रक्रिया सुविधाएं पूर्णता के निकट हैं। सुविधा में 0.75

एमएमटी प्रत्येक के दो कंपार्टमेंट हैं। केवर्न स्वीकृति परीक्षण (सीएटी) को पूरा कर लिया गया है। उक्त के पश्चात ईआईएल ने केवर्न कंपार्टमेंटों में धारण में सुधार हेतु अतिरिक्त बोरहोल की ड्रिलिंग का परामर्श दिया है।

समग्र भौतिक प्रगति 99.44 प्रतिशत है। प्रगति में पाइपलाइन की प्रगति शामिल नहीं है।

परियोजना को अंतिम रूप से चालू किया जाना मंगलौर बंदरगाह के निकट लैंड फॉल बिंदु से मंगलौर केवर्न तक एक मध्यवर्ती वाल्व स्टेशन के माध्यम से 48'' पाइपलाइन को बिछाए जाने तथा अतिरिक्त बोरहोल पूर्ण किए जाने पर निर्भर है। 12.725 किलोमीटर पाइपलाइन में से, 7.78 किलोमीटर को पूरा कर लिया गया है तथा शेष को अगले 6 माह में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। परियोजना को मार्च, 2016 में चालू किए जाने की प्रत्याशा है।

मंगलौर में चार केवर्न गैलरियों में से एक का दृश्य

3. पादुर (भंडार क्षमता : 2.5 एमएमटी)

पादुर परियोजना हेतु उडूपी जिले के पादुर/हेरूरू गांवों में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के माध्यम से 179.21 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। भूमिगत सिविल कार्यों को दो भागों में बांटा गया था अर्थात भाग क तथा भाग ख। भाग–क कार्य को मैसर्स एचसीसी और भाग–ख कार्यों को मैसर्स एसकेईसी–केसीटी संयुक्त उद्यम को दिया गया था। भूमिगत कार्य 2014 में पूर्ण हुए थे और केवर्न स्वीकृति परीक्षण भी पूर्ण हो गए हैं। सुविधा में 0.625 एमएमटी प्रत्येक के 4 कंपार्टमेंट हैं। केवर्नों का इनर्टाइजेशन प्रगति पर है। परियोजना की अंतिम पूर्णता 10 किलोमीटर लम्बी 110 केवीए की ओवरहेड विद्युत ट्रांसमीशन लाइन और साथ ही साथ मध्यवर्ती वाल्व स्टेशन से पादुर तक एक 42'' व्यास वाली 36 किलोमीटर पाइपलाइन को बिछाए जाने पर निर्भर करेगी। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन और पाइपलाइन का बिछाया जाना आरओयू मुद्दों के कारण प्रभावित हुआ है। परियोजना को चालू किया जाना विद्युत लाइन तथा पाइपलाइन की पूर्णता पर निर्भर है। परियोजना मार्च, 2016 में पूरी होने की प्रत्याशा है। पाइपलाइन प्रगति सहित परियोजना की समग्र प्रगति 96.86 प्रतिशत है।

पादुर में भूमि के ऊपर बनाई गई सुविधाओं का दृश्य

4. सामरिक भण्डार कार्यक्रम का चरण–II

दिसम्बर, 2008 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एकीकृत ऊर्जा नीति (आईईपी) सिफारिश करती है कि सामरिक सह सुरक्षित भंडार के प्रयोजनों हेतु 90 दिवस के तेल आयात के समतुल्य एक भण्डार को रखा जाए। दिसम्बर, 2009 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तैयार एक एप्रोच पेपर में वर्ष 2019–20 तक खनिज तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के 44.14 मिलियन मीट्रिक टन की कुल भण्डारण आवश्यकता को दर्शाया गया था।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से निदेश के आधार पर, आईएसपीआरएल को चार राज्यों में चरण–II में कच्चे तेल के 12.5 एमएमटी के सामरिक भण्डारण हेतु विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) को तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। चुने गए स्थल राजस्थान में बीकानेर, ओडीशा में चांदीखोल, गुजरात में राजकोट और कर्नाटक में पादुर है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को डीएफआर तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। ईआईएल द्वारा डीएफआर तैयार की जा चुकी है जिसमें संशोधित क्षमताएं निम्नानुसार हैं :–

i) पादुर 2.5 एमएमटी,

ii) चांदीखोल 3.75 एमएमटी,

iii) राजकोट 2.5 एमएमटी और

iv) बीकानेर 3.75 एमएमटी।

बाद में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ–साथ एसबीआई कैप्स को चरण–II कार्यक्रम के क्रियान्वयन के तरीके की सिफारिश करने हेतु नियोजित करने का परामर्श दिया था। निवेशक बैठक 8–9 जून, 2015 को हुई थी जिसमें विभिन्न तेल तथा आधारभूत ढांचा कंपनियों ने प्रतिभागिता की थी। एसबीआई कैप्स की सिफारिशें प्रतीक्षित हैं।

लाभांश

आपके निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु किसी लाभांश की सिफारिश नही की है।

सार्वजनिक जमा

आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2015 के अनुसार जनता से कोई सावधि जमा आमंत्रित, स्वीकृत अथवा नवीकृत नहीं किया है और तदुनसार उसके संबंध में कोई मूलधन या ब्याज बकाया नहीं है।

लेखापरीक्षा समिति

बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2015 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :

(1) डा.एस.सी.खुंटिआ, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय / निदेशक, आईएसपीआरएल : अध्यक्ष

(2) श्रीमती संगीता गैरोला, स्वतंत्र निदेशक : सदस्य

(3) श्री एस.बी. अग्निहोत्री, स्वतंत्र निदेशक : सदस्य

डा. एस.सी.खुंटिआ, 15 जून, 2015 से निदेशक नहीं रहे। निदेशक मंडल ने तब से लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है और 23 जुलाई, 2015 को आयोजित इसकी 49वीं बैठक में डा. एस.सी.खुंटिआ के स्थान पर श्री ए.पी.साहनी, अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, निदेशक, आईएसपीआरएल को लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। समिति के अन्य सदस्य वही थे।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2015 के अनुसार, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :

(1) श्री संदीप पौण्डरीक, संयुक्त सचिव (आर), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय :अध्यक्ष

(2) श्रीमती संगीता गैइरोला, स्वतंत्र निदेशक : सदस्य

(3) श्री एस.बी. अग्निहोत्री, स्वतंत्र निदेशक : सदस्य

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2015 के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :

(1) डा.एस.सी.खुंटिआ, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय / निदेशक, आईएसपीआरएल : अध्यक्ष

(2) श्री संदीप पौण्डरीक, संयुक्त सचिव (आर), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय :सदस्य

(3) श्रीमती संगीता गैरोला, स्वतंत्र निदेशक : सदस्य

डा.एस.सी.खुंटिआ, 15 जून, 2015 से निदेशक नहीं रहे। निदेशक मंडल ने तब से कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का पुनर्गठन किया है और 23 जुलाई, 2015 को आयोजित इसकी 49वीं बैठक में डा. एस.सी. खुंटिआ के स्थान पर श्री ए. पी. साहनी, अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, निदेशक, आईएसपीआरएल को कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। समिति के अन्य सदस्य वही थे।

चूंकि कंपनी ने पिछले 3 वित्त वर्षों के दौरान कोई लाभ अर्जित नहीं किया है, कंपनी के लिए सीएसआर क्रियाकलापों पर धन व्यय करने की कोई बाध्यकारी आवश्यकता नहीं है।

वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुपालन में, जिसे कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के साथ पढ़ा जाता है, वार्षिक रिटर्न का एक उद्धरण **अनुबंध–क** के रूप में संलग्न है।

बोर्ड की बैठकें

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2014–15 में 5 (पांच) बैठकें की जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

i) 21 जून, 2014

ii) 13 अगस्त, 2014

iii) 31 दिसम्बर, 2014

iv) 30 जनवरी, 2015

v) 28 मार्च, 2015

व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं।

आरक्षित को अंतरण

कंपनी के आरक्षितों को किसी राशि का अंतरण नहीं किया गया है।

कर्मचारियों के ब्यौरे

कंपनी में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013, जिसे कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के साथ पढ़ा जाता है, के प्रावधानों के अंतर्गत विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

सभी स्वतंत्र निदेशकों द्वारा यह घोषणा दी गई है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप धारा 6 के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

बोर्ड का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन

गैर स्वतंत्र निदेशकों तथा बोर्ड का समग्र रूप से कार्य–निष्पादन मूल्यांकन स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किया जाना होता है। चूंकि स्वतत्र निदेशकों को 28 मार्च, 2015 को आयोजित 48वीं बोर्ड बैठक में आईएसपीआरएल के बोर्ड में नियुक्त किया गया था, वर्ष 2014–15 हेतु बोर्ड का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन नहीं किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

वर्ष 2014–15 तक आईएसपीआरएल द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाएं निर्माण चरण में थी। परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धी आधार पर चयनित संविदाकारों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा था। संविदाकारों ने अपने उपकरणों तथा जनशक्ति आदि और अपने क्रियाकलापों के कारण त्रितीय पक्ष जोखिम

सहित जोखिमों को कवर करने के लिए बीमा पॉलिसी ली है। आईएसपीआरएल की सभी भूमिगत तथा भूमि से ऊपर की संविदाओं हेतु सभी जोखिम बीमा पॉलिसियां आईएसपीआरएल द्वारा ली गई हैं।

कंपनी आईएसपीआरएल के निर्माण–पश्च चरण हेतु एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति विकसित करने की प्रक्रिया में है।

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल द्वारा निम्नलिखित को पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रूप में पदनामित किया गया था :

क) – सीईओ और प्रबंध निदेशक – श्री राजन के.पिल्लै

ख) – मुख्य वित्तीय अधिकारी – श्री एस.आर. हास्यागर

ग) – कंपनी सचिव – श्री अरूण तलवार (16.12.2014 से)

श्रीमती भाव्या गुप्ता, पूर्व कंपनी सचिव ने 14 अक्तूबर, 2014 को त्याग–पत्र दे दिया था।

निदेशकों का पारिश्रमिक

आईएसपीआरएल के बोर्ड में सभी निदेशक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नामित पदेन निदेशक होते हैं सिवाय सीईओ तथा एमडी के। केएमपी सहित कंपनी के अन्य अधिकारी तेल क्षेत्रक पीएसयू से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। सीईओ तथा एमडी के मामले में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने 7 सितम्बर, 2005 को बैठक की और सीईओ तथा एमडी के पारिश्रमिक तथा नियुक्ति की अन्य शर्तों पर विचार–विमर्श किया। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति सीईओ तथा एमडी के पारिश्रमिक तथा नियुक्ति की अन्य शर्तों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

भौतिक परिवर्तन तथा प्रतिबद्धताएं

ऐसे कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हैं जो तुलन–पत्र से संबंधित कंपनी के वित्त–वर्ष के समापन के पश्चात तथा रिपोर्ट की तिथि के मध्य हुए हों।

गोइंग कन्सर्न स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले नियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण तथा भौतिक आदेशों के ब्यौरे

चालू कंपनी स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले किसी महत्वपूर्ण तथा भौतिक आदेश को नियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित नहीं किया गया था।

अनुषंगी कंपनी/संयुक्त उद्यम/एसोसिएट कम्पनी

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी/संयुक्त उद्यम/एसोसिएट कम्पनी नहीं है।

लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एण्ड एजी) ने मैसर्स पुरूषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है जिन्होंने 31 मार्च, 2015

को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कंपनी के लेखे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है **(अनुबंध–ख)**। शेयरधारकों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई अर्हता शामिल नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एण्ड एजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों की संचालित की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसे किसी महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं पाया है जो किसी टिप्पणी अथवा सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पूरक पत्र की आवश्यकता को उत्पन्न करता हो **(अनुबंध–ग)**।

सचिवालयीन लेखापरीक्षा

वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड ने मैसर्स पीजी एण्ड एसोसिएटस, कंपनी सचिवों (सीपी संख्या – 6065), पूर्णकालिक प्रैक्टिस में होने वाले कंपनी सचिवों, को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त वर्ष 2014–15 हेतु सचिवालयीन लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। सचिवालयीन लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **अनुबंध–घ** के रूप में संलग्न है। इसमें कोई महत्वपूर्ण अभिमत शामिल नहीं है।

ऊर्जा संरक्षण, तकनोलॉजी आत्मसात करना, अनुसंधान और विकास तथा निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

कंपनी ने विशाखापट्नम केवर्न को चालू किया है और मंगलौर तथा पादुर में केवर्नों को अभी चालू किया जाना है। कंपनी के पास ऊर्जा संरक्षण और तकनोलाजी आत्मसात किए जाने के संबंध में प्रकाशित की जाने वाली कोई जानकारी नहीं है।

कंपनी का वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जन नही था। तथापि, इसमें समीक्षाधीन अवधि के दौरान अपने व्यापार क्रियाकलापों हेतु कुल 37.87 लाख रूपये की विदेशी मुद्रा का उपयोग किया है।

आंतरिक नियंत्रण

कंपनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है जो सभी आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता के स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन और प्रचालन तथा व्यापार यूनिटों आंतरिक प्रक्रियाओं तथा प्रक्रियाविधियों और साथ ही साथ नियामक तथा विधिक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकना

कंपनी ने कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निषेध तथा निवारण और उससे संबंधित या प्रासंगिक सभी मामलों और ''कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध तथा समाधान) अधिनियम, 2013'' में समाविष्ट सभी पहलुओं को कवर करने वाली एक नीति बनाई है। वर्ष के दौरान कंपनी को उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा निवेश के ब्यौरे

कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत कवर होने वाले किसी ऋण अथवा गारंटी को नहीं दिया है।

संबंधित पक्ष कारोबार

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान कोई संबंधित पक्ष कारोबार नही थे।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप धारा (3) के खंड(ग) के अंतर्गत अपेक्षानुसार आपकी कंपनी का निदेशक मंडल एतदद्वारा निम्नानुसार बताता है तथा पुष्टि करता है :

1. वित्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखों की तैयारी में प्रयोज्य लेखांकन मानदंड का अनुसरण किया गया है और तत्संबंधी महत्वपूर्ण विचलन के बारे में उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं:
2. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं, जो इतने युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं, कि वे 31 मार्च, 2015 के अनुसार कंपनी की कार्य स्थिति तथा उस वर्ष के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित झलक प्रस्तुत करते हैं;
3. निदेशकों ने पूरी क्षमता एवं सत्यनिष्ठा से परिसंपत्तियों के संरक्षण और जाल–साजी और अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकार्ड के रखरखाव के लिए उचित उपाय किए हैं;
4. निदेशकों ने 31 मार्च, 2015 को समाप्ति वर्ष हेतु वार्षिक लेखे को एक 'अनवरत संबंध' के आधार पर तैयार किया है;
5. कंपनी के निदेशकों ने सभी लागू विधियों के प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों को विकसित किया है और ये प्रणालियां पर्याप्त थी तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

निदेशक मंडल

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में वर्तमान में 6 अंशकालिक गैर–कार्यपालक निदेशक (पदेन) और एक पूर्णकालिक सीईओ तथा एमडी है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

i) श्री के.डी.त्रिपाठी, सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अध्यक्ष (डीआईएन 07239755)

ii) श्री ए.पी.साहनी, अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक (डीआईएन 03359323)

iii) श्री यू.पी.सिंह, सचिव, ओआईडीबी – निदेशक (डीआईएन 00354985)

iv) श्री संदीप पौण्डरीक, संयुक्त सचिव (आर) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक (डीआईएन 01865958)

v) श्री राजन के.पिल्लै, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक (डीआईएन 06799503)

vi) श्रीमती संगीता गैरोला, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन 07172316)

vii) श्री एस.बी.अग्निहोत्री, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन 03390553)

01 अप्रैल, 2014 के पश्चात से निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए –

i) श्री संदीप पौण्डरीक, निदेशक (12.01.2015 से नियुक्त)

ii) श्री ए.पी.साहनी, निदेशक (28.03.2015 से नियुक्त)

iii) श्रीमती संगीता गैरोला, स्वतंत्र निदेशक (28.03.2015 से नियुक्त)

iv) श्री एस.बी.अग्निहोत्री, स्वतंत्र निदेशक (28.03.2015 से नियुक्त)

v) श्री के.डी.त्रिपाठी, अध्यक्ष (17.07.2015 से नियुक्त)

vi) श्री यू.पी. सिंह, निदेशक (28.08.2015 से नियुक्त)

vii) श्री आर.के.सिंह, निदेशक (25.09.2014 से निदेशक नहीं रहे) (डीआईएन 05193269)

viii) श्री राजीव कुमार, निदेशक (01.12.2014 से निदेशक नहीं रहे) (डीआईएन 06620110)

ix) श्री सौरभ चन्द्र, अध्यक्ष (30.04.2015 से निदेशक नहीं रहे) (डीआईएन 02726077)

x) श्री एल.एन.गुप्ता, निदेशक (05.06.2015 से निदेशक नहीं रहे) (डीआईएन 01872190)

xi) डा. एस.सी.खुंटिआ, निदेशक (15.06.2015 से निदेशक नहीं रहे) (डीआईएन 05344972)

अभिस्वीकृति

आपका निदेशक मंडल भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल उद्योग विकास बोर्ड से प्राप्त मूल्यवान मार्ग–दर्शन तथा समर्थन के प्रति आभार तहेदिल से प्रकट करता है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह0/–	ह0/–
(संदीप पौण्डरीक)	**(राजन के.पिल्लै)**
निदेशक	सीईओ एवं एमडी
(डीआईएन 01865958)	(डीआईएन 06799503)

दिनांक : 28 सितम्बर, 2015
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध – क
फार्म सं. एमजीटी.9
वार्षिक रिर्टन का उद्धरण
31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुपालन में)

I. **पंजीकरण और अन्य ब्यौरे :**

i) सीआईएन : यू63023डीएल2004जीओआई126973

ii) पंजीकरण तिथि 16 जून, 2004

iii) कंपनी का नाम – इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड

iv) कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी – गैरसूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी

v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरे – 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तीसरा तल, बाबर रोड, नई दिल्ली–110001

vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है – नहीं

vii) रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरा, यदि कोई हो – लागू नही

II. कंपनी के क्रियाकलाप

विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर में सामरिक खनिज तेल भंडारण केवर्नों का निर्माण, केवर्नों का प्रचालन और केवर्न में खनिज तेल की अभिरक्षा।

क्रम सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1.	खनिज तेल केवर्न सुविधाओं का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण	--	--
2.	--	--	--
3.	--	--	--

III. धारक कंपनी के ब्यौरे

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	पैन नम्बर	धारक कंपनी/अनुषंगी कंपनी/एसोसिएट कंपनी	धारित शेयरों का %	लागू खंड
1.	तेल उद्योग विकास बोर्ड	AAAJO0032A	धारक	100	2(46)

IV. शेयरधारण पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के तौर पर इक्विपटी शेयर पूंजी ब्यौरा)

i) श्रेणी–वार शेयरधारिता

श्रेणीधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्ति/एचयूएफ									
(ख) केन्द्र सरकार									
(ग) राज्य सरकार(रें)									
(घ) निगमित निकाय	शून्य	239.70	239.70	100	शून्य	312.70	312.70	100	30.5
(ड़) बैंक/वित्तीय संस्थान									
(च) अन्य कोई									
उप जोड़ (क) (1) :–	शून्य	239.70	239.70	100	शून्य	312.70	312.70	100	30.5
(2) विदेशी									
(क) एनआरआई–व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख) अन्य : व्यक्ति									
(ग) निगमित निकाय									
(घ) बैंक/वित्तीय संस्थान									
(ड़) अन्य कोई									
उप जोड़ (क) (2) :–									
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क)=(क)(1)+(क)(2)	शून्य	239.70	239.70	100	शून्य	312.70	312.70	100	30.5
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1. संस्थानन									
(क) म्यूचुअल फंड									
(ख) बैंक/वित्तीय संस्थान									
(ग) केन्द्र सरकार									
(घ) राज्य सरकार (रें)									
(ड़) उद्यम पूंजी निधि									
(च) बीमा कंपनियां									

श्रेणीधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
(छ) एफआईआई (ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि (झ) अन्य (निर्दिष्ट करे)									
उप जोड़ (ख) (1) :–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. गैर–संस्थान (क) निगमित निकाय (i) भारतीय (ii) विदेशी (ख) व्यक्ति (i) 1 लाख रूपए तक की नामितिक शेयर पूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक (ii) 1 लाख रूपए से अधिक की नामितिक शेयर पूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक (ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)									
उप जोड़ (ख) (2) :–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. जीडीआर और एडीआर हेतु कस्टोकडियन द्वारा धारित शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सकल जोड़ (क+ख+ग)	शून्य	239.7	239.7	100%	शून्य	312.7	312.7	100%	30.5

(i)i प्रमोटरों की शेयरधरिता

क्र.सं	शेयरधारकों के नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयरों की संख्या (करोड़ में)	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में रेहन/ भारांक्रात रखे गए शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या (करोड़ में)	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में रेहन/ भारांक्रात रखे गए शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान शेयर धारिता में प्रतिशत परिवर्तन
1	तेल उद्योग विकास बोर्ड*							
	कुल	239.7	100	शून्य	312.7	100	शून्य	30.5

*तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) के अतिरिक्त, कंपनी के 6 अन्य शेयरधारक है जो ओआईडीबी के नामिति है। अन्य 6 शेयरधारकों के नाम नीचे दिए गए हैं :

1. श्री अजय मिश्रा
2. श्री अमिताभ द्विवेदी
3. श्री गणेश चन्द्र डोभाल
4. श्री राजेश कुमार सैनी
5. श्री गिरीश चन्द्र
6. श्रीमती ज्योति शर्मा

(iii) प्रमोटरों की शेयरधरिता में परिवर्तन

क्र.सं		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ में	239.7	100	312.7	100
	वृद्धि/कमी हेतु कारण निर्दिष्ट करते हुए प्रमोटरों की शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि/कमी (जैसे कि आवंटन/अंतरण/ बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) :	**शेयरों का आवंटन** **i) 21.06.2014** 49.35 करोड़ शेयर **ii) 12.08.2014** 3.35 करोड़ शेयर **iii) 19.09.2014** 5.47 करोड़ शेयर **iv) 31.12.2014** 7.05 करोड़ शेयर **v) 28.03.2015** 7.80 करोड़ शेयर			
	वर्ष के अंत में	312.7	100	312.7	100

(iv) दस शीर्ष शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (निदेशक, प्रमोटर और जीडीआर तथा एडीआर के धारको के अतिरिक्त) :

क्र.सं		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	10 शीर्ष शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
	वर्ष के प्रारंभ में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वृद्धि/कमी हेतु कारण निर्दिष्ट करते हुए शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि/कमी (जैसे कि आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) :	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में (अथवा पृथकीकरण की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए हैं तो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की शेयरधारिता :

क्र.सं		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वृद्धि/कमी हेतु कारण निर्दिष्ट करते हुए शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि/कमी (जैसे कि आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. ऋणग्रस्तता

बकाया / प्रोदभूत ब्याज किंतु भुगतान हेतु देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमा के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता i) मूल धन ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज iii) प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • वृद्धि • कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निवल परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता I) मूल धन ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज iii) प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंधन निदेशक का पारिश्रमिक

क्र.सं	पारिश्रमिक के ब्यौरे	एमडी / डब्ल्यूटीडी / प्रबंधक का नाम	कुल राशि
		श्री राजन के पिल्लै, सीईओ और प्रबंध निदेशक	
1.	सकल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ का मूल्यन (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के एवज में लाभ	 15,71,904/- रूपये 10,92,300/- रूपये शून्य	 15,71,904/- रूपये 10,92,300/- रूपये शून्य
2.	स्टॉक विकल्प		
3.	स्वेट इक्विटी		
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, निर्दिष्ट करें...		
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		
	कुल (क)	26,64,204/- रूपये	
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	88,45,880/- रूपये	

VI- निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक
ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.सं	पारिश्रमिक के ब्यौरे	निदेशक का नाम		कुल राशि
	3 स्वतंत्र निदेशक	श्रीमती संगीता गैरोला	श्री एस.बी. अग्निहोत्री	
	• बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट् करें	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (1)			
	4. अन्य(गैर–कार्यकारी निदेशक			
	• बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क् • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट् करें	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (2)			
	कुल (ख) = (1+2)			
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक			
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	88,45,880/- रूपये		

ग. एमडी / प्रबंधक / डब्ल्यूटीडी के अतिरिक्त प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र.सं	पारिश्रमिक के ब्यौरे	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक			
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	कुल
1.	सकल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ का मूल्य (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के एवज में लाभ		*	*	
2.	स्टॉक विकल्प				
3.	स्वेट इक्विटी				
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य , निर्दिष्टि करें...				
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करे				
	कुल (क)				

* सीएफओ और कंपनी सचिव आईएसपीआरएल के कर्मचारी नहीं है और अन्य तेल पीएसयू से प्रतिनियुक्त पर आईएसपीआरएल में आए हुए है।

VII. शास्ति / दंड / अपराधों का शमन

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाई गई शास्ति / दंड / शमन शुल्क के ब्यौरे	प्राधिकरण [आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दीजिए)
क. कंपनी					
शास्ति	--	--	--	--	--
दंड	--	--	--	--	--
शमन	--	--	--	--	--
ख. निदेशक					
शास्ति	--	--	--	--	--
दंड	--	--	--	--	--
शमन	--	--	--	--	--
ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
शास्ति	--	--	--	--	--
दंड	--	--	--	--	--
शमन	--	--	--	--	--

अनुबंध–ख

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2015 के अनुसार तुलन–पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सार तथा अन्य विवरणात्मक जानकारी शामिल है, की लेखापरीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ी जाने वाली अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानक सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य–निष्पादन और नकदी प्रवाहों की वास्तविक तथा उचित स्थिति को दर्शाने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधडयिों तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड़ों का रख–रखाव; उचित लेखांकन नीति के चयन तथा उपयोगय तर्कसंगत तथा विवेकसम्मत होने वाले निर्णयों तथा अनुमानों का उपयोग; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण भी शामिल है जो लेखांकन मानकों की सटीकता तथा पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुतिकरण हेतु संगत थे जो एक सही तथा वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करें और जो किसी भौतिक गलत बयानी से मुक्त हों चाहे धोखाधड़ी के कारण हों अथवा चूक के।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन तथा लेखापरीक्षा मानकों और अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने वाले मामलों को ध्यान में लिया है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन संबंधी मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और अपनी लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त है।

लेखा–परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल होता है। चयन की गई प्रक्रियाविधि लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन शामिल होता है, चाहे धोखाधड़ीवश हुआ हो या त्रुटिवश। उन जोखिम आंकलनों को करने में लेखापरीक्षक, परिस्थितियों में उचित होने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों को बनाने के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके उचित प्रस्तुतिकरण के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है, परंतु वह कम्पनी में वित्तीय सूचना पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय

नियंत्रण और ऐसे नियंत्रणों पर प्रभावोत्पादकता के लागू होने की विद्यमानता के प्रयोजन हेतु ऐसा नहीं करता। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन, तथा साथ ही साथ वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारी वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा मत हेतु एक आधार मुहैया कराने के लिए उपयुक्त है।

मत

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण अधिनियम में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2015 को कंपनी की स्थिति का, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लाभ और नकदी प्रवाह एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं की सूचना

1. केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) की शर्तों के अनुसार जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015, ("आदेश") की अपेक्षा के अनुसार, हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 के उसमें विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध में संलग्न किया है।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निदेश/उप–निदेश जारी किए है, धारा 143(5) के अंतर्गत जारी ये निदेश कंपनी पर लागू नहीं होते है।
3. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) के प्रावधानों के अंतर्गत हम सूचित करते है कि :
   - क. हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किये, जो हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे;
   - ख. हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है;
   - ग. कंपनी का कोई शाखा कार्यालय नहीं है।
   - घ. इस रिपोर्ट से संबधित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा–बहियों के अनुरूप है;
   - ड़. हमारे मतानुसार, उक्त वर्णित वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम–7 के साथ पढ़ी जाने वाली अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं;
   - च. निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2015 के अनुसार रिकार्ड में लिया गया था, के आधार पर कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च, 2015 को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अपात्र नहीं हैं; और

छ. कम्पनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई श्रेष्ठ जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार –

1. कम्पनी की कोई लंबित मुकद्दमेबाजी नहीं है जिसका इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव हो।
2. कम्पनी की कोई व्युत्पन्न संविदाओं सहित ऐसी कोई दीर्घावधि संविदाएं नहीं हैं जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वानुमान वाले हानियां हों।
3. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा बचाव निधि को अंतरित किए जाने की अपेक्षा वाली किसी राशि के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।

कृते पुरूषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन न. 005484एन

हस्ता./–
(सीए बिनय कुमार झा)
भागीदार
सदस्यता सं. 509220

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 जुलाई, 2015

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध

1. (क) कम्पनी ने उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें मात्रात्मक ब्यौरे तथा अचल परिसंपत्तियों की अवस्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाए गए हैं।

   (ख) अचल परिसंपत्तियों का तर्कसंगत अंतरालों पर प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई थी।

2. पैरा (ii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

3. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मो या अन्य पार्टियों को कंपनी द्वारा कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया गया है।

4. हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप अचल परिसंपत्तियों की खरीद बिक्री हेतु एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। कंपनी की गतिविधियों में इन्वेंटरी की खरीद और माल की बिक्री शामिल नही हैं। हमने लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई बड़ी कमी नहीं पाई है।

5. कम्पनी ने कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

6. कम्पनी अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा(1) के अन्तर्गत लागत लेखे के अनुरक्षण को विहित नहीं किया है।

7. क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा जांच किए गए अभिलेखों के आधार पर हमारे मतानुसार सांविधिक देयों, जिसमें आयकर, स्रोत पर कटौती किया गया कर और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय शामिल है, उन्हें नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करवाया जा रहा है।

   (ख) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा जांच किए गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए बिक्री कर, आय कर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, उत्पाद शुल्क और उपकर की कोई देय राशि नहीं है।

8. हमारे मतानुसार, 31 मार्च, 2015 को कंपनी की संचित हानियां इसके निवल मूल्य के 50 प्रतिशत से कम की थी।

9. वर्ष के दौरान कंपनी के पास किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या ऋण–पत्र धारकों का कोई बकाया देय नहीं है।

10. कंपनी ने वर्ष के दौरान अन्यों द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए किसी ऋण हेतु कोई गारंटी नहीं दी है।

11. कपंनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।

12. हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ कोई धोखा–धड़ी नहीं पाई गई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

कृते पुरूषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन न. 005484एन

हस्ता./–
(सीए बिनय कुमार झा)
भागीदार
सदस्यता सं. 509220

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 जुलाई, 2015

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम लिमिटेड

31 मार्च, 2015 का तुलन पत्र

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 को ₹	31 मार्च, 2014 को ₹
इक्विटी एवं देयताएं			
शेयरधारकों की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	3	31,273,246,700	23,970,000,000
(ख) आरक्षित और अधिशेष	4	(314,438,475)	(255,435,089)
		30,958,808,225	**23,714,564,911**
आवंटन लंबित होने वाली शेयर आवेदन धनराशि	3.3	760,000,007	4,675,746,707
गैर–वर्तमान देयताएं			
(क) अन्य दीर्घावधि देयताएं	5	1,794,549,780	2,090,021,516
वर्तमान देयताएं			
(क) देय व्यापार	6	272,482,618	267,529,042
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	7	337,034,095	113,471,348
(ग) अल्पावधि प्रावधान	8	0	1,132
		609,516,713	381,001,522
कुल		**34,122,874,725**	**30,861,334,657**
परिसंपत्तियां			
गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां			
क) अचल परिसंपत्तियां			
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	9क	1,312,216,078	1,308,927,312
(ii) चालू पूंजीगत कार्य	9ख	32,262,653,741	28,564,035,161
ख) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	10	224,855,904	551,146,045
		33,799,725,723	**30,424,108,518**
चालू परिसंपत्तियां			
क) नकदी और नकदी तुल्य	11	206,921,531	243,998,860
क) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	12	116,227,471	193,227,280
		323,149,002	437,226,139
		34,122,874,725	**30,861,334,657**
वित्तीय विवरणों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी	1 से 15		

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पुरूषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन न. 005484एन

हस्ता./–
(सीए बिनय कुमार झा)
भागीदार
सदस्यता सं. 509220

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.07.2015

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ह0/–
(संदीप पौण्डरीक)
निदेशक
(डीआईएन 01865958)

ह0/–
(राजन कै. पिल्लै)
सीईओ एवं एमडी
(डीआईएन 06799503)

ह0/–
(अरूण तलवार)
कम्पनी सचिव

ह0/–
(एस. आर. हास्यागर)
मुख्य वित्त अधिकारी

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम लिमिटेड

31 मार्च, 2015 वर्ष तक का लाभ व हानि विवरण

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 को ₹	31 मार्च, 2014 को ₹
व्यय			
(क) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	9क	44,985,777	43,145,270
(ख) अन्य व्यय	13	3,682,742	2,762,751
(ग) स्टाम्प शुल्क	13क	7,303,247	4,277,320
कुल व्यय		**55,971,766**	**50,185,342**
(हानि) अपवादजनक और असाधारण मदों तथा कर से पूर्व		**(55,971,766)**	**(50,185,342)**
अपवादजानक मदें :			
स्टाम्प शुल्क का वापिस किया गया प्रावधान		(1,125)	-
		(55,970,641)	(50,185,342)
पूर्वावधि व्यय			
परिशोधन और मूल्यह्रास व्यय		3,032,745	
कर व्यय :			
वर्तमान वर्ष हेतु वर्तमान कर व्यय		-	-
(हानि) सतत प्रचालनों से		(59,003,386)	(50,185,342)
(हानि) वर्ष हेतु		(59,003,386)	(50,185,342)
(हानि) प्रति शेयर (10 रूपये प्रत्येक का)	15.2		
(क) मूलभूत	15.2.क	(0.02)	(0.02)
(ख) तनुकृत	15.2.ख	(0.02)	(0.02)
वित्तीय विवरणों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी	1 से 15		

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पुरूषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन न. 005484एन

हस्ता./–
(सीए बिनय कुमार झा)
भागीदार
सदस्यता सं. 509220

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.07.2015

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ह0/–
(संदीप पौण्डरीक)
निदेशक
(डीआईएन 01865958)

ह0/–
(राजन कै. पिल्लै)
सीईओ एवं एमडी
(डीआईएन 06799503)

ह0/–
(अरूण तलवार)
कम्पनी सचिव

ह0/–
(एस. आर. हास्यागर)
मुख्य वित्त अधिकारी

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट	विवरण
1	**कॉर्पोरेट जानकारी** इंडियन स्टेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड को 16 जून, 2004 को आईओसीएल की एक अनुषंगी के रूप में अधिनिगमित किया गया था। कंपनी की समूची शेयरधारिता को 9 मई, 2006 को ओआईडीबी तथा इसके नामितियों द्वारा ले लिया गया था। कंपनी के मुख्य उद्देश्य अपनी खनिज तेल माल–सूची का स्वामित्व तथा नियंत्रण और सरकार के विशिष्ट अनुदेश के अनुसार इसके खनिज तेल स्टाक को जारी करने तथा प्रतिस्थापित करने का समन्वय और भण्डारण, हैंडलिंग, उपचार, वहन, परिवहन, प्रेषण, आपूर्ति, बाजार अनुसंधान, सलाह, परामर्शी, सेवा प्रदाता, ब्रोकर तथा एजेंट, अभियांत्रिकी तथा सिविल डिजाइनरों, संविदाकारों, वारफिंगर, भण्डारगार गृह, उत्पादक, तेल तथा तेल उत्पादों के डीलर, गैस तथा गैस उत्पादों, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों, ईंधन, प्रिट, रसायन, सभी प्रकार के द्रव्यों और यौगिकों के प्रकार, व्युत्पन्न सामग्रियों, मिश्रणों, तत्संबंधी तैयार किए गए उत्पादों एवं अन्य उत्पादों का व्यापार करना है।
2	**महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**
2.1	**लेखांकन आधार** वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप ऐतिहासिक लागत परिपार्टी के अंतर्गत लेखांकन के प्रोदभवन आधार पर और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के संदर्भ में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है।
2.2	**अनुमानों का उपयोग** वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरूप तैयार किया गया है जिसमें प्रबंधन द्वारा ऐसे अनुमान तथा मान्यताओं को लगाना अपेक्षित होता है जो परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि और आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं के प्रकटीकरण और प्रस्तुत वर्षों हेतु राजस्व तथा व्यय के सूचित लेखे को वित्तीय विवरण की तिथि को प्रभावित करते हों।
2.3	**अचल परिसंपत्तियां / अमूर्त परिसंपत्तियां** **अचल परिसंपत्तियां** सभी अचल परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटा लागत पर बताया गया है। लागत में क्रय मूल्य और वांछित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में परिसंपत्तियों को लाने के लिए अन्य सभी आरोप्य व्यय शामिल हैं। स्थायी पटटे और साथ ही साथ 99 वर्ष से अधिक के पटटे पर अधिगृहीत भूमि को फ्री–होल्ड भूमि माना जाता है। 99 वर्ष या कम हेतु पटटे पर ली गई भूमि को पटटाधारी भूमि माना जाता है। **अमूर्त परिसंपत्तियां** अमूर्त परिसंपत्तियों को तब मान्यता दी जाती है यदि :

– यह संभावना हो कि इन परिसंपत्तियों पर आरोप्य भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे,

और

– परिसंपत्तियों की लागत/उचित मूल्य को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके।

2.4 मूल्यह्रास तथा परिशोधन

मूल्यह्रास को सीधी रेखा पद्धति पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवनकाल के अनुसार मुहैया करवाया जाता है।

कंपनी ने मूल्यह्रास के लेखांकन की पद्धति को पश्च लेखित मूल्य से बदल कर सीधी रेखा पद्धति कर दिया है।

भूमि लागत को वर्षों की संख्या अथवा तत्संबंधी भाग के रूप में पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

2.5 राजस्व मान्यताः चालू निर्माण कार्य और व्ययों का आवंटन तथा प्रभाजन

(i) सामरिक तेल भंण्डारों हेतु परियोजना क्रियान्वयनाधीन है और कम्पनी ने वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ नहीं किए हैं। लाभ एवं हानि लेखे को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी अमूर्त परिसंपत्तियों संबंधी लेखांकन मानक–26 का अनुपालन करने के लिए तैयार किया जाता है। अचल परिसंपत्तियों संबंधी लेखांकन मानक 10 के अनुसार परियोजनाओं को आरोप्य न होने वाले व्ययों को लाभ एवं हानि लेखा विवरण को प्रभारित किया जाता है।

(ii) परियोजना विकास, व्यवहार्यता अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को शुल्क, परियोजना प्रबंधन परामर्शी प्रभार, भूमि अधिग्रहण व्यय, संविदाकारों को किए गए भुगतान (भूमिगत/भूमि से ऊपर), विज्ञापन व्यय, बीमा प्रीमियम, भूमिगत कार्यों हेतु आपूर्ति किए गए डीजल की लागत आदि हेतु किए गए व्यय को ''चालू निर्माण कार्य'' के रूप में दर्शाया गया है।

(iii) अप्रत्यक्ष/प्रांसगिक व्यय (प्रधान कार्यालय के व्यय सहित) को सभी तीन परियोजनाओं अर्थात विशाखापट्टनम, मंगलौर तथा पादुर को वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय किए गए प्रत्यक्ष व्यय के अनुपात में प्रभाजित किया जाता है।

(iv) बीमा दावों को दावे के निपटान पर लेखांकित किया जाता है।

2.6 प्रावधान और आकस्मिकताएं

कंपनी किसी प्रावधान को तब मान्यता देती है जब पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान बाध्यता हो और इसकी अधिक संभावना न हो कि ऐसी बाध्यता के निपटान में संसाधनों के बाहिर प्रवाह की आवश्यकता होगी तथा ऐसी बाध्यता की राशि का विश्वसनीय ढंग से अनुमान लगाया जा सके। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर नहीं लिया जाता है और उनका निर्धारण वर्ष अंत में बाध्यता की राशि के प्रबंधन के श्रेष्ठ अनुमान के आधार पर किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि को की जाती है और प्रबंधन के श्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण ऐसी संभावित बाध्यताओं के संबंध में किया जाता है जो पहले की

घटनाओं से उत्पन्न हुई हों और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली भविष्य की घटनाओं की उत्पत्ति या गैर–उत्पत्ति से ही की जा सकती हो। आकस्मिक देयताओं की वर्तमान बाध्यताओं हेतु भी ऐसी देयताओं के संबंध में पुष्टि की जाती है जिसके संबंध में यह संभावना न हो कि संसाधनों का एक बाह्य प्रवाह होगा अथवा बाध्यता की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान न लगाया जा सके।

जब कभी ऐसी कोई संभावित बाध्यता या वर्तमान बाध्यता होती है जहां संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना सुदूर होती है, किसी प्रकटीकरण या प्रावधान को नहीं किया जाता है।

2.7 परिसंपत्तियों की क्षति

प्रबंधन आवधिक रूप से बाहरी तथा आंतरिक स्रोतों का आकलन करके यह देखता है कि इसका कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। क्षति तब उत्पन्न होती है जब वहन मूल्य वर्तमान मूल्य से अधिक हो जाता है और परिसंपत्ति के सतत उपयोग तथा इसके अंततः निपटान से भविष्य के नकदी प्रवाह में वृद्धि होने की प्रत्याशा होती है। व्यय की जाने वाली क्षति हानि का निर्धारण परिसंपत्तियों के निवल बिक्री मूल्य तथा उपर्युक्तानुसार निर्धारित वर्तमान मूल्य से ऊपर वहन मूल्य के आधिक्य पर किया जाता है। किसी क्षति हानि को वसूली योग्य राशि के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमान में परिवर्तन होने पर वापिस कर दिया जाता है। किसी क्षति हानि को केवल उस सीमा तक दर्ज किया जाता है कि परिसंपत्तियों की वहन लागत, उस वहन लागत से अधिक नहीं होती है जिसका निर्धारण मूल्यह्रास तथा परिशोधन के निवल हेतु किया जाता, यदि किसी क्षति हानि को मान्यता नहीं दी जाती।

2.8 पट्टे

<u>प्रचालन पट्टे</u>

पट्टा व्यवस्थाएं जहां जोखिम तथा पुरस्कार किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के संबंध में पट्टादाता में निहित हो, उन्हें प्रचालन पट्टों के रूप में मान्यता दी जाती है। प्रचालन पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि में एक सीधी रेखा आधार पर चालू निर्माण कार्य शीर्ष के अंतर्गत व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.9 कर्मचारी लाभ

अद्यतन तिथि के अनुसार कंपनी की स्वयं की वेतन पंजी पर कोई कर्मचारी नहीं है और कंपनी के कार्य को वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है। अतः ''कर्मचारी लाभ'' संबंधी एएस–15 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

2.10 विदेशी मुद्रा संव्यवहार तथा रूपांतरण

विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को संव्यवहार की तिथि को विद्यमान विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई तथा बकाया मौद्रिक मदों को तुलन–पत्र तिथि को विद्यमान विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। अचल परिसंपत्तियों से संबंधित के अलावा विदेशी मुद्रा लेन–देन संबंधी विनिमय अंतरों को उचित रूप से मान्यता दी जाती है। अचल परिसंपत्तियों की खरीद हेतु किए गए व्यय की तिथि को विनिमय उतार–चढ़ाव संबंधी किसी लाभ/हानि को ऐसी अचल संपत्तियों की वहन लागत के प्रति समायोजन के रूप में लिया जाता है।

2.11 **आय पर कर**

आय कर में वर्तमान कर और विलंबित कर शामिल होता है। विलंबित कर परिसंपत्तिनयों को समय अंतरों के कारण भविष्य के कर परिणामों हेतु मान्यता प्रदान की जाती है, जो विवेकसम्मत होने के अधीन होता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन तुलन–पत्र तिथि को अधिनियमित या बाद में अधिनियमित कर दरों का उपयोग करके किया जाता है। एक विवेकसम्मत उपाय के रूप में कंपनी ने विलंबित कर परिसंपत्तिक को मान्यता नहीं दी है।

2.12 **प्रति शेयर अर्जन**

प्रति शेयर आधारभूत अर्जन की गणना इक्वंटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ और हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना के प्रयोजन हेतु, इक्वटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ और हानि तथा अवधि के दौरान बकाया इक्वियटी शेयरों की संख्याध को सभी तनुकृत संभाव्या इक्विटी शेयरों के प्रभावों हेतु समायोजित किया जाएगा।

2.13 पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के साथ मिलान हेतु पुनः समूहबद्ध/पुनरूवर्गीकृत किया गया है।

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट 3 शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
	शेयरों की संख्या	₹	शेयरों की संख्या	₹
(क) 10 रूपये प्रत्येक के प्राधिकृत इक्विटी शेयर	3,724,000,000	37,240,000,000	3,724,000,000	37,240,000,000
(ख) 10 रूपये प्रत्येक के निर्गत/अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त शेयर	3,127,324,670	31,273,246,700	2,397,000,000	23,970,000,000
कुल	**3,127,324,670**	**31,273,246,700**	**2,397,000,000**	**23,970,000,000**

विवरण			
विवरण	**प्रारंभिक शेष**	**वर्ष के दौरान नए जारी**	**अंतिम शेष**
इक्विटी शेयर			
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष			
– शेयरों की संख्या	2,397,000,000	730,324,670	3,127,324,670
– राशि (रूपये)	23,970,000,000	7,303,246,700	31,273,246,700
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष			
– शेयरों की संख्या	1,969,268,020	427,731,980	2,397,000,000
– राशि (रूपये)	19,692,680,200	4,277,319,800	23,970,000,000

नोट 3.2 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर के ब्यौरे

विवरण	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
	धारित शेयरों की संख्या	शयरों की उस श्रेणी में धारिता प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शयरों की उस श्रेणी में धारिता प्रतिशत
इक्विटी शेयर				
तेल उद्योग विकास बोर्ड, और उसके नामिति	3,127,324,670	100 %	2,397,000,000	100 %

नोट 3.3 आवंटन लंबित होने वाली शेयर आवेदन राशि

31 मार्च, 2015 के अनुसार, ओआईडीबी से 31.3.2015 तक प्राप्त राशियों में से 76,00,00,007 रूपये की राशि हेतु इक्विटी शेयर अभी आंवटित किए जाने हैं और इन्हें ''आवंटन लंबित होने वाली शेयर आवेदन राशि'' के अतंर्गत दर्शाया गया है। कंपनी के पास इन शेयरों के आवंटन को कवर करने के लिए पर्याप्त प्रधिकृत पूंजी है।

नोट 4 आरक्षित और अधिशेष

विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
	₹	₹
(कमी) लाभ और हानि विवरण में		
प्रारंभिक शेष	(255,435,089)	(205,249,747)
जोड़े : (हानि) वर्ष हेतु	(59,003,386)	(50,185,342)
कुल	**(314,438,475)**	**(255,435,089)**

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट 5 अन्य दीर्घावधि देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
	₹	₹
संविदाकारों से रोकी गई – संविदात्मक	444,549,680	590,021,416
एचपीसीएल से अग्रिम	1,350,000,100	1,350,000,100
ओआईडीबी से अग्रिम	-	150,000,000
कुल	**1,794,549,780**	**2,090,021,516**

नोट 6 देय व्यापार

विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
	₹	₹
देय व्यापार	272,482,618	267,529,042
कुल	**272,482,618**	**267,529,042**

नोट 7 अन्य वर्तमान देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
	₹	₹
अन्य देय		
(i) सांविधिक प्रेषण (रोके गए कर, श्रम उपकर, टीडीएस एवं कार्य संविदा कर)	21,193,781	48,914,613
(ii) अन्य (चट्टान निपटान के प्रति समायोजन योग्य राशि)	8,543,126	11,408,003
(iii) सुरक्षा जमा / ईएमडी	1,642,675	1,599,852
(iv) संविदाकारों से रोका गया – आपूर्ति	305,654,513	51,548,881
कुल	**337,034,095**	**113,471,348**

नोट 8 अल्पावधि प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
	₹	₹
ईएनसी भूमि किराए हेतु प्रावधान	-	7
व्यय हेतु लेनदार	-	1,125
कुल	**0**	**1,132**

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट 9 अचल परिसंपत्तियां

ए.	मूर्त परिसंपत्तियां	कुल संपत्तियां				संचित मूल्यह्रास				शुद्ध कुल संपत्तियां	
		1 अप्रैल, 2014 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान समाप्त	31 मार्च, 2015 को शेष	1 अप्रैल, 2014 को शेष	वर्ष हेतु मुल्यह्रास/ परिशोधन व्यय	संपत्तियों के निपटान पर समाप्त	31 मार्च, 2015 को शेष	31 मार्च, 2015 को शेष	31 मार्च, 2014 को शेष
		₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
	(क) पट्टाधृत भूमि	1,502,803,957	44,921,008	-	1,547,724,965	196,361,366	46,840,226	-	243,201,592	1,304,523,373	1,306,442,591
	(ख) फर्नीचर और फिक्स्चर	1,360,917	999,068	-	2,359,985	324,306	3,496	-	327,802	2,032,183	1,036,611
	(ग) कार्यालय उपकरण	1,410,929	3,047,534	-	4,458,463	516,349	522,003	-	1,038,352	3,420,111	894,580
	(घ) कंप्यूटर	2,221,344	1,907,331	-	4,128,675	1,667,815	652,347	-	2,320,162	1,808,513	553,529
	(ड़) संयत्र और मशीनरी	-	432,348	-	432,348	-	450	-	450	431,898	-
	कुल	**1,507,797,147**	**51,307,289**	**-**	**1,559,104,436**	**198,869,836**	**48,018,522**	**-**	**246,888,358**	**1,312,216,078**	**1,308,927,312**
	31 मार्च, 2014 के अनुसार	**1,507,028,413**	**768,734**	**-**	**1,507,797,147**	**155,724,566**	**43,145,270**	**-**	**198,869,836**	**1,308,927,312**	**1,351,303,848**

बी.	चालू पूंजीगत कार्य (देखे टिप्पणी सं. 9ख)	31 मार्च, 2015 को शेष	31 मार्च, 2014 को शेष
		₹	₹
	चरण–I		
	– विशाखापट्टनम कैवर्न	10,361,262,884	9,041,448,913
	– पादुर कैवर्न भंडारण परियोजना @	13,535,692,846	11,997,530,683
	– मंगलौर कैवर्न परियोजना @	8,365,698,011	7,525,055,565
	चरण–II डीएफआर	-	-
	योग	**32,262,653,741**	**28,564,035,161**

@ विनियोजित प्रधान कार्यालय व्यय शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट सं. 9 ख : चालू पूंजीगत कार्य

विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
	₹	₹
चालू निर्माण कार्य		
(अनावंटित पूंजीगत व्यय, स्थल पर सामग्री सहित)		
भंडारण चरण – I		
विशाखापट्टनम कैवर्न भंडारण परियोजना		
भूमिगत सिविल कार्य	4,954,828,852	4,544,125,287
भूमि के उपर प्रक्रिया सुविधांए	4,128,029,273	3,432,355,193
परियोजना प्रबंधन परामर्श	1,090,693,432	904,081,080
अध्ययन एवं सर्वेक्षण	17,267,798	16,316,780
चालू करने से पूर्व/चालू किया जाना – वाइजैग	18,675,431	-
अन्य परियोजना व्यय	32,435,218	43,935,921
प्रधान कार्यालय व्यय	119,332,880	100,634,652
कुल	**10,361,262,884**	**9,041,448,913**
पादुर कैवर्न भंडारण परियोजना		
भूमिगत सिविल कार्य	8,288,498,477	7,582,937,065
भूमि के उपर प्रक्रिया सुविधांए	2,770,681,846	2,247,093,444
परियोजना प्रबंधन परामर्श	1,361,919,179	1,245,164,254
अध्ययन एवं सर्वेक्षण पादुर	12,168,060	12,265,256
चालू करने से पूर्व/चालू किया जाना – पादुर	11,465,093	-
अन्य परियोजना व्यय	91,958,317	51,399,690
पाइपलाईन	895,971,267	777,432,003
प्रधान कार्यालय व्यय	103,030,607	81,238,970
कुल	**13,535,692,846**	**11,997,530,682**
मंगलौर कैवर्न भंडारण परियोजना		
भूमिगत सिविल कार्य	4,121,501,179	3,979,637,211
भूमि के उपर प्रक्रिया सुविधांए	2,485,541,382	2,026,517,111
परियोजना प्रबंधन परामर्श	1,011,964,171	987,474,493
अध्ययन एवं सर्वेक्षण	13,558,986	13,558,986
चालू करने से पूर्व/चालू किया जाना – मंगलौर	12,881,090	-
अन्य परियोजना व्यय	17,960,661	12,833,869
पाइपलाईन	638,338,346	452,941,350
प्रधान कार्यालय व्यय	63,952,196	52,042,545
कुल	**8,365,698,011**	**7,525,055,565**
कुल प्रगति पर निर्माण कार्य	**32,262,653,741**	**28,564,035,160**

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट 10 दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2015 को ₹	31 मार्च, 2014 को ₹
सुरक्षा जमा	46,557,034	20,369,274
सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष – प्राप्य सेनवैट क्रेडिट	144,084,370	380,776,771
एचसीसी को अग्रिम – वाइजेग परियोजना	-	150,000,000.00
भूमि के प्रति अग्रिम – पादुर	34,214,500	-
कुल	**224,855,904**	**551,146,045**

नोट 11 नकदी और नकदी तुल्य

विवरण	31 मार्च, 2015 को ₹	31 मार्च, 2014 को ₹
हस्तगत नकदी	2,773	1,297
बैंको के साथ शेष – ऑटोस्वीप चालू खाता	206,918,758	243,997,563
कुल	**206,921,531**	**243,998,860**

नोट 12 अल्पावधि ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2015 को ₹	31 मार्च, 2014 को ₹
पूर्व प्रदत्त व्यय – असुरक्षित, अच्छे समझे गए	5,477,217	4,062,315
अन्य ऋण एवं अग्रिम – अप्रतिभूत अच्छे समझे गए		
टीडीएस प्राप्य *	12,824,337	13,934,682
नकदी अथवा वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिम	11,766,554	12,199,553
आरओयू अधिग्रहण और डीजल आपूर्ति के प्रति अग्रिम	7,253,877	76,608
जुटाए जाने का अग्रिम	74,418,733	128,739,622
भूमि के प्रति अग्रिम – पादुर	-	34,214,500
शेयरों पर स्टांप ड्यूटी के प्रति अग्रिम	4,486,753	-
कुल	**116,227,471**	**193,227,280**

* रूपये 38,10,397 का प्राप्य टीडीएस, अदा किए गए अधिक टीडीएस के प्रति है। धन वपिसी टीडीएस सीपीसी को अग्रेषित की गई है।

नोट 13 अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए ₹	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए ₹
विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क	605	22,410
लेखापरीक्षकों को भुगतान (नीचे टिप्पणी (i) देखें)	272,540	218,871
कार्यालय व्यय	3,409,597	2,521,470
कुल	**3,682,742**	**2,762,751**

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट 13(i): लेखापरीक्षकों को भुगतान का ब्यौरा

विवरण	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
	₹	₹
लेखापरीक्षकों के किए गए भुगतान में शामिल है :–		
'लेखापरीक्षकों के रूप में – सांविधिक लेखापरीक्षा	168,500	168,540
'व्ययों की प्रतिपूर्ति	16,400	15,500
'कंपनी विधि मामलों हेतु	-	6,741
आंतरिक लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक	87,640	28,090
कुल	**272,540**	**218,871**

नोट 13क स्टॉप शुल्क व्यय के ब्यौरे

विवरण	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
	₹	₹
जारी किए गए शेयरों पर स्टॉप शुल्क	7,303,247	4,277,320
कुल	**7,303,247**	**4,277,320**

नोट 14 वित्तीय विवरणों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी

14.1 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (प्रावधन न की गई सीमा तक)

विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
	रूपये (लाख में)	रूपये (लाख में)
(i) **आकस्मिक देयताएं** हरित पटटी के विकास और सीएसटी प्रतिपूर्ति के प्रति देयता सहित	611	611
(ii) प्रवेश कर मांग जिसमें एमआरपीएल से खरीद किए गए डीजल पर वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 हेतु ब्याज तथा शास्ति शामिल है		
वित्त वर्ष 2010–11	38	38
वित्त वर्ष 2011–12	121	121
(iii) निर्धारण वर्ष 2012–13 हेतु ब्याज सहित आय कर मांग	27	-
(iv) विभागीय नियमों के अनुसार विशाखपटट्नम में उत्खनित सामग्री की बिक्री पर आंध्र प्रदेश सरकार को रायल्टी हेतु खान एवं भूविज्ञान विभाग की मांग		
वित्त वष 2014–15	104.93	-
(v) क्षतिपूर्ति मंगलौर विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड को एक क्षतिपूर्ति जारी की गई है, इस प्रकार जारी क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी से कवर है	2,500.00	-
(vi)**पूंजीगत प्रतिबद्धताएं** पूंजी लेखे पर निष्पादन हेतु शेष होने वाली सभी प्रमुख चालू संविदाओं की अनुमानित राशि जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	439,570	32,867

(vii) जून, 2011 में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने विशाखापट्टनम परियोजना हेतु 1,03,800 लाख रूपए के संशोधित लागत अनुमानों को अनुमोदित किया था, जबकि पहले अनुमानित लागत 67,183 लाख रूपए (सितम्बर 2005 के मूल्यों पर) थी। वर्ष 2013–14 के दौरान मंगलौर हेतु संशोधित लागत अनुमान 12,27,00 लाख रूपए थे, जबकि मूल अनुमानित लागत 7,31,72 लाख रूपए की थी और पादुर परियोजना हेतु यह 9,93,28 लाख रूपए की मूल अनुमानित लागत के प्रति 16,93,00 लाख रूपए थी। अगस्त, 2014 में, सरकार ने विशाखापट्टनम हेतु 1,17,835 लाख रूपए के संशोधित लागत अनुमानो को अनुमोदित किया था (एचपीसीएल के साथ संयुक्त स्वामित्व के कारण 9,100 लाख रूपए की आय कर देयता के अतिरिक्त)। एचपीसीएल द्वारा अनुपातिक पूंजीगत अंशदान परियोजना की लागत के संबंध में भंडारण क्षमता के आधार पर है (एचपीसीएल का अंश 0.30 एमएमटी, कुल केवर्न क्षमता 1.33 एमएमटी)। लागत में संशोधन कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, स्थल स्थितियों तथा प्रौद्योगिकीय सुधारों को ध्यान में रखते हुए वर्धन/कटौती, विनिमय दर अंतर और सांविधिक उदग्रहणों में वृद्धि के कारण है।

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

14.2 विदेशी मुद्रा में व्यय (समतुल्य भारतीय राष्ट्रीय रूपया)

विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
	रूपये (लाख में)	रूपये (लाख में)
अन्य मामले (विदेश यात्रा)	5.50	16.54
अन्य मामले (डीएफआर अध्ययन चरण–II हेतु जारी किया गया भुगतान 22,000 यूएसडी और 67,241 यूरो, तथा पंप हेतु 11,43,097 यूरो)	37.87	929.52

14.3 विदेशी मुद्रा में आय

विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
	रूपये (लाख में)	रूपये (लाख में)
आय	शून्य	शून्य

14.4 निर्माण की अनुमानित लागत

(i) भूमिगत सिविल कार्यों, उक्त भूमि से ऊपर की प्रक्रिया सुविधाओं, पाइपलाइन कार्यों आदि हेतु हस्ताक्षरित संविदाओं के आधार पर यथा निर्धारित अनुमानित लागतों को परियोजना पर एक समयावधि में अंतिम पूर्णता तक व्यय किया जाना होता है और इसमें भूमि, सामग्री, सेवाओं तथा अन्यक संबंधित ऊपरी व्यगयों की लागत शामिल होती है।

(ii) तुलन पत्र की तिथि अर्थात 31 मार्च, 2015 के अनुसार चरण। हेतु निर्माण क्रियाकलाप विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर परियोजनाओं हेतु प्रगति पर है। तुलन पत्र तिथि तक व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतों और आवंटन योग्य लागतों को प्रगति पर निर्माण कार्य के अंतर्गत दर्शाया गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान किए गए व्यय, जो सीधे परियोजनाओं को आरोप्य नहीं है, को लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया गया है।

(iii) चार स्थांनों यथा राजकोट (2.5 एमएमटी), पादुर (2.5 एमएमटी), चंडीखोल (3.75 एमएमटी) और बीकानेर (3.75 एमएमटी) में 12.5 एमएमटी क्षमता हेतु चरण II परियोजनाओं के लिए विस्तृीत व्यहवहार्यता रिपोर्ट पूरी हो गई है।

(iv) चरण–।। हेतु विस्तृत व्यहवहार्यता रिपोर्ट पूरी होने पर, ओआईडीबी से प्राप्त 1169 लाख रूपए की राशि को सीडब्ल्यू आईपी को अंतरित किया गया है। वर्ष के दौरान अदा किए गए 52.90 लाख रूपए को ओआईडीबी को डेबिट किया गया है।

14.5 (i) कर्नाटक सरकार के खान और भूविज्ञान विभाग ने कंपनी द्वारा नियमानुसार विभाग को प्रभुत्व शुल्क/रायल्टी के भुगतान के पश्चात पादुर तथा मंगलौर परियोजना में उत्खनित सामग्री को उचित क्रेताओ को निपटान करने की अनुमति दी है।

(ii) चट्टान के मलबे के हटाने के लिए खान और भूविज्ञान विभाग से उत्खनन लाइसेंस अपेक्षित है। तदनुसार, कंपनी ने कर्नाटक सरकार के खान और भूविज्ञान विभाग से उत्खनन लाइसेंस प्राप्त किया है। दिए गए कार्य के आधार पर, पादुर में 2 स्थलों से चट्टानों के निपटान का कार्य किया जा रहा है।

14.6 विशाखापट्टनम परियोजना की पूर्णता हेतु लक्षित तिथि फरवरी, 2015 थी। सुविधा मार्च, 2015 में खनिज तेल प्राप्ति करने को तैयार थी। 7 अप्रैल, 2011 को विशाखापट्टनम केवर्न ए1 में चट्टान खिसकने की एक घटना हुई

थी। स्थल पर मरम्मत/पुनरूद्धार तथा सुदृढ़ीकरण क्रियाकलापों के प्रति 1250 लाख रूपए की अतिरिक्त राशि पहले की व्यय की जा चुकी है। 1277 लाख रूपए की अनुमानित राशि हेतु बीमा दावा दायर किया गया है और दावे के प्रति बीमा कंपनियों से 450 लाख रूपए की तदर्थ राशि प्राप्त हुई है। बीमा कंपनी से प्राप्तियों को ऐसी प्राप्ति के वर्ष में लेखे में मान्यता प्रदान की जाएगी। वर्ष के दौरान मरम्मत तथा पुनरूद्धार कार्यों में व्यय की गई राशि को सीडब्यूआईपी में शामिल किया गया है और मरम्मत कार्य पूरा कर लिया गया है।

14.7 (i) विशाखापट्टनम में, 38 एकड़ प्रतिबद्ध भूमि में से, कंपनी ने दिनांक 23.05.2011 के पत्र के माध्यम से विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) से ली गई 1 एकड़ प्रयोग न की जा सकने वाली पट्टाधारी भूमि को वापिस कर दिया है। वीपीटी ने कंपनी द्वारा वापिस की गई भूमि को स्वीयकार कर लिया है। कंपनी ने वीपीटी द्वारा ली गई 1 एकड़ भूमि हेतु अनुपातिक पट्टा प्रीमियम के प्रति 72.51 लाख रूपए के प्राप्य को लेखांकित किया है।

(ii) मंगलौर परियोजना हेतु अपेक्षित भूमि को मंगलौर विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड(एमएसईजेडएल) से लिया गया है। सड़क के अपवर्तन हेतु 350 लाख रूपए सहित भूमि की समूची लागत को एमएसईजेडएल को अदा कर दिया गया है और इसे पट्टे की शेष अवधि हेतु पूंजीकृत, परिशोधित किया गया है। 48वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में, मंगलौर स्थिल पर 44 परियोजना विस्था पित परिवारों को एकमुश्त मुआवजे हेतु भूमि के अंतर्गत 308 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। एमएसईजेडएल के साथ पट्टा विलेख का निष्पांदन लंबित है।

(iii) कंपनी ने पादुर परियोजना हेतु 179.2 एकड़ भूमि की खरीद के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के पास 3,252.11 लाख रूपए जमा करवाए थे, जिन्हें वर्ष 2008–10 के दौरान अग्रिम के रूप में लेखांकित किया गया है। केआईएडीबी ने पहले ही 138.57 एकड़ भूमि का कब्जा सौंप दिया है, जिसे केआईएडीबी द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार 21 लाख प्रति एकड़ की दर से 2909 लाख रूपए की लागत पर पूंजीकृत किया गया है और इसमें परियोजना विस्थापित परिवारों को राहत और पुनर्वास सहायता के रूप में अदा की गई राशि शामिल है। 34 लाख रूपए के स्टाम्प शुल्क सहित 342 लाख रूप के शेष को केआईएडीबी के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली शेष भूमि के प्रति अग्रिम माना गया है, जिसे इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त समझा गया है।

14.8 शेयर प्रमाणपत्रों पर स्टाम्प शुल्क अदा करने के प्रबंधन के निर्णय के आधार पर, 31 मार्च, 2015 तक 3,57,600 लाख रूपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी पर कुल 357.60 लाख रूपए के स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया है। वर्ष के दौरान 73,032.47 लाख रूपए के शेयर जारी किए गए है।

14.9 31.03.2012 को शेयर पूंजी में मई 2010 में आवंटित 17,801 लाख रूपए और मई 2011 में आवंटित 47,930 लाख रूपए शामिल है। उक्त आवंटन हेतु शेयर प्रमाणपत्र को आवंटन की तिथि से 90 दिवस के भीतर जारी किया जाना होता है। स्टाम्प शुल्क के भुगतान का निर्णय बोर्ड द्वारा 31 मार्च, 2011 के पश्चात लिया गया था और बोर्ड के अनुमोदन के अनुपालन में समूची प्राधिकृत पूंजी पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान अक्टूबर 2011 में किया गया था और उक्त दोनों आवंटनों हेतु शेयर प्रमाणपत्र नवम्बर 2011 में जारी किए गए है। आवंटन के 90 दिवस के पश्चात शेयर प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब के शमन हेतु एक स्वैंच्छिक याचिका अप्रैल 2012 में कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी) के समक्ष दायर की गई थी। बोर्ड ने 47वीं बोर्ड बैठक में सीएलबी याचिका को वापिस लेने को अनुमोदित किया था। तदनुसार, सीएलबी याचिका को वापिस लेने हेतु आवेदन दिया गया है।

14.10 कंपनी भारत में विभिन्न स्थलों पर विकसित की जा रही सुविधाओं में खनिज तेल हेतु भण्डारण सेवाएं मुहैया करवाने का विकल्प तलाश रही है। कंपनी ने जनवरी 2011 में सेवा कर प्राधिकारियों में पास पंजीकरण करवाया था और अतः सेनवैट क्रेडिट हेतु पात्र है। वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी ने पात्र सेनवैट क्रेडिट की पुनः गणना की है तथा उसे लेखांकित किया है जिसकी राशि 31.03.2012 को 3807 लाख रूपए है। सेवा कर रिटर्न को तदनुसार

फाइल किया गया है। दिनांक 01.03.2011 की अधिसूचना सं. 3/2011 के परिणाम स्वरूप, कंपनी ने परियोजनाओं के स्थापन हेतु निर्माण क्रियाकलापों के लिए अप्रैल 2011 से सेनवैट क्रेडिट का दावा करने को समाप्त कर दिया है।

14.11 वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, सरकार ने खनिज तेल को भरने के लिए 4,94,800 लाख रूपए की कुल बजटीय सहायता को अनुमोदित किया है। इस आवंटन के साथ, यह प्रत्याशित है कि विशाखापट्टनम कैवर्न केवल सामरिक खनिज तेल भंडारण मात्र होगा। तदनुसार, विशाखापट्टनम सुविधा से संबंधित 2,366.92 लाख रूपए के प्राप्य सिनवैट को वर्ष के दौरान सीडब्ल्यू आईपी को वापिस कर दिया गया है।

14.12 मंगलौर में मुक्त व्यापार भंडारण जोन (एफटीडब्ल्यूजेड) के सह–डेवलपर बनने हेतु अनुमोदन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2010 में प्रदान किया गया था। मंगलौर हेतु सभी अनुमोदन प्राप्त हो गए है। पादुर के संबंध में, वाणिज्य मंत्रालय के अनुमोदन बोर्ड द्वारा एफटीडब्यूजेड बनने के लिए आवेदन को ''सिद्धांततः'' स्वीकार कर लिया गया है।

14.13 टिप्पणी सं. 5 में निर्दिष्ट 4445.50 लाख रूपए की प्रतिधारण राशि : जिसे संविदाकारों से परिवर्तनशील मदों हेतु किए गए कार्य के 5 % के प्रति रोका गया है, जिसका भुगतान संविदाओं के सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात जारी किया जाएगा। प्रतिधारण राशि को लेखे में देय अनुसार मुहैया करवाया गया है।

14.14 31 मार्च, 2015 को कंपनी के दिन–प्रतिदिन के कार्य को प्रतिनियुक्ति पर आए 14 कार्मिकों द्वारा देखा जा रहा है जिसमें एचपीसीएल (4), ओएनजीसी (4), आईओसीएल (2), गेल (1), बीपीसीएल (1), ऑयल इंडिया (1) और एमआरपीएल (1) शामिल है और उनके अवकाश वेतन तथा पेंशन योगदान की प्रतिपूर्ति अनुपातिक आधार पर उनकी संबंधित मूल कंपनियों को तत्संनबंधी दावा प्राप्त होने पर की जाती है।

14.15 नकदी अथवा वस्तु रूप में प्राप्य अग्रिम या प्राप्त होने वाला मूल्य जिसमें अन्य कंपनियों से देय राशि शामिल है जिनमें कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है, शून्य रूपए है (गत वर्ष – शून्य रूपए)।

14.16 (i) कंपनी ने वर्ष 2014–15 के दौरान ''स्वीप–इन–स्वीप–आउट'' में उपलब्ध शेष से ब्याज के रूप में 82.85 लाख रूपए अर्जित किए है जबकि वर्ष 2013–14 के दौरान इससे 97.38 लाख रूपए अर्जित किए गए थे।

(ii) 449.86 लाख रूपए की राशि के मूल्यएह्रास (सभी तीन परियोजनाओं हेतु पट्टे पर ली गई भूमि संबंधी परिशोधन सहित) को वर्ष 2014–15 के दौरान लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया गया है जबकि वर्ष 2013–14 के दौरान यह 431.45 लाख रूपए था।

(iii) मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति में परिवर्तन के कारण, वर्ष 2014 रूपये 1.07 लाख तक प्रभारित अधिक मूल्यह्रास को वर्ष के दौरान समायोजित किया गया है।

(iv) परिशोधन में, 308 लाख रूपए के एकमुश्त मुआवजे के कारण वर्ष 2014 तक 30.33 लाख रूपए की राशि शामिल है, जिसे वर्ष 2014–15 में लाभ एवं हानि विवरण में पूर्वावधि व्याय के रूप में सूचित किया गया है।

14.17 दीर्घावधि ऋण और अग्रिम के अंतर्गत समूहबद्ध एचसीसी को दिया गया 1500 लाख रूपए के अग्रिम को वर्ष के दौरान पूरी तरह वसूल लिया गया है।

14.18 पादुर और मंगलौर हेतु खरीद किए गए पाइपों को प्रत्येक परियोजना हेतु चिन्हित किया गया है और पादुर हेतु 8,959.71 लाख रूपए तथा मंगलौर हेतु 6,383.38 लाख रूपए की लागू लागतों को संबंधित परियोजना के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

14.19 लेखांकन मानक–10 के अनुसार, कंपनी ने ब्याज के कारण प्राप्त राजस्व और चट्टान निपटान की बिक्री प्राप्तियों को चालू पूंजीगत कार्य से घटाने की नीति को लगातार अपनाया है। वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज की राशि 387.86 लाख रूपए

और चट्टान की बिक्री से प्राप्तियों की राशि 27.55 लाख रूपए थी।

वर्ष 2008–09 से 2014–15 तक चालू पूंजीगत कार्य से घटाया गया कुल ब्याज और प्राप्तियां 1763 लाख रूपए है। वर्ष–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है –

(i) वित्त् वर्ष 2008–09 प्राप्त ब्याज और चट्टान बिक्री से प्राप्ति क्रमशः 1 लाख रूपए और शून्य रूपए थी।
(ii) वित्त वर्ष 2009–10 प्राप्त ब्याज और चट्टान बिक्री से प्राप्ति क्रमशः शून्य रूपए और शून्य रूपए थी।
(iii) वित्त वर्ष 2010–11 प्राप्त ब्याज और चट्टान बिक्री से प्राप्ति क्रमशः 4.48 लाख रूपए और शून्य रूपए थी।
(iv) वित्त वर्ष 2011–12 प्राप्त ब्याज और चट्टान बिक्री से प्राप्ति क्रमशः 62.67 लाख रूपए और शून्य रूपए थी।
(v) वित्त वर्ष 2012–13 प्राप्त ब्याज और चट्टान बिक्री से प्राप्ति क्रमशः 603.62 लाख रूपए और 42.17 लाख रूपए थी।
(vi) वित्त वर्ष 2013–14 प्राप्त ब्याज और चट्टान बिक्री से प्राप्ति क्रमशः 591.00 लाख रूपए और 43.02 लाख रूपए थी।

14.20 विलंबित कर

कर योग्य आय के अभाव में, आय कर हेतु किसी प्रावधान को आवश्यरक नहीं समझा गया है। इसके अतिरिक्त, विलंबित कर परिसंपत्ति को भी मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि भरोसेमंद साक्ष्य के साथ इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्ति को समायोजित किया जा सके।

14.21 2 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी होने वाले 'सूक्ष्मक, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अनुरूप चिन्हित पक्षों के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय शून्य निर्धारित किए गए है। कंपनी ने ऐसे उद्यमों/आपूर्तिकारों को लिखा है और इसे अभी तक अपने आपूर्तिकारों से सूक्ष्म या लघु अथवा मध्यम उद्यम होने के संबंध में कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी की आपूर्तिकार प्रोफाइल के मद्देनजर इस मामले में देयता शून्यर/नगण्यं है।

14.22 लघु उद्योग औद्योगिक उपक्रमों को कोई देय बकाया नहीं है। डेबिट/क्रेडिट में संविदाकार/सेवा प्रदाता लेखे, तत्संबंधी पुष्टि, मिलान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है।

14.23 कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अंतर्गत एक लेखापरीक्षा समिति गठित की है जिसकी संरचना निम्नवत है :

श्री ए.पी.साहनी, अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अध्यक्ष

श्री एस.बी.अग्निहोत्री, स्वंतत्र निदेशक – सदस्य

श्रीमती संगीता गैरोला, स्वंतत्र निदेशक – सदस्य

14.24 संविदाकारों के शेष पुष्टि के अधीन है।

नोट 15 : लेखाकंन मानकों के तहत खुलासे

नोट	विवरण
15.1 15.1क	**संबंधित पक्ष कारोबार** **संबंधित पक्षों के ब्यौरे:**

संबंध का विवरण	संबंधित पार्टियों के नाम
धारक संगठन	तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) कंपनी में 100% इक्विटी धारित की हुई है।
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	श्री राजन के. पिल्लै, सीईओ। सीईओ को कंपनी के संगम अनुच्छेद के अंतर्गत आईएसपीआरएल के दिन–प्रतिदिन के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है। वह 30.11.2013 को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड से सेवानिवृत्त हुए। उन्हें 25.02.2014 से प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल किया गया है। **निदेशक मंडल (पदेन)** श्री सौरभ चन्द्र, अध्यक्ष (07.03.2014 से) श्री अजय प्रकाश साहनी, निदेशक (28.03.2015 से) डॉ सुभाष खुंटिआ, निदेशक श्री राजीव कुमार, निदेशक (01.12.2014 तक) श्री आर के सिंह, निदेशक (25.09.2014 तक) श्री संदीप पौण्डरिक, निदेशक (12.01.2015 से) श्री एल.एन. गुप्ता, निदेशक (17.06.2013 से) **आंतरिक निदेशक** श्री सतीश बलराम अग्निहोत्री, निदेशक (28.03.2015 से) श्रीमती संगीता गैरोला, निदेशक (28.03.2015 से)

15.1ख 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष कारोबार के ब्यौरे और 31 मार्च, 2015 को बकाया शेष :

विवरण	धारक संगठन (ओआईडीबी)	केएमपी (सीईओ)	कुल
	₹	₹	₹
वित्त (नकद अथवा वस्तु रूप में ऋण और इक्विवटी अंशदान सहित)	762,104,191 (4,827,313,451)		762,104,191 (4,827,313,451)
* कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति सहित प्रबंधन संविदाएं		2,111,368 (3,910,857)	2,111,368 (3,910,857)

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

15.1ग निदेशक मंडल की नियुक्ति पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है। निदेशक मंडल को पारिश्रमिक शून्य है (पिछले वर्ष – शून्य)।

15.1घ संबंधित पक्ष के साथ बकाया शेष/कारोबार :

विवरण	तेल उद्योग विकास बोर्ड		हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. *	
	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
	₹	₹	₹	₹
(i) वर्ष के दौरान कारोबार कंपनी की ओर से किया गया व्यय	2,104,184	1,566,744	14,189,116	22,065,601
(ii) वर्ष के अंत में शेष	760,000,007	4,825,746,707	1,571,064	-
कुल	**762,104,191**	**4,827,313,451**	**15,760,180**	**22,065,601**

* एचपीसीएल से प्रतिनियुक्ति पर आए केएमपी (सीईओ) के वेतन हेतु प्रतिपूर्ति की जानी है।

नोट 15 : लेखाकंन मानकों के तहत खुलासे (जारी)

नोट	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
		₹	₹
15.2	**प्रति शेयर अर्जन**		
15.2क	**आधारभूत**		
	(हानि) इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य वर्ष हेतु	(59,003,386)	(50,185,342)
	बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	3,127,324,670	2,397,000,000
	प्रति शेयर सममूल्य	10	10
	सतत प्रचालनों से प्रति शेयर हानि – आधारभूत	(0.02)	(0.02)
15.2ख	**तनुकृत**		
	(हानि) इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य वर्ष हेतु	(59,003,386)	(50,185,342)
	बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या – तनुकृत हेतु	3,203,324,671	2,879,574,671
	प्रति शेयर सममूल्य	10	10
	सतत प्रचालनों से प्रति शेयर हानि – तनुकृत	(0.02)	(0.02)

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

विवरण	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
	₹	₹	₹	₹
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
असाधारण मदों और कर से पूर्व निवल हानि		(59,003,386)		(50,185,342)
जोडे:				
वर्ष हेतु मूल्याह्रास और परिशोधन	48,018,522		43,145,270	
		48,018,522		43,145,270
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन (हानि)		(10,984,864)		(7,040,072)
निम्न लिखित हेतु समायोजन :				
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	76,999,809		246,714,125	
देय व्यापार	4,953,576		(1,034,669,704)	
अन्य वर्तमान देयताएं	223,562,747		(81,816,669)	
अल्पावधि प्रावधान	(1,132)		(1,433,597)	
		305,515,000		(871,205,845)
प्रचालनों से उत्पन्न नकदी (असाधारण मदों से पूर्व)		294,530,136		(878,245,917)
प्रचालन क्रियाकलापों से/ (में प्रयुक्त) निवल नकदी (क)		**294,530,136**		**(878,245,917)**
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	326,290,142		-	
तृतीय पक्ष को दिया अग्रिम	-		(150,000,000)	
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(51,307,289)		(768,734)	
चालू पूंजीगत कार्य	(3,698,618,581)		(5,651,395,357)	
		(3,423,635,728)		(5,802,164,091)
निवेश क्रियाकलापों से/(में प्रयुक्त) निवल नकदी (ख)		**(3,423,635,728)**		**(5,802,164,091)**
ग.वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
दीर्घावधि ऋणों की चुकौती	(295,471,736)		-	
दीर्घावधि ऋणों से प्राप्तियां	-		1,623,828,921	
इक्विटी शेयर के इश्यु से प्राप्तियां	3,387,500,000		5,210,966,507	
वित्त–पोषण क्रियाकलापों से/(में प्रयुक्त) निवल नकदी (ग)		3,092,028,264 **3,092,028,264**		6,834,795,428 **6,834,795,428**
घ. नकदी तथा नकदी तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		**(37,077,328)**		**154,385,420**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी तुल्य		243,998,859		89,613,439
वर्ष समाप्ति पर नकदी तथा नकदी तुल्य		**206,921,531**		**243,998,859**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पुरूषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन न. 005484एन

हस्ता./–
(सीए बिनय कुमार झा)
भागीदार
सदस्यता सं. 509220

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.07.2015

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ह0/–
(संदीप पौण्डरिक)
निदेशक
(डीआईएन 01865958)

ह0/–
(राजन कै. पिल्लै)
सीईओ एवं एमडी
(डीआईएन 06799503)

ह0/–
(अरूण तलवार)
कम्पनी सचिव

ह0/–
(एस. आर. हास्यागर)
मुख्य वित्त अधिकारी

अनुबंध–ग

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत् विहित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसे उनके द्वारा अपनी दिनांक 23 जुलाई, 2015 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। इस पूरक लेखापरीक्षक को स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागजातों पर किसी पहुंच के बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखांकन रिकाड़ों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जिस पर किसी टिप्पणी अथवा सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर किसी अनुपूरक रिपोर्ट की आवश्यकता हो।

कृते तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता./–
(सुपर्णा देब)
प्रधान वाणिज्य लेखापरीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–2, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनाक : 31.08.2015

अनुबंध–घ

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड
301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर
तीसरा तल, बाबर रोड
नई दिल्ली–110001

हमनें इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (जिसे एतदपश्चात् ''कंपनी'' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कारपोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवालयीन लेखापरीक्षा की है। सचिवालयीन लेखापरीक्षा को इस प्रकार से किया गया था कि उसने हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उस पर अपना मत व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया था।

सचिवालयीन लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकाड़ों के हमारे सत्यापन और कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर भी हम एतदद्वारा यह सूचित करते है कि हमारे मतानुसार कम्पनी ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका और एतदपश्चात् सूचित करने के तरीके को नीचे दिया गया है:

हमनें इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (''कंपनी'') द्वारा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकाड़ों का परीक्षण निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियमय लागू नहीं
(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियमय लागू नहीं
(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992(''सेबी अधिनियम'') के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशा–निर्देश –
    (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011: लागू नहीं
    (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिषेध) विनियम, 1992: लागू नहीं
    (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गमन तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009: लागू नहीं

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशा–निर्देश, 1999: लागू नहीं

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन एवं सूचीकरण) विनियम, 2008: लागू नहीं

(च) कम्पनी अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ कारोबार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (किसी इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993: लागू नहीं

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीबद्ध करना) विनियम, 2009: लागू नहीं

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 1998: लागू नहीं

(झ) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934

(ञ) विस्फोटक अधिनियम, 1884

(ट) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974

(ठ) तेलक्षेत्र अधिनियम, 1948

(ड) पर्यावरणीय कानून :

i) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

ii) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981

iii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

iv) हानिकारक पदार्थ (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 1989

हम कंपनी द्वारा अन्यर लागू अधिनियमों, कानूनी और विनियमों के अंतर्गत अनुपालन हेतु कंपनी द्वारा बनाई गई प्रणालियों तथा तंत्र हेतु कंपनी और इसके अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्या वेदनों पर निर्भर रहे हैं।

हमनें निम्नलिखित के लागू खंडों के साथ अनुपालन का भी परीक्षण किया है :

(1) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयीन मानक।

(2) कम्पनी द्वारा स्टाक एक्सचेंज(जों) के साथ किए गए सूचीकरण समझौते : लागू नहीं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि का पालन किया है जो निम्नलिखित अभिमतों के अधीन है :

(क) दिनांक 13.08.2014 और 31.12.2014 को हुई दो बैठकों के मध्यि अंतराल 120 दिवस से अधिक का था, यद्यपि समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान हुई बोर्ड बैठकों की कुल संख्याक 4 थी, कंपनी को भविष्य में इसका ध्यान रखने का परामर्श दिया गया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि

कम्पनी के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक, गैर–कार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशक का उचित संतुलन हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक के कार्यक्रम की पर्याप्त सूचना विस्तृगत कार्यसूची के साथ दी जाती है और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर अतिरिक्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता हेतु एक तंत्र विद्यमान है।

कंपनी द्वारा बोर्ड/समिति और शेयरधारकों की बैठकों के रखे गए कार्यवृत्त के अनुसार, हमनें पाया कि सभी निर्णयों को संबंधित बोर्ड/समिति और शेयरधारकों द्वारा बिना किसी विमत टिप्पण के अनुमोदित किया गया था।

हम आगे सूचित करतें है कि कम्पनी में लागू विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशा–निर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार तथा प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे सूचित करते है कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उक्त संदर्भित विधियों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि के अनुपालन में कम्पनी के मामलों पर व्यापक प्रभाव होने वाले किसी कार्यक्रम/कार्रवाई को नहीं लिया है।

कृते पीजी एंड एसोसिएटस

हस्ता./–
(प्रीति ग्रोवर)
कंपनी सचिव
एफसीएस संख्या 5862
सीपी संख्या 6065

स्थान : नोएडा
दिनांक : 14.8.2015

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड
301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर
तीसरा तल, बाबर रोड
नई दिल्ली –110001

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. हमने कंपनी की कोई व्यापार और/अथवा वित्तीय लेखापरीक्षा नहीं की है और कंपनी द्वारा उल्लिखित आंकड़ों को सही पाया माना गया है।

2. हमने कराधान विधियों के संबंध में अनुपालन की स्थिति की जांच नहीं की है, क्योंकि वे इस लेखापरीक्षा हेतु हमारे अधिदेश के कार्यक्षेत्र से बाहर है। हमने कंपनी के विपणन, प्रचालन, तकनीकी सेवाओं, कर, वाणिज्य या वित्तीय और लेखांकन से संबंधित मामलों पर कोई मत व्यक्त नहीं किया है।

3. हमने हमें मुहैया करवाए गए सभी दस्तावेजों के हस्ताक्षरों, मौलिकता और पूर्णता की प्रामाणिकता को माना है और इसके अलावा जो मूल नहीं थे, उन्हें उनके तदनुरूपी मूल दस्तावेजों के अनुरूप माना है।

4. हमने सचिवालयीन रिकार्ड़ों की विषय–वस्तु की सत्यता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखापरीक्षा व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवालयीन रिकार्ड़ों में सही तथ्यों को प्रदर्शित किया जा सके। हम मानते है कि अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों ने हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया है।

कृते पीजी एण्ड एसोसिएटस

हस्ता./–
(प्रीति ग्रोवर)
कंपनी सचिव
एसीएस सं. : 5862
सीपी संख्या : 6065

स्थान : नोएडा
दिनांक : 14.08.2015

सत्यापित दस्तावेजों की सूची

1. संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद।
2. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट।
3. रिपोर्टाधीन वित्त वर्ष के दौरान हुई निदेशक मंडल, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों के कार्यवृत्त और साथ में उपस्थिति रजिस्टर।
4. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोजित आम सभा बैठकों के कार्यवृत्त।
5. सांविधिक रजिस्टर अर्थात
   - निदेशकों तथा केएमपी का रजिस्टर
   - निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर
   - अंतरणों का रजिस्टर
   - सदस्यों का रजिस्टर
6. बोर्ड की बैठकों तथा समिति बैठकों हेतु सभी निदेशकों/सदस्यों को प्रस्तुत कार्य–सूची दस्तावेज।
7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के निदेशकों से प्राप्त घोषणाएं।
8. रिपोर्टाधीन वित्त वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अंतर्गत समय–समय पर कंपनी द्वारा दायर किए गए ई–फार्म और तत्संबंधी संलग्नक।
9. विशाखापट्टनम में सुविधा हेतु आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उडूपी तथा मंगलौर में सुविधाओं हेतु कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी संस्थापना हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण–पत्र।
10. विशाखापट्टनम में सुविधा हेतु आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रचालन की सहमति।
11. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र।
12. श्रम मंत्रालय से पंजीकरण का प्रमाण–पत्र।
13. समग्र योजना/विस्फोटन क्रियाकलापों को करने/भण्डारण हेतु पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, नागपुर द्वारा जारी अनुमोदन।
14. विशाखापट्टनम में खनिज तेल भण्डार के निर्माण हेतु पुलिस आयुक्त से अनापत्ति प्रमाण–पत्र।
15. उडूपी में फैक्ट्री बिल्डिंग के निर्माण हेतु कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड से अनुमोदन–पत्र।
16. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से अनुमोदन–पत्र।

अध्याय-X

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 की धारा–6 बोर्ड के कृत्य

6(1) इस अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धो के अधीन रहते हुए, बोर्ड ऐसी रीति से ऐसे विस्तार तक और ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, ऐसे सभी अध्युपायों के संप्रवर्तन के लिए जो उसकी राय में तेल उद्योग के विकास में साधक हों, वित्तीय और अन्य सहायता देगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड उस उपधारा के अधीन निम्नलिखित रीति से सहायता दे सकता है, अर्थात्:–

(क) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति को जो धारा 2 के खण्ड (ट) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगा हुआ है या लगने वाला है, अनुदान या उधार देना :

(ख) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा लिए गए ऐसे उधारों की, जो पच्चीस वर्ष से अनाधिक अवधि के भीतर प्रतिसंदेय हों और बाजार में चालू किए गए हों या किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे बैंक से, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित अनुसूचित बैंक या राज्य सहकारी बैंक हैं, लिए गए उधारों की ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर जो करार पाए जाएं प्रत्याभूति देना,

(ग) भारत के बाहर से पूंजी माल के आयात के संबंध में किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति से अथवा भारत के भीतर पूंजी माल के क्रय के संबंध में ऐसे समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा शोध्य असीमित संदायों की, ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर जो करार पाए जाएं प्रत्याभूति देना:

(घ) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी देश में, किसी बैंक या वित्तीय संस्था से विदेशी करेंसी में लिए गए उधारों की या किए गए प्रत्यय ठहरावों की, ऐसी शर्तो और निबंधनों जो करार पाएं जाए, प्रत्याभूति देना परन्तु ऐसी कोई प्रत्याभूति केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना दी जाएगी ।

(ड़) किसी तेल उद्योग समुत्थान के स्टॉक, शेयरो, बंधपत्रों या डिवेंचरों के पुराधरण की हामीदारी करना और उनके संबंध में अपनी आध्यताओं को पूरा करने में जिन स्टॉक, शेयरों, बंधपत्रों या डिवेंचरों को उसे लेना पड़े उन्हें अपनी आस्थियों के भाग रूप रखे रहना:

(च) केन्द्रीय सरकार या किसी विदेशी वित्तीय संगठन या प्रत्यक्ष अभिकरण द्वारा दिए गए उधार या अग्रिम धन के या अभिदाय किए गए डिवेंचरों के संबंध में किसी तेल उद्योग समुत्थान के साथ किसी कारोबार के संव्यवहार में केन्द्रीय सरकार या उसके अनुमोदन से ऐसे संगठन या अभिकरण के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना:

(छ) किसी तेल उद्योग समुत्थान के स्टॉक या शेयरों के लिए अभिदाय करना:

(ज) किसी तेल उद्योग समुत्थान के ऐसे डिबेचरों के लिए अभिदाय करना जो अभिदाय की तारीख से 25 वर्ष से अनाधिक अवधि के भीतर प्रतिसंदेय है:

परन्तु इस खंड की कोई बात बोर्ड को किसी तेल उद्योग समुत्थान के ऐसे डिवेंचरों के लिए अभिदाय करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी जिन पर परादेय रकम बोर्ड के विकल्प पर उस अवधि के भीतर जिसमें डिवेंचर प्रतिसंदेय हैं, उस समुत्थान के स्टॉक या शेयरों में संपरिवर्तनीय है।

स्पष्टीकरण:– इस खण्ड में, किसी उधार या अग्रिम धन के संबंध में "जिन पर परादेय रकम" पद से ऐसे उधार या अग्रिम धन पर उस समय संदेय मूलधन, ब्याज और अन्य प्रभार अभिप्रेत है जब उन रकमों को स्टॉक या शेयरों में संपरिवर्तित किया जाना है।

(3) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन अध्युपायों के अन्तर्गत, जिनके

संप्रवर्तन के लिए बोर्ड उस उपधारा के अधीन सहायता दे सकता है, निम्नलिखित के लिए या के रूप में अध्युपाय भी हैं, अर्थात :–

(क) भारत के भीतर (जिनके अन्तर्गत भारत का कॉन्टीनेन्टल सेल्फ भी है) या भारत के बाहर तेल का पूर्वेक्षण और खोज,

(ख) कच्चे तेल के उत्पादन, हैंडलिंग, भण्डारण और परिवहन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था,

(ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का परिष्करण और विपणन,

(घ) पेट्रो–रसायनों और उर्वरकों का विनिर्माण और विपणन,

(ड़) वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान जो तेल उद्योग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी हो सके,

(च) तेल उद्योग के किसी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या आरम्भिक अध्ययन,

(छ) तेल उद्योग के किसी क्षेत्र में लगे हुए या लगने वाले कार्मिकों का भारत के भीतर या भारत के बाहर प्रशिक्षण और ऐसे अन्य अघ्युपाय जो विहित किए जाए।

(4) बोर्ड अपने कृत्यों के प्रयोग में अपने द्वारा दी गई सेवाओं के लिए ऐसी फीस ले सकता है या ऐसा कमीशन प्राप्त कर सकता है जो वह समुचित समझे।

(5) बोर्ड किसी तेल उद्योग समुत्थान को या अन्य व्यक्ति के द्वारा दिए गए उधार या अग्रिम धन के संबंध में किसी लिखित को प्रतिफल के लिए अंतरित कर सकता है।

(6) बोर्ड वे सभी बाते कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के आनुषांगिक या पारिणामिक हों।

परिशिष्ट–2

वित्त लेखा, और संपरीक्षा

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–15

(15.1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मद पर जो भारत में (जिसके अन्तर्गत भारत का कॉटिनेंटल सेल्फ भी है) उत्पादित की जाती है और जो –

(क) किसी परीक्षणशाला या कारखाने के लिए हटाई है, या

(ख) उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा मद उत्पादित की जाती है, किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित की जाती है, उस में तत्स्थानी प्रवृष्टि में दी गई दर में अनधिक ऐसी दर पर जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, उत्पाद–शुल्क उपकर के रूप में उदग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा,

परन्तु जब तक केन्द्रीय सरकार कच्चे तेल की बाबत (जो उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट मद है) ऐसी

अधिसूचना द्वारा उत्पाद–शुल्क की दर विनिर्दिष्ट नहीं करती है तब तक इस उपधारा के अधीन कच्चे तेल पर उत्पाद शुल्क 60 रूपये प्रति टन की दर से उदगृहीत और संग्रहीत किया जायेगा (4,500 रु. प्रति टन दिनांक 17.3.2012 से)

(2) किसी मद पर उपधारा (1) के अधीन उदगृहणीय प्रत्येक उत्पाद–शुल्क उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगा जो उस मद का उत्पादकर्ता है और कच्चे तेल की दशा में उत्पाद–शुल्क परीक्षणशाला में प्राप्त मात्रा पर संग्रहीत किया जायेगा।

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मदों पर उपधारा (1) के अधीन उत्पाद शुल्क तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उन मदों पर उदगृहणीय उपकर या शुल्क के अतिरिक्त होगा।

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध जिसके अन्तर्गत प्रतिदाय और शुल्क में छूट से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, इस

धारा के अधीन उदगृहणीय उत्पाद शुल्क क उदगृहण और संग्रहण के संबंध में लागू होंगे और इस प्रयोजन के लिए उस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों यह अधिनियम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मदों पर उत्पाद–शुल्क के उदग्रहण के उपबंध करता है।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–16–शुल्क के आगमों का भारत की संचित निधि में जमा किया जाना।

धारा–15 के अधिन उद्गृहीत उत्पाद–शुल्क के आगम पहले भारत की संचित निधि में जमा किए जायेंगे और केन्द्रीय सरकार, यदि संसद इस निमित्त बनाई गई विधि द्वारा विनियोग द्वारा इस प्रकार उपबंधित करे तो बोर्ड को समय–समय पर ऐसे आगमों में से संग्रहण के खर्चो की कटौती करने के पश्चात इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विशेषतः उपयोग के लिए इतनी धनराशियां दे सकती है, जो यह ठीक समझे।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–17–केंन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार

केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यकृत विनियोग किए जाने के पश्चात बोर्ड को अनुदान या उधार के रूप में ऐसी धनराशियां दे सकती है जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–18–तेल उद्योग विकास निधि

(18.1)तेल उद्योग विकास निधि के नाम से एक निधि बनाई जायेगी उस निधि में निम्नलिखित धनराशियां जमा की जायेंगी, अर्थात्

(क) धारा–16 या 17 के अधीन भुगतान की गई राशि,

(ख) वे अनुदान जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए जाये,

(ग) बोर्ड द्वारा लिये गए उधार,

(घ) वे राशियां, यदि कोई हों, जो बोर्ड द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन अथवा इस अधिनियम के प्रशासन में वसूल की जाएं।

(2) निधियों का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जायेगाः–

(क) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों और उसके सलाहकारों, परामर्शदाताओं या अन्य अभिकरणों को, जिनकी बोर्ड सेवाएं प्राप्त करे वेतन, भत्ते, मानदेय तथा अन्य परिश्रमिक देने के लिए,

(ख) बोर्ड अन्य प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए,

(ग) धारा–6 के अन्तर्गत सहायता देने के लिए,

(घ) बोर्ड द्वारा लिए गए ऋणों का भुगतान करने अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्य देयताओं को पूरा करने के लिए।